Page No. 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १] तृतीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६२ का ५६वां दिवस [संख्या ३४

सोमवार, दिनांक ७ मई, १९६२

विधान सभा की बैठक म. पू. ८ बज कर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सिंचाई, राजस्व, शिक्षा, राजनैतिक, उद्योग व वाणिज्य, श्रम, वन, विकास, खनिज एवं पुनर्वास-विभाग]

प्रश्न संख्या ४५५

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास।

राजस्थान नहर

४५६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सत्य है कि राजस्थान नहर में लाइनिंग लगाने के सम्बन्ध में इन्जीनियरों की हाई लेवल मीटिंग फिरोजपुर में हुई थी?

(ख) क्या यह सही है कि उसमें रिसर्च सैक्शन ने यह राय दी थी कि प्लास्ट सहित सिंगल लेयर टाइल लाइनिंग होनी चाहिये, जब कि साइट में काम करने वाले इन्जीनियर इसे ठीक नहीं समझते और कहते हैं कि सेंड-विच सहित डबल लेयर टाइल लाइनिंग का सुझाव रखते हैं तथा तीसरा ग्रुप कांक्रीट प्लास्टर सहित टाइल लाइनिंग का सुझाव रखते हैं?

(ग) क्या यह सही है कि इन मतभेदों के कारण कार्य की गति अवरुद्ध हो गई है? यदि हां, तो जल्दी निर्णय लेने के लिए सरकार क्या सोचती है?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण): (क) जी नहीं। फीरोजपुर में अप्रेल, १९६१ में राजस्थान नहर परियोजना के इन्जीनियरों का एक सेमिनार अवश्य हुआ था, जिसमें परियोजना के तक्निकी व प्रशासकीय विषयों पर चर्चा हुई थी और उनमें लाइनिंग का

Page No. 2

(श्री दौलतराम सारण)

विषय भी सम्मिलित था।

(ख) उक्त सेमिनार में सीमेन्ट कॉंक्रीट से लाइनिंग करने का सुझाव एक अधिशासी अभियन्ता द्वारा दिया गया था; परन्तु उसके प्रयोग पर अत्यधिक व्यय होने के अलावा उसकी अनतिवेध्यता (Impermeability) प्रगोपित (assured) नहीं होने के कारण सुझाव अमान्य रहा।

साइडों पर डबल टाइल लाइनिंग में सेण्डविच सीमेन्ट प्लास्टर के प्रयोग करने के बारे में कभी भी दो राय नहीं रही है। मतभेद केवल इस बात पर रहा है कि तली में लाइनिंग एक लेयर टाइल की लगाई जावे या दो लेयर टाइल की। पंजाब में अधोभूमि पानी की सतह ऊंची होने के कारण यह महसूस किया गया था कि एक टाइल लेयर की लाइनिंग पानी के ऊर्ध्वमुख बल को सहन नहीं कर सकेगी। अतः उन स्थानों पर जहां कि अधोभूमि पानी की सतह ऊंची है, डबल टाइल लेयर में सेण्डविच सीमेंट प्लास्टर का प्रयोग किया गया है। अन्य सभी स्थानों पर (पंजाब में एवं राजस्थान में) तली में एक टाइल की ही लाइनिंग लगाने का निर्णय किया गया है व लगाई जा रही है।

(ग) जी नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सही है इस प्रकार के मतभेद होने के कारण कार्य में विलम्ब हुआ ?

श्री दौलतराम सारण : मैं अपने उत्तर में निवेदन कर चुका हूं कि 'जी नहीं'।

श्री मुरलीधर व्यास : ऐसा नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : यह टैक्निकल क्वेश्चन है। मतभेद नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : विलम्ब हुआ इसलिए पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : वे कहते हैं, नहीं हुआ; फिर आप पूछ रहे हैं वही ?

श्री मुरलीधर व्यास : यह जो निर्णय हुआ उसके कितने दिन बाद काम प्रारम्भ हुआ ?

श्री दौलतराम सारण : कौनसा निर्णय ?

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें यही सीमेन्ट और यह लगाने का। तीन दल हो गये थे उनमें और तीनों में मतभेद होने के कारण काम के प्रारम्भ करने में कितना विलम्ब हुआ ?

श्री दौलतराम सारण : यह तो आप कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री हीराभाई।

लगान वसूली

४५७. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हीराभाई)

(क) क्या जिला बांसवाड़ा की तहसील कुशलगढ़ के किसानों से १९६० का लगान सरकार ने दुगुना वसूल किया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) अगर उपरोक्त लगान बकाया के रूप में था तो बाकी रहने का क्या कारण था ? क्या उक्त तहसील में नये सैटलमेंट में उक्त लगान दो हिस्सों में वसूल होना निर्धारित किया गया है ?

(ग) क्या यह सही है कि टीनेन्सी एक्ट के अनुसार उत्पादन के आधार से ही उन हिस्सों की रेट वसूल करना अनिवार्य है ?

(घ) क्या सरकार ने उक्त आधार से ही सन् ६०-६१ की वसूली की है ?

(ङ) क्या सरकार ने किन्हीं किसानों की उपरोक्त वसूली से छूट भी दी है ? यदि हां, तो कितने किसानों को ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (क) जी नहीं।

(ख) लगान बाकी रहने का यह कारण था कि इस तहसील में रिवाइज्ड सैटलमेन्ट हुआ था ; जिसका अमल दरामद सम्वत् २०१५ से किये जाने के आदेश हुए। सैटलमेन्ट का रेकॉर्ड जिलाधीश को सम्वत् २०१७ में प्राप्त हुआ। सम्वत् २०१५ व २०१६ में जिन कृषकों से जो लगान कम वसूल हुआ था वह बाकी रहा और उसे सम्वत् २०१७ में लगान के साथ वसूल किया गया। इस तहसील में रिवाइज्ड सैटलमेन्ट के अधीन लगान की वसूली दो किश्तों में करना निर्धारित किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(अल्प विराम के अनन्तर)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूँडावत।

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मुझे करना है। यह २०१५ का १७ में जो लगान वसूल किया गया उस पर व्याज भी तो वसूल किया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : व्याज की सूचना तो मेरे पास नहीं है। पर बात यह है कि यह कोई लगान वसूल नहीं किया गया था। यह तो लगान पहले ही वसूल हो चुका है। पर रिवाइज्ड सेटलमेन्ट की वजह से जो परसेन्टेज पहले से बढ़ा है तो वह बढ़ी हुई रेट का ही डिफरेन्स १७की साल में वसूल किया गया है। व्याज का तो बहुत बड़ा अन्तर नहीं आता, क्योंकि वह साधारण परसेन्टेज था।

श्री हीराभाई : इनको नये सैटलमेन्ट के पट्टे कब दिये गये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : २०१७ में कलेक्टर के पास रेकॉर्ड आया। इससे पहले ऑब्जेक्शन इन्वाइट होते हैं। उन पर

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

ऑब्जेक्शन करते हैं और उस पर फिर निर्णय होकर रेकॉर्ड कलेक्टर के पास आता है। तब उसकी वह कार्यवाही करता है; इसलिये २०१७ के दर्मियान ही उनको पता लग गया था कि क्या रेट है।

श्री हीराभाई : २०१७ में २०१५ के पट्टे दिये गये और उस वक्त जो पहले मालूम होने की बात कही वह तो सही है; पर यह २०१५ की वसूली अगर उसी साल करने में देर हुई तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है या किसान की ? दो साल बाद क्यों वसूल किया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दो साल बाद का सवाल नहीं है २०१५, १६ का लगान १७ में किया गया है।

श्री हीराभाई : मेरा सवाल यह है कि अगर सरकार की जिम्मेदारी थी तो उसे वक्त पर वसूल करना था, वसूली में पहले तो ढिलाई की और फिर १७ में किया गया तो उन्हीं किसानों से व्याज वसूल किया; रगड़ा यह है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : व्याज की जानकारी मुझे नहीं है। पर फिर भी वह तो इतनी सी रकम है केवल पांच या छः परसेंन्ट हो सकती है, तो उस पर व्याज बनता नहीं है।

श्री हीराभाई : दूसरी बात यह है कि जो दो किश्तों में लगान वसूल करने का है वह १२ आना तो पहले और चार आना जेठ सुदी पूनम को वसूल करने का है; तो फिर एक मुश्त लगान वसूल कर रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि यह लगान वसूल नहीं हो रहा है, बल्कि लगान तो वसूल हो चुका। लेकिन रिवाइज्ड सेटलमेन्ट से जो २-४ आना रुपया-दो रुपया कुल मिला कर हर खाते पर आता है वह बढ़ा है, उस रकम को वसूल करना है। वह २०१७ के साथ वसूल किया गया है। वह हेवी अमाउन्ट नहीं है जिसकी किश्तबन्दी का सवाल आये।

श्री हीराभाई : व्याज वसूल करना है; तो उसकी जांच करके उनको वापिस दिखाया जायेगा ?

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : यह रिवाइज़ कब हुआ था ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी।

श्री हीराभाई : एक प्रश्न यह है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! आप बहुत पूछ चुके हैं।

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री हीराभाई : मेरा एक प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : कृपया आप स्थान ग्रहण करें।

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय, जो वसूल किया है उसको वापिस दिलाया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : आप कृपया स्थान ग्रहण करें। दूसरा सवाल पूछा जा चुका है। वसूल करके दे देंगे, नहीं दे देंगे; आप बार बार वही क्वेश्चन कर रहे हैं।

श्री हीराभाई : गवर्नमेन्ट ने सेटलमेन्ट का कानून बनाया है दो किश्तों में वसूल करने का....

श्री अध्यक्ष : यह आप ३ दफा पूछ चुके हैं।

श्री हीराभाई : मन्त्री महोदय ने कहां जवाब दिया ?

श्री अध्यक्ष : पूरी वसूली नहीं की जा रही है. केवल जो फर्क है वह वसूल किया जा रहा है।

श्री हीराभाई : नहीं, मन्त्री महोदय के समझने में गलती है।

श्री अध्यक्ष : Order please ! कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी नहीं समझते हैं और मन्त्री महोदय ने भी नहीं समझा है।....

श्री अध्यक्ष : सब समझते हैं।

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : श्री हीराभाई ! कृपया बहस न करें।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (राजसमन्द) : अध्यक्ष महोदय, आपका एक्सप्रेशन कि 'आप भी नहीं समझते हैं'; यह अनपार्लियामेन्टरी होने के अलावा आप के लिए प्रयोग में लाया गया है।

श्री हीराभाई : समझने का प्रश्न नहीं है। मेरी भाषा आप नहीं समझे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप मेरी भाषा नहीं समझते हैं। आप मेरी भाषा समझने लगें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

नेक्स्ट, श्रीमती लक्ष्मीकुमारी।

पुस्तकों की खरीद में स्थानीय प्रकाशकों को बजट अनुदान में से दिया जाने वाला अनुपात

४५८. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करें:-

(१) समाज शिक्षा विभाग और शिक्षण संस्थाओं द्वारा पुस्तकालयों के लिए जो साहित्य खरीदा जाता है उस खरीद में राजस्थान से बाहर के प्रकाशकों के अनुपात में राजस्थान के स्थानीय प्रकाशकों को बजट की राशि का कितना हिस्सा मिलता है ?

(२) क्या साहित्य की खरीद में स्थानीय प्रकाशकों को उचित स्थान देने के लिए सरकार कोई कदम उठाने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा) : (१) गत वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में समाज शिक्षा विभाग को पुस्तकालयों के लिए पुस्तकें खरीदने के लिए कोई प्रावधान नहीं मिला था। उससे पूर्व वर्ष १९६०-६१ में

(श्री परसराम मदेरणा)

२४,०००) रु० का प्रावधान पुस्तकालयों के लिए पुस्तकें खरीदने हेतु मिला था । उक्त प्रावधान में से विभाग ने राजस्थान के स्थानीय प्रकाशकों से लगभग ४० प्रतिशत अर्थात् ६,७४५.७५) रु० की पुस्तकें खरीदी तथा राजस्थान के बाहर के प्रकाशकों से लगभग ६० प्रतिशत अथात् १४,२०५) रु० की पुस्तकें खरीदी गईं । पुस्तकें खरीदने के लिए स्थानीय अथवा बाहर के प्रकाशकों का विशेष ध्यान रखने की अपेक्षा पुस्तकों की विषय–सामग्री, छपाई, सफाई, साजसज्जा, मुद्रण, कागज़ और मूल्य आदि पर महत्व दिया जाता है और उसी के अनुसार उपयोगी पुस्तकें खरीदी जाती हैं ।

(२) राज्य सरकार राजस्थान में प्रकाशित साहित्य की खरीद को पूर्वत: उचित स्थान देती है। प्रश्न संख्या(१)के उत्तर से यह स्वत: स्पष्ट हो जाता है कि राज्य सरकार स्थानीय प्रकाशकों की उपयोगी एवं उपयुक्त पुस्तकें भी उचित मात्रा में खरीदती है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : जो पुस्तकें खरीदने की निश्चित धनराशि है क्या उसमें ऐसा अनुपात निश्चित नहीं किया गया कि राजस्थानी लेखकों की उतनी ही पुस्तकें खरीदी जायेंगी ?

श्री परसराम मदेरणा : अनुपात निश्चित किया जाना न तो उपयुक्त ही है और न ही किया गया है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : राजस्थानी स्थानीय प्रकाशक कितने हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने कहा कि किताबें सेन्ट्रली पर्चेज करके इन्स्टीट्यूशन्स में और लाइब्रेरीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। स्थानीय प्रकाशकों से खरीद ४०पर्सेन्ट ईयर बिफोर लास्ट ईयर की थी। लास्ट ईयर नहीं की थी ; इसलिए कि लास्ट ईयर कोई किताबें नहीं खरीदी गयीं ।

प्रश्न संख्या ४५६

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री सम्पतलाल ।

राजनैतिक पीड़ित

४६०.**श्री सम्पतलाल बोहरा**(मावली): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) सरकार द्वारा अब तक कितने व्यक्तियों को राजनैतिक पीड़ितों के रूप में स्वीकार किया गया है ?

(ख) किसी व्यक्ति को राजनैतिक पीड़ित माने जाने के क्या आधार हैं ?

(ग) सरकार द्वारा ऐसे राजनैतिक पीड़ितों को अब तक क्या क्या सुविधायें या सहायता दी गई हैं ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (क) १८२ व्यक्तियों को ।

(ख) इस विषय में माननीय सदस्य राजस्थान राजनैतिक पीड़ित साहाय्य नियम, १६५६ के नियम संख्या २ (३) (क) (ख) का कृपया अवलोकन करें ।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(ग) राजस्थान बनने के बाद ऐसे व्यक्तियों को अब तक निम्नलिखित सुविधायें या सहायता दी गई हैं:-

(१) १३१ राजनैतिक पीड़ितों को २५) रु० से लेकर ७५) रु० तक मासिक पेन्शन,

(२) २५ राजनैतिक पीड़ितों को १,०००) रु० से लेकर ३,०००) रु० तक ऋण तथा ४ को ५००) रु० से लेकर १,०००) रु० तक स्वर्गीय राजनैतिक पीड़ितों की पुत्रियों के विवाह के लिए अनुदान,

(३) ४ राजनैतिक पीड़ितों की राज्य सेवा में पुनर्नियुक्ति,

(४) ११ राजनैतिक पीड़ितों को ५००) रु० से लेकर १,०००) रु० तक अनुदान,

(५) ५ राजनैतिक पीड़ितों में से प्रत्येक को खेती के लिये २० बीघा सिंचाई की जमीन,

(६) राजनैतिक पीड़ितों को राजकीय सेवा के लिए एज रिलेक्सेशन का लाभ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : इसके लिए आपने स्पष्ट आधार नहीं बताया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आधार तो नियमों में लिखे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : इस समय सरकार के सामने कितनी एप्लीकेशन्स पेन्डिंग होंगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : एप्लीकेशन्स कितनी पेन्डिंग हैं, यह तो बहुत जरूरी है दरअसल में यह तो इन्फॉर्मेशन देनी होगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप कमेन्ट नहीं करेंगे। आप सूचना पूछिये, पर कमेन्ट मत कीजिये।

श्री विजयसिंह झाला : १३१ राजनैतिक पीड़ितों को जो सहायता दी वह आप बता सकते हैं कि उसमें किस पार्टी से ज्यादा लोग थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह नहीं कह सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसहाय।

गर्ल्स स्कूल, गंगापुर

४६१. श्री **गोविन्दसहाय** (गंगापुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:-

(१) सरकार द्वारा गंगापुर में गर्ल्स हाई स्कूल कब तक खोला जायेगा ?

(१) क्या इसके लिए भवन प्रायः पूर्ण है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा): (१) अभी तक माध्यमिक शालाओं को उच्च शाला में परिवर्तित करने का प्रश्न विचाराधीन है। कन्या माध्यमिक शाला, गंगापुर को भी ऐसे ही दूसरी शालाओं के साथ साथ, यदि यह भी सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति करती होगी तो उच्च शाला

(श्री परसराम मदेरणा)

में परिवर्तित करने के प्रश्न पर विचार किया जावेगा ।

(२) शाला भवन उच्च शाला के लिए पर्याप्त नहीं है ।

प्रश्न संख्या ४६२

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन ।

(अनुपस्थित)

श्रीमती सुमित्रा ।

मिडल स्कूल, इस्लामपुर

४६३. **श्रीमती सुमित्रा** (झुंझुनूं) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या जिला परिषद (झुंझुनूं) ने सन् १६६०-६१ में इस्लामपुर मिडल स्कूल को हायर सेकन्डरी स्कूल में परिवर्तित किये जाने के लिए सरकार से अनुरोध किया था ?

(२) यदि हां, तो अब तक उसके अपग्रेड न किये जाने के क्या कारण हैं ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां । सन् १६६०-६१ में जिला परिषद ने सिफारिश की थी ।

(२) इस्लामपुर को अपग्रेड न किये जाने के निम्नलिखित कारण हैं:—

(१) पास में ३-४ मील बग्गड़ नामक हाई स्कूल मौजूद है और सिद्धांतों के मुताबिक २० मील के अन्तर में दूसरा हाई स्कूल नहीं होना चाहिए ।

(२) बिल्डिंग हाई स्कूल के लिए उपयुक्त नहीं है ।

श्रीमती सुमित्रा : क्या उप-मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि १६६०-६१ में एक ऐसा स्कूल खुला है मिडल स्कूल से हायर सेकन्डरी, जब कि पहले मिडल स्कूल दो मील के फासले पर था ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या राजस्थान में २० मील की दूरी पर और भी हाई स्कूल हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : वह कौन सा हाई स्कूल है ?

श्रीमती सुमित्रा : सिमला से गौरी किया है; और वहां के सेठ ने पचास हजार रुपया ४ साल से जमा करा रखा है ?

श्री परसराम मदेरणा : आपके पहले वाले प्रश्न की तो जानकारी करके बता दूंगा कि क्या कारण था । दूसरे प्रश्न के लिये वहां के सेठ ने ४५ हजार रुपये की ऑफर जरूर दी है; लेकिन उन्होंने ऐसी शर्तें रखी हैं जो कि सरकार को अमान्य हैं । एक तो उसको अपग्रेड करने के लिए और दूसरे कहा था कि स्कूल के ऊपर मेरा पूर्ण नाम रहना चाहिए । हमारे नियमों के अनुसार हायर सेकन्डरी की जो बिल्डिंग बनेगी उस पर एस्टीमेट के मुताबिक १ लाख के खर्चे से बनेगी और जो भी ओनर अपना नाम रखवाना चाहता है तो उसे ७५ परसेंट टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन का

(श्री परसराम मदेरणा)

कन्ट्रीब्यूट करना चाहिये और कागजात इसी हिसाब से चल रहे हैं। अगर वे इस शर्त को पूरा करें तो हम उनका नाम लिखवाने के लिए तैयार हैं। वैसे वे लिखवाना चाहें तो हम नहीं लिख सकते।

श्रीमती सुमित्रा : क्या जिस भवन में इस समय मिडल स्कूल चल रही है वह हाई स्कूल के लिये पर्याप्त है ?

श्री परसराम मदेरणा : वह स्टेन्डर्ड के अनुसार पर्याप्त नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा : उसमें १७ कमरे हैं, क्या वह हाई स्कूल के लिए पर्याप्त नहीं है ?

श्री परसराम मदेरणा : कमरे १७ हैं, किन्तु दो भागों में स्कूल चल रहा है।

एक में मिडल स्कूल है और दूसरे में प्राइमरी स्कूल चल रहा है। जिस धर्मशाला में मिडल स्कूल चल रहा है वहां कोठड़ियों की तरह छोटे छोटे कमरे हैं। दूसरे में जहां प्राइमरी स्कूल चल रहा है वहां दो फ्लोर्स हैं; फर्स्ट फ्लोर और ग्राउन्ड फ्लोर। इस बिल्डिंग में कमरे छोटे हैं, सेल (cell) की तरह हैं जिनमें वेन्टिलेशन नहीं है। दूसरे; कमरे हैं वे स्टेन्डर्ड प्लान के अनुसार नहीं हैं, छोटे कमरे हैं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या दूसरी जगह जहां हाई स्कूल्स चल रही हैं वहां स्टेन्डर्ड के अनुसार कमरे हैं ?

श्रीमती सुमित्रा : क्या प्राइमरी स्कूल और मिडल स्कूल दोनों में मिला कर २६ कमरे हैं ?

श्री अध्यक्ष : अब १७ से २६ पर आ गये।

श्री परसराम मदेरणा : हां, २६ कमरे हैं।

श्रीमती सुमित्रा : क्या २६ कमरे हायर सेकन्डरी स्कूल के लिये पर्याप्त नहीं हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : ५ बाई ५ के ७० कमरे भी हों तो भी उनमें हाई स्कूल नहीं खोला जा सकता।

श्रीमती सुमित्रा : १० बाई १४ के हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

भूतपूर्व सैनिकों व दलित-वर्ग को दी जाने वाली भूमि

४६४. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि कमिश्नर, बीकानेर डिविज़न ने दिनांक १–६–५८ को गंग केनाल परमानेन्ट अलॉटमेन्ट रूल्स, १६५६ के मुताबिक दलित वर्ग के भूतपूर्व सैनिकों को जमीन देने के सम्बन्ध में तहसीलदार, करणपुर को कोई पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उसका क्या हुआ ? उन्हें जमीन मिली या नहीं ?

Page No. 10

(श्री मुरलीधर व्यास)

(२) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार के सिंचाई विभाग ने दि. २१-१-६० को भूतपूर्व सैनिकों व दलितों को भाखरा प्रोजेक्ट से जमीन देने का पत्र किसी एम. पी. को लिखा है ? यदि हां, तो उसका क्या हुआ ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न कॉलोनाइज़ेशन से सम्बन्धित है इसलिए इसका उत्तर वे देंगे।

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर कौन देंगे ?

श्री दौलतराम सारण : राजस्व मन्त्रीजी देंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट टर्न पर राजस्व मन्त्रीजी इसका उत्तर देंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : कब आयेगी साहब नेक्स्ट टर्न ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट टर्न पर उत्तर देंगे।

(विराम)

श्री निरन्जननाथ आचार्य

अकादमियों का गठन और उन पर किया गया व्यय

४६५. **श्री निरन्जननाथ आचार्य** (राजसमन्द) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) विभिन्न अकादमियों पर अब तक कितना धन व्यय हुआ है और अभी तक इसका रिटर्न क्या मिला है ? इन अकादमियों द्वारा प्रकाशित साहित्य की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या इन अकादमियों का गठन केन्द्रीय अकादमियों के आधार पर हुआ है ? यदि हां, तो राजस्थान की तीनों अकादमियों का सेन्ट्रल ऑफिस एक स्थान पर ले आने के के विषय में सरकार क्या सोच रही है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, समय पर्याप्त नहीं होने से इसका उत्तर नहीं आ सका है इसलिये इसे पोस्टपोन कर दिया जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जनरल नॉलेज के आधार पर इसका जवाब दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : उस आधार पर तो आप भी जान सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इसका उत्तर मैं कल दे दूंगा।

औद्योगिक ऋण

४६६. **श्री छत्रसिंह** (आहोर) [श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) द्वारा पूछा गया] : क्या उद्योग व वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) आहोर तहसील में पिछले पांच सालों में किन किन व्यक्तियों को औद्योगिक ऋण दिया गया ?

(२) क्या ऋण जिस काम के लिये दिया गया उसी में उसका उपयोग हुआ है ?

(३) अगर नहीं, तो क्यों और सरकार इस विषय में क्या कदम उठा रही है ?

उप-मन्त्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) सूची इस प्रकार है :—

१९५७-५८

कुछ नहीं।

१९५८-५९

१. श्री मेघराज पुत्र जसराज-गुढ़ा बालोटन २,५००

२. श्री दलवीरसिंह पुत्र बहादुरसिंह २,०००

१९५९-६०

३. श्री बलवीरसिंह, भैंसवाड़ा १५,०००

४. श्री माधोसिंह, भैंसवाड़ा १५,०००

५. श्री हरियाली चर्म वस्तु उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, हरियाली ८,०००

६. श्री चर्म वस्तु उत्पादक सहकारी समिति, आहोर ४,०००

१९६०-६१

७. श्री कृष्ण पुत्र गेनाजी सुथार ५,०००

१९६१-६२

८. श्री मुकमचन्द पुत्र चिमनाजी ३,०००

(२) पार्टी नं० १,२,५,६,७ ने ऋण का उपयोग उसी कार्य में किया है जिसके लिये ऋण दिया गया था।

(३) पार्टी नं. ३ व ४ श्री बलबीरसिंह व श्री माधोसिंह के ऋण का सही उपयोग न करने पर समूची रकम की वसूली पी.डी.आर. एक्ट के अन्तर्गत शुरू की जा रही है। पार्टी नं० ८ श्री मुकमचन्द को जो ऋण दिया गया है उसमें अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): वसूली की कार्यवाही कब से हो रही है ?

श्री चन्दनमल वैद : पी० डी० आर० की तहत कार्यवाही की जायेगी।

श्री जयनारायण सालोदिया : कब से की जायेगी ?

श्री चन्दनमल वैद : इसके कागजात चल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को लिखा जा रहा है कि पी० डी० आर० की तहत वसूली की जाय।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आपने पहले कहा, कार्यवाही की जा रही है और अब कह रहे हैं कि अब लिखा जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : वह भी कार्यवाही ही है।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : उद्योग के लिये ऋण लिया गया था, उसे इस समय तक काम में नहीं लिया, जब कि सरकार को मालूम हो गया था कि उस काम में नहीं लिया तो उसी समय वसूली की कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? अब कह रहे हैं कि पी० डी० आर० की कार्यवाही करने के लिये लिखा जा रहा है; शीघ्र वसूली की कार्यवाही क्यों नहीं की जाती ?

श्री चन्दनमल वैद : आपको चिन्ता है उससे ज्यादा चिन्ता हमें भी है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपकी चिन्ता तो स्पष्ट है। यह लोन कब दिया गया था ?

श्री चन्दनमल वैद : ५६--६० में।

श्री मुरलीधर व्यास : ५६--६० में लोन दिया गया था, ३ साल हो गये और उसके लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री चन्दनमल वैद : ३ साल नहीं हुए।

श्री मुरलीधर व्यास : २ साल हो गये। ऋण जिस काम के लिये दिया गया उस काम में उसका उपयोग नहीं हो और अब प्रश्न पूछने पर कहा जाय कि कार्यवाही की जा रही है तो स्पष्ट है कि विभाग ने कार्यवाही नहीं की।

श्री चन्दनमल वैद : प्रश्न पूछे जाने से पहले से कार्यवाही जारी है। ऋण दिये जाने के बाद कुछ समय दिया जाता है ताकि देखा जाय कि ऋण का उपयोग किया गया है या नहीं। इसलिये यह कहना कि २ साल हो गये सही नहीं है। कम से कम एक साल तक तो देखा जाता है कि उसने उपयोग किया या नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : ऋण दिया जाता है उससे पहले यह देखा जाता है कि नहीं कि कुछ काम शुरू किया या नहीं या ऋण पहले दिया जाता है और काम बाद में शुरू होता है ?

श्री भगराज चौधरी : पार्टी नं० ३ और ४ ने धोखा देकर ऋण प्राप्त किया है। क्यों नहीं उनके खिलाफ पुलिस की कार्यवाही की जाय ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्न संख्या ४६७

श्री अध्यक्ष : श्री हरिराम।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४६८

श्री कृष्णकुमार गोयल।

(अनुपस्थित)

श्री मजलिसखां।

मालगुजारी की छूट

४६६. **श्री मजलिसखां** (कामां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार का तहसील कामां, जिला भरतपुर के जल-मग्न क्षेत्र के किसानों को मालगुजारी की छूट या अन्य कोई सहायता देने का विचार है ?

(२) यदि हां, तो कब तक ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) तहसील कामां में जलमग्न क्षेत्र के किसानों को खरीफ सं. २०१८ में ६,७७६ रुपये की सस्पेन्शन दी जा चुकी है। जहां तक छूट किये जाने का प्रश्न है जमा कायमी के प्रस्ताव रबी सं. २०१८ के साथ ही साथ उचित हुआ तो छूट देने की कार्यवाही भी की जावेगी।

(२) फसल रबी संवत् २०१८ की वसूली प्रारम्भ होने से पूर्व ही छूट देने सम्बन्धी कार्यवाही की जावेगी।

श्री मजलिसखां : किसानों को कोई सहायता देने का विचार रखते हैं क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि लगान वसूली में छूट देने के सम्बन्ध में कलेक्टर के यहां से प्रस्ताव आने पर विचार किया जायेगा। सस्पेन्शन दिया गया है।

श्री मजलिसखां : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिस क्षेत्र में रिलीफ देने का प्रावधान रखा है उसको अकाल एरिया घोषित किया है, जिसमें ५७ से पानी भर रहा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस सम्बन्ध में कलेक्टर का प्रस्ताव आने पर विचार किया जायेगा।

श्री मजलिसखां : कलेक्टर से रिपोर्ट किस समय मांगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रिपोर्ट मांगी नहीं जाती है, उनका कर्त्तव्य है कि रिपोर्ट दें।

श्री मजलिसखां : क्या आपको सूचना नहीं है कि सन् ५७ से वहां पानी भरता आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

छात्रावास व संस्कार केन्द्र

४७०. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) समाज कल्याण विभाग द्वारा किस किस तरह के कितने छात्रावास चलाये जाते हैं और उनमें कितने छात्र रहते हैं ? कुल संख्या बताने की कृपा करें।

(२) विभाग द्वारा कितने संस्कार केन्द्र चलाये जाते हैं ? उनमें कितने केन्द्र काम कर रहे हैं व कितने बन्द हैं ?

(३) क्या विभाग द्वारा जो छात्रवृत्तियां दी जाती हैं उसकी राशि सब पंचायत समितियों को समान रूप से दी जाती हैं या कहीं ज्यादा और कहीं कम दी जाती हैं ? कॉलेजों, हाई स्कूलों व मिडल स्कूलों को छात्रवृत्तियां देने के क्या नियम हैं ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब तैयार नहीं है, इसमें समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष : कितना समय लगेगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : दूर दूर से जानकारी मंगानी पड़ती है।

श्री जयनारायण सालोदिया : दफ्तर में जवाब मिल सकता है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : दफ्तर में मिलता तो जवाब दे दिया जाता।

ग्राम कुरका (रूपवास) के अग्नि पीड़ितों को दी जानेवाली सहायता

४७१. **श्री सांवलियाराम** (रूपवास-सु.): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या ग्राम कुरका, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर में दिनांक ३१ मार्च, १९६२ को आग लगी थी ?

(श्री सांवलियाराम)

(२) अगर हां, तो कुल जान व माल का कितना नुकसान हुआ ?

(३) अग्निपीड़ित व्यक्तियों की सरकार मदद देने की क्या व्यवस्था कर रही है ?

(४) क्या नुकसान को देखते हुए तत्कालीन कोई सहायता दी गई है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां।

(२) इस अग्निकांड में १ स्त्री तथा कुछ पशु-धन को क्षति हुई और माल का अनुमानित नुकसान १,१०,१८२) रुपये आंका गया है।

(३) भरतपुर जिले में आग व बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ वित्तीय वर्ष १९६२—६३ में ५,०००) रु. ऋण और ५००) रु. ग्रान्ट-इन-एड की मंजूरी दिनांक १९.४.६२ को दी जा चुकी है।

(४) पंचायत समिति रूपवास के कोष में धन का अभाव होने के कारण तत्काल सहायता नहीं दी गई।

मिनिमम वेजेज़ केसेज़

४७२. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) [श्री कुमारानन्द (ब्यावर) द्वारा पूछा गया] : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान राज्य के मिनिमम वेजेज़ ऑथोरिटी एण्ड लेबर कमिश्नर के पास अजमेर जिले के मोटर मजदूरों के कितने केसेज़ मंहगाई-भत्ते के सम्बन्ध में पेंडिंग हैं और कब से ?

(२) सरकार ने मिनिमम वेजेज़ के केस तय करने के लिये कितना समय सामान्य तौर पर निर्धारित किया है ?

(३) क्या इनके तय करने में अनुचित देर लगी है ?

(४) क्या सरकार इस प्रकार के वेजेज़ को जल्दी तय कराने के लिए समुचित व्यवस्था करेगी ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा): (१) सन् १९५९ में १७ मामले दायर हुए थे उसमें से केवल ४ पेंडिंग हैं।

(२) कोई समय निश्चित नहीं है।

(३) जी नहीं।

(४) सरकार इन मामलों को जल्दी तय करने में प्रयत्नशील है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह समय है वह निश्चित नहीं है। यह किस आधार पर है ? छः महीने में ऐसे केसेज़ निपटा देने चाहिए, ऐसा प्रावधान नहीं है ?

श्री परसराम मदेरणा : मिनिमम वेजेज़ ऑथोरिटी का स्टेन्डर्ड सिविल कोर्ट का है। सिविल कोर्ट के लिए सिविल प्रोसीजर है। सिविल प्रोसीजर से ये अदालतें चलती हैं; इसलिए समय निर्धारित नहीं कर सकते। रेगुलर प्रोसीजर के अन्दर जो समय लगेगा; नोटिस सर्व करने में, एवीडेन्स रेकॉर्ड करने में, फैसला करने में वह लगेगा। उस

(श्री परसराम मदेरणा)

समय को निश्चित नहीं कर सकते । जल्दी कराने के लिए प्रयत्नशील हैं।

श्री कुमारानन्द : आपको मालूम है कि कितने केसेज़ पेंडिंग हैं, कितने समय से पेंडिंग हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : जैसा मैंने कहा, चार केसेज़ पेंडिंग हैं और २२.५.६२ को एवीडेन्स रेकॉर्ड करने की तारीख रखी हुई है। शुरू में जिन मजदूर यूनियन के सेक्रेटरी ने केसेज़ दायर किये थे मोटर मालिकों के खिलाफ वे डियरनेस के केसेज़ थे। उन्होंने सही पता नहीं दिया, इसलिए नोटिस सर्व नहीं हुए। बाद में सही पता दिया तो नोटिस सर्व हुआ। उसके बाद रेस्पोन्डेन्ट्स ने एतराज किया कि मेरा केस दूसरी अदालत में चल रहा है इसलिए केस नहीं चल सकता।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : सामान्य तौर पर कोई न कोई समय निर्धारित करना चाहिए, इसमें क्या एतराज है ?

श्री अध्यक्ष : जुडिशियल ऑथोरिटी पर इस तरह का बन्धन नहीं लगाया जा सकता।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : जिस तरह पेमेंट ऑफ वेजेज़ ऑथोरिटी के अधिकार एस. डी. ओ. को दिये गये हैं उसी तरह मिनिमम वेजेज़ ऑथोरिटी एस. डी. ओ. को अपोइन्ट करने का विचार करेंगे ? अभी जो दिक्कतें एक्ट के इम्प्लीमेंन्टेशन में आती हैं, क्योंकि राजस्थान में एकमात्र लेबर कमिश्नर को अधिकार दे रखे हैं ; इसलिए क्या सरकार मिनिमम वेजेज़ ऑथोरिटी एस. डी.-ओ. को अपोइन्ट करने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष : यह जुदा प्रश्न है। इससे कहां सम्बन्धित है ?

श्री मनफूलसिंह ।

श्री परसराम मदेरणा : Only Sub-Divisional Magistrates and Sub-Divisional Officers have been appointed Wages Authority.

श्री मानिकचन्द सुराणा : सुनाई नहीं दिया। दुबारा बोलिये।

श्री अध्यक्ष : वे कह रहे हैं कि पहले से नियुक्त किये जा चुके हैं।

श्री मनफूलसिंह ।

माफीदारी जमीन का खातेदारी में परिवर्तन

४७३. **श्री मनफूलसिंह** (सूरतगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार भाखरा कॉलोनाइज़ेशन में माफी की जमीन जो माफीदारों के पास काफी वर्षों से चली आ रही है उनको खातेदार बनाना चाहती है ?

(२) अगर नहीं, तो क्या माफीदारों के बराबर के आरजी काश्तकारों को भाखरा कॉलोनाइज़ेशन में खातेदार अथवा मुस्तकिल अलॉटमेंट के पट्टे जारी नहीं किये हैं ?

(श्री मनफूलसिंह)

(३) अगर आरजी काश्तकारों को मुश्तकिल अलॉटमेंट हुई है तो माफीदारों को इसी तरह की पुरानी आरजी काश्त जमीन मुश्तकिल अलॉट क्यों नहीं की गई ?

(४) अगर जमीन माफीदारों को मुश्तकिल अलॉट हुई तो क्या दुलमाना गांव, तहसील सूरतगढ़ में माफीदारों को भूमिहीन के तौर पर मुश्तकिल अलॉटमेंट हुआ है या नहीं ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब नहीं आया है ।

प्रश्न संख्या ४७४

श्री अध्यक्ष : श्री मथुरेशबिहारी माथुर ।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द ।

सहकारी समितियों द्वारा सीमेन्ट का वितरण

४७५. **श्री मूलचन्द चौधरी** (दौसा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या सीमेन्ट-कोटा सहकारी समितियों के द्वारा सप्लाई करने की सरकार की नीति है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ख) क्या यह सत्य है कि दौसा क्रय-विक्रय समिति के बार बार आवेदन के बावजूद सीमेन्ट का कोटा नहीं दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) क्या सीमेन्ट सप्लाई करने के लिये सरकार ने कोई नियम बनाये हैं ? यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यों ?

(घ) क्या सीमेन्ट सप्लाई के सम्बन्ध में जयपुर जिले से शिकायतें आई हैं ? यदि हां, तो उन शिकायतों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें । सरकार ने शिकायतों के निवारणार्थ क्या कदम उठाये हैं ?

उप-मन्त्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) जी हां । किन्तु नियमानुसार वहां जहां कि सीमेन्ट के एजेन्ट्स पहले से नहीं हों ।

(ख) जी हां, क्योंकि दौसा में पहले से ही ४ सीमेन्ट के एजेन्ट्स हैं अतः दौसा क्रय-विक्रय सहकारी समिति को एजेन्ट नियुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी हां, राजस्थान सीमेन्ट कन्ट्रोल ऑर्डर लागू किया गया है ।

(घ) कुछ पंचायत समितियों से शिकायतें आई थीं । उनको काफी मात्रा में सीमेन्ट अलॉट कर दी गई है ।

अब पत्रों को सदन की मेज पर रखना सम्भव नहीं है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : अगर कोई एजेन्ट सीमेन्ट देने में डिले करने की कोशिश करें तो सीधा सहकारी समिति को कोटा दिया जा सकता है ?

श्री चन्दनमल वैद : अगर कोई एजेन्ट ढिले करने की कोशिश करे तो उसका लाइसेन्स कैन्सिल किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : सहकारी समिति को कोटा दिया जाय, इन्डीविजुअल आदमी को न दिया जाय; इसके आधार पर क्या सहकारी समिति को प्राथमिकता दी जाती है ?

श्री अध्यक्ष : एजेन्ट मुकर्रर करते वक्त सहकारी समिति को प्राथमिकता दी जाती है या नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद : जहां एजेन्ट पहले से अपोइन्टेड हैं वहां नहीं दी जा सकती। जहां नहीं हैं वहां सहकारी समिति को दी जाती है।

श्री जयनारायण सालोदिया : पहले से एजेन्ट रहेंगे, क्योंकि उनको अच्छा फायदा मिलता है। सरकार की नीति है कि सहकारी समिति को प्राथमिकता देनी चाहिए तो सरकार उस नीति पर क्यों अमल नहीं करती है ?

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल।

श्रमिक वन सहकारी समितियां

४७६. **श्री देवीलाल मीणा** (सराड़ा—सु०) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या उदयपुर जिले में श्रमिक वन सहकारी समितियां बनाई गई हैं ?

(ख) ऐसी कितनी समितियां हैं जिनको जंगलों का ठेका दिया गया है ?

(ग) क्या परसाद रेंज में किसी समिति को जंगल का ठेका दिया है ? यदि हां, तो किस नम्बर का कूप व कितने एकड़ पर ?

(घ) क्या उस रेंज हल्के में किन्हीं और ठेकेदारों को ठेका दिया गया है ? यदि हां, तो किस नम्बर का कूप किन ठेकेदारों को ?

(ङ) क्या इन ठेकेदारों में से किसी ठेकेदार ने सहकारी समिति खखड़ का माल खरीदा है ? यदि हां, तो किस ठेकेदार ने यह माल खरीदा है ?

(च) क्या इस माल की बोली लगाई गई थी ? यदि हां तो कितनी ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मन्त्री, वन (श्री दिनेशराय डांगी) :

(क) जी हां।

(ख) इस वर्ष (१९६१–६२) में १९ समितियों को जंगल के २४ कूपों के ठेके दिये गये हैं।

(ग) जी हां। परसाद रेंज में इस वर्ष (१९६१-६२) में श्रमिक सहकारी समिति खखड़ को सरू कूप नं० ५।१२५ एकड़ का व वन श्रमिक सहकारी समिति सरू को झावला कूप नं० ५ एकड़ १३५ के दिये गये हैं।

(घ) जी हां। परसाद रेंज में इस वर्ष—(१९६१-६२) में अन्य ठेकेदारों को निम्न प्रकार लकड़ी कोयले के कूपों के ठेके दिये गये हैं:—

(उप मंत्री वन)

नाम ठेकेदार	नाम कूप
श्री गुलामरसूल	बोरी मलान नं० २
श्री सादिकअली	सरूं नं० ४
श्री मुरादअली	प्रसाद नं० ११

(ङ) इन ठेकेदारों में से किसी ने नहीं खरीदा है।

(च) जी हां। बोली लगाई गई थी। सबसे अधिक बोली ६.८८ नये पैसे प्रति ४० किलो आई। नकल फर्द नीलाम सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री देवीलाल मीणा : क्या यह बोली लगाई गई थी, यह फर्जी नहीं है ?

श्री दिनेशराय डांगी : जी नहीं।

श्री देवीलाल मीणा : समिति का माल पन्द्रह सौ बोरें बेचा गया है, इसके लिए आपने बतलाया है यह गलत है। पन्द्रह सौ बोरे बेचे गये हैं और यह माल गुजरात की साइड में उतारा गया है।

श्री दिनेशराय डांगी : जी, ऐसी बात नहीं है। समिति के माल का विज्ञापन देकर परसाद में ठेका दिया गया है। इसकी बोलियां लगाई गई हैं और अर्नेस्ट मनी ठेकेदारों ने पांच पांच सौ रुपये जमा करवाये हैं।

श्री देवीलाल मीणा : खुरीचन्द महाजन परसाद रैंज में है, उसको ठेका दिया है और रामचन्द जो मन्त्री हैं वे मन्त्री अभी नहीं हैं, सोमो अध्यक्ष है, इन्होंने मिल कर ऐसा किया है। समिति के सदस्य जानते नहीं हैं कि माल बेचा गया है और रुपया ले लिया है। इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की है। इसके अन्दर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते तो मैं जाकर सब सदस्यों को इकट्ठा करके कराऊंगा।

श्री दिनेशराय डांगी : यह जानकारी मेरे पास नहीं है। माननीय सदस्य ने जानकारी दी है, उसकी जांच कराऊंगा।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : अध्यक्ष महोदय,

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या....

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री नाथूराम : पार्ट दो के प्रश्न का उत्तर दिया है, वह गलत है। वे निजी फायदा उठाना चाहते हैं इसलिए दूसरे को माल दे दिया है। ठेकेदार का नाम बताया है वह गलत है।

श्री अध्यक्ष : इसकी पुन: जांच कर लें। जैसा माननीय सदस्यों ने बताया है, उसके अनुसार जांच कर लें।

श्री दिनेशराय डांगी : मैं पुन: जांच करके माननीय सदस्यों को जानकारी दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह।

'ग्रो मोर फूड' स्कीम के अन्तर्गत जमीन का वितरण

४७७. श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) :

Page No. 19

(श्री श्योपतसिंह)

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) सरकार ने 'ग्रो मोर फूड' स्कीम के तहत ३-४-५ एस.एन.जी., तहसील हनुमानगढ़ में कितने लोगों को जमीनें दीं ?

(२) अब तक कितने लोगों को खातेदारी हक उस जमीन पर दिये जा चुके हैं और कितने लोगों की जमीन खारिज की जा चुकी है ? विवरण सदन की मेज पर रखा जावे ।

(३) खातेदारी हक किस आधार पर दिये गये हैं ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : अध्यक्ष महोदय, इसका भी उत्तर नहीं आया है ।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशकुमार ।

अलवर में एक और डिग्री कॉलेज का खोला जाना

४७८. **श्री सतीशकुमार शर्मा** (बानसूर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या अलवर जिले में एक और डिग्री कॉलेज खोलने की स्वीकृति गत वर्ष दी गई थी ? यदि हां, तो उक्त कॉलेज अब तक क्यों नहीं खोला गया है ?

(२) क्या सरकार अलवर में कॉलेज में पढ़नेवाली लड़कियों की संख्या को देखते हुए स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए गर्ल्स कॉलेज खोलने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा) : (१) अलवर जिले में एक और डिग्री कॉलेज खोलने की कोई स्वीकृति गत वर्ष नहीं दी गई थी ।

(२) सरकार का अभी कोई विचार नहीं है ।

श्री नत्थीलाल (नदबई) : अब क्या इरादा है ?

श्री परसराम मदेरणा : जो पहले था वह अब है ।

श्री सतीशकुमार शर्मा : क्या यह सही है कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की सिफारिश है कि एक हजार से ऊपर लड़के होने पर कॉलेज खोलना चाहिए ?

श्री परसराम मदेरणा : ऐसी सिफारिश यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन ने नहीं की है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या सरकार की योजना हर जिले में एक डिग्री कॉलेज खोलने की है ?

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशकुमार !

श्री परसराम मदेरणा : जहां तक सम्भव हो ।

श्री सतीशकुमार शर्मा : क्या यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की रिपोर्ट आपने पढ़ ली है ?

श्री परसराम मदेरणा : यूनिवर्सिटी

Page No. 20

(श्री परसराम मदेरणा)

ग्रान्ट कमीशन की रिपोर्ट जो १६५७ के बाद निकली है मैंने सब पढ़ी है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

ट्यूब–वैल्स

४७६. **श्री मोहरसिंह राठौड़ (चूरू)** : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में फतहगढ़ और बाड़मेर जिले में नोवला और बोतिया के पास सफलतापूर्वक ट्यूब-बैल्स की खुदाई हुई है?

(२) इन कुओं से कितना पानी प्रति घण्टा निकल सकता है?

(३) क्या सरकार के पास इस पानी को काम में लाने की कोई योजना है?

विकास मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां।

(२) फतहगढ़ के ट्यूब-वैल से २०,१०० गैलन पानी प्रति घण्टा निकल सकता है। नोवला और बोतिया के ट्यूब वैलों से कितना पानी निकल सकता है, इसके बारे में सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है।

(३) जी हां।

श्री मोहरसिंह राठौड़ : इस पानी को काम में लाने की सरकार की क्या योजना है?

श्री नाथूराम मिर्धा : खेती करवायेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : यह कब तक शुरू हो जायेगी?

श्री नाथूराम मिर्धा : सात दिन के बाद फाइनल ऑर्डर हो जायेंगे और फिर कार्यवाही शुरू होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गंगानगर

४८०. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि गंगानगर में राजकीय महाविद्यालय के होस्टल में विद्यार्थियों के लिए अकोमोडेशन (accomodation) बहुत कम है?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार होस्टल के विस्तार के प्रश्न पर तथा उसकी चार-दीवारी बनाने पर विचार कर रही है? अगर हां, तो यह कार्य कब तक शुरू हो जायेगा?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी नहीं, एकोमोडेशन बहुत कम नहीं है।

(२) वर्तमान होस्टल के अलावा दूसरा भवन किराये पर लेने के लिये सरकार प्रयत्नशील है, ताकि सब विद्यार्थियों को होस्टल में स्थान मिल सके। कॉलेज व होस्टल की चारदीवारी का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

प्रश्न संख्या ४८१

श्री अध्यक्ष : श्री उदयलाल बरदिया।

(अनुपस्थित)

श्री हरदत्तसिंह।

नोहर और भादरा में कॉलेजों की स्थापना

४८३. **श्री हरदत्तसिंह** (नोहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि भाखरा क्षेत्र में, जिसके अन्तर्गत हनुमानगढ़, नोहर और भादरा तहसीलें आती हैं, किसी भी तहसील केन्द्र में कोई कॉलेज नहीं है ?

(२) क्या सरकार नोहर और भादरा दोनों स्थानों में किसी एक स्थान पर कॉलेज खोलने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

श्री हरदत्तसिंह : इन तीनों तहसीलों में कोई भी कॉलेज की व्यवस्था नहीं होने पर क्या सरकार वहां पर कोई कॉलेज कायम करने का इरादा रखती है और अगर नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

श्री परसराम मदेरणा : जिले में चार कॉलेज हैं। दो तो सरकारी और दो गैर सरकारी। आप हनुमानगढ़ तहसील का सवाल लाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे जिले भी हैं जहां ५--५ और ६--६ तहसीलें हैं लेकिन अभी तक कॉलेज खोलने में हमें कामयाबी नहीं मिली है। इसलिये इन तीन तहसीलों में खोलने के लिये सरकार असमर्थ है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजस्थान में तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितने स्थानों पर कॉलेजेज़ खोलने की योजना सरकार द्वारा बनाई गई है ?

श्री परसराम मदेरणा : १०।

श्री हरदत्तसिंह : उसमें हनुमानगढ़ भी आता है या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : मुझे कुछ कम ही गुंजायश मालूम होती है।

श्री मुरलीधर व्यास : कोशिश करने पर हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भगराज।

नमक का उत्पादन और वितरण

४८२. **श्री भगराज चौधरी** (रानीवाड़ा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या यह सही है कि पचपदरा नमक उत्पादन का कोटा सरकार द्वारा ८० प्रतिशत प्रति वर्ष जिलेवार व्यापारियों को वितरण किया जाता है तथा शेष २० प्रतिशत पचपदरा के नमक व्यापारियों को दिया जाता है ?

(२) यदि हां, तो क्या सन् १९६१ के कोटे का माल तमाम व्यापारियों को वितरण कर दिया गया या कोटे का माल लैप्स हुआ ?

(३) यदि कोटे का माल लैप्स हुआ तो व्यापारियों की गलती से हुआ या राज्य सरकार की लापरवाही बरती जाने से हुआ ?

(श्री भगराज चौधरी)

(४) यदि सरकार की लापरवाही से हुआ तो ऐसा क्यों हुआ ? क्या आइन्दा लैप्स कोटे का वितरण फिर से किया जायेगा ? यदि हां, तो कब और किस प्रकार किया जायेगा ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) जी नहीं । वितरण इस प्रकार किया जाता है:—

जिलेवार व्यापारियों को ५० प्रतिशत ।

सांभर के व्यापारियों को २० प्रतिशत ।

पचपद्रा के व्यापारियों को ३० प्रतिशत ।

(२) सन् १९६१ के कोटे को, पचपद्रा के व्यापारियों के हिस्से को छोड़ कर, अन्य व्यापारियों को वितरित कर दिया गया ।

(३) पचपद्रा के व्यापारियों में किस नीति से नमक वितरित किया जावे, उसका निर्णय देरी से होने के कारण यह कोटा दिसम्बर, ६१ तक वितरित नहीं किया जा सका ।

(४) इस कोटे को चालू वर्ष में साधारण कोटे के अतिरिक्त देने का निर्णय किया गया है ।

श्री भगराज चौधरी : ऐसा क्या कारण था जिससे १९६१ का कोटा उनको नहीं दिया गया ?

श्री चन्दनमल वैद : डिसीज़न देर से हुआ था ।

श्री भगराज चौधरी : आपने तो पहले ही निर्णय ले लिया था कि जिलेवार व्यापारियों को ५० प्रतिशत व सांभर के व्यापारियों को २० प्रतिशत दिया जावेगा । ६१ में पचपद्रा के व्यापारियों को कोटा नहीं दिया गया, इसका क्या कारण था ?

श्री चन्दनमल वैद : मैंने निवेदन किया कि निर्णय देरी से हुआ था ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : यह निर्णय देरी से क्यों लिया गया ?

श्री चन्दनमल वैद : बहुत सी बातें होती हैं तय करने की ।

श्री भगराज चौधरी : क्या यह सही है कि व्यापारियों ने अपना वाजिब कोटा मांगा, उनको नहीं दिया गया ? क्या वह कोटा उनको अब दिया जाएगा ?

श्री चन्दनमल वैद : मैं यह कह चुका हूं कि ६२ में ६१ का कोटा बकाया था वह दे दिया गया ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री फूलचन्द जैन ।

खनिज सर्वेक्षण

४८४. **श्री फूलचन्द जैन** (सुजानगढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि खनिज विभाग की सर्वे पार्टी ने सुजानगढ़ तहसील के कस्बा बीदासर के पास तांबा तथा ग्राम भींवसर के पास व अन्य स्थानों पर चायना-क्ले प्राप्त होने की संभावनाएं प्रकट की हैं ?

(२) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उपरोक्त स्थानों पर शीघ्र ही पुन: सर्वे कराने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) बीदासर के पास तांबे की संभावना पाई गई है पर ग्राम भींवसर के पास चायना-क्ले की सम्भावना अभी तक प्रकट नहीं हुई है।

(२) जी हां, पुनः विस्तृत सर्वे कराया जायेगा।

श्री फूलचन्द जैन : कब तक सर्वे करा ली जावेगी और रिपोर्ट आपके पास पहुंच जावेगी?

श्री चन्दनमल वैद : सुना नहीं गया।

श्री फूलचन्द जैन : सर्वे की रिपोर्ट कब तक आपके पास आ जावेगी ?

श्री चन्दनमल वैद : अभी तक प्रिलिमिनेरी सर्वे हुई है। डिटेल्ड सर्वे तो अभी हुई नहीं है वह तो अब होगी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या बीकानेर स्टेट के जमाने में इसकी सर्वे कराई गई थी, इसकी जानकारी आपको है ?

श्री चन्दनमल वैद : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या सरकार शीघ्र सर्वे कराएगी और जल्दी काम शुरू करेगी ?

श्री चन्दनमल वैद : शीघ्रता की जाएगी।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : इसमें सरकार mines and Geology Department, Govt. of India की सहायता क्यों नहीं लेती ?

श्री चन्दनमल वैद : इसका भी चलता है।

एक माननीय सदस्य : चायना क्ले के लिये....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री नत्थीसिंह।

मेवों की आवास व्यवस्था

४८५. **श्री नत्थीसिंह** (गोविन्दगढ़) : क्या पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि सब-तहसील गोविन्दगढ़, जिला अलवर में बड़ी तादाद में ऐसे मेवों की है जिन्हें मकान व जमीनें अभी तक नहीं मिली है ?

(२) इस समस्या को हल करने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठाने का विचार कर रही है और यह कब तक हल हो सकेगी ?

उप-मन्त्री, पुनर्वास (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, इसका रिप्लाई उपलब्ध नहीं हो सका है; अतः इसको कल तक के लिए पोस्टपोन कर दिया जावे।

श्री नत्थीसिंह : सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष : कल उत्तर देंगे। पूरी जानकारी नहीं है।

नेक्स्ट; श्री ललितमोहन।

कर्मचारियों का बकाया वेतन

४८६. **श्री ललितमोहन** (गोगुन्दा सु.): क्या मन्त्री, वन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

वन विभाग, उदयपुर डिविज़न के कितने कर्मचारियों का सन् १९५१ एवं ५२ का वेतन आज तक बकाया है और क्यों ?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्री दिनेशराय डांगी) : सिर्फ एक फोरेस्टर द्वारा २ माह २० दिन बकाया के वेतन की मांग है। उदयपुर डिविज़न में १.८.५१ से २०.१०.५१ तक कोई फोरेस्टर का रिक्त स्थान नहीं होने से पेमेन्ट नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में विषय वन अधिकारी से उसका लास्ट पे सर्टिफिकेट मंगाया गया है, जिसके आने पर आगे कार्यवाही की जावेगी।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : सुनाई नहीं दिया, एक बार और पढ़ें तो अच्छा हो।

श्री दिनेशराय डांगी : सिर्फ एक फॉरेस्टर द्वारा २ माह २० दिन के बकाया वेतन की मांग है। उदयपुर डिविज़न में १.८.५१ से २०.१०.५१ तक कोई फॉरेस्टर का रिक्त स्थान नहीं होने से पेमेन्ट नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में विषय वन अधिकारी से उसका लास्ट पे सर्टिफिकेट मंगाया गया है जिसके आने पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : कुल कितनी रकम बकाया है ?

श्री अध्यक्ष : दो महीने २७ दिन की तनख्वाह बाकी है।

श्री विजयसिंह झाला : इतने अर्से से यह मामला क्यों पेन्डिंग पड़ा है और उसको तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही है ?

श्री दिनेशराय डांगी : यह आपको पता नहीं है। उनको तनख्वाह मिल रही है। सिर्फ दो महीने और २० दिन की तनख्वाह बाकी है।

श्री विजयसिंह झाला : इतना समय क्यों लग गया ?

श्री दिनेशराय डांगी : लास्ट पे सर्टिफिकेट नहीं आता है तो पे नहीं मिलती है।

श्री विजयसिंह झाला : इसके लिये कौन दोषी है, क्या इसकी जानकारी की गई ?

श्री दिनेशराय डांगी : प्रश्न यह है कि वहां फॉरेस्टर का पद नहीं था। बदली कहा गया था इसलिये झगड़ा था।

प्रश्न संख्या ४८७

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट कुमारी उमा माथुर।

बांधों की मरम्मत

४८८. **कुमारी उमा माथुर** (रामगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या अलवर जिले में कई छोटे छोटे बांध जिनसे कई हजार बीघा भूमि की सिंचाई हो सकती है, मरम्मत के अभाव में बेकार पड़े हैं ?

२. यदि हां, तो उनकी मरम्मत के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

कुमारी उमा माथुर : माननीय मन्त्री महोदय की इन्फॉर्मेशन गलत है। मैं आपको कुछ बांधों के नाम बताती हूं, मोर्या का बांध, बाकोली का बांध, हांडोली का बांध; इस प्रकार अलवर जिले में कई छोटे छोटे बांध हैं वे मरम्मत के अभाव में खराब हो रहे हैं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ५० एकड़ से कम सिंचाई के तालाब हैं उनको पंचायत समिति के सुपुर्द कर दिया है; इसके लिये सरकार ने तय कर दिया है।

कुमारी उमा माथुर : इसके अलावा मैं यह बता देना चाहती हूं कि डिपार्टमेंट के द्वारा इन बांधों की सर्वे भी हो चुकी है और एस्टीमेट भी आपके पास भेजे गये हैं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह मेरी जानकारी में नहीं है। अगर ऐसा होगा तो इसकी जांच कर ली जावेगी।

कुमारी उमा माथुर : कितने दिनों में ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जल्दी ही।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या सरकार को मालूम है कि पहले अलवर स्टेट थी उस समय उन्होंने तमाम बांधों का सर्वे करवा कर रिपोर्ट पेश की थी। उसमें आपके कैलाशनाथ भार्गव मौजूद थे और उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर इनकी मरम्मत कर दी जावे तो इर्रिगेशन काफी तरक्की कर सकता है; क्या सरकार की जानकारी इस सम्बन्ध में है और क्या सरकार इस पर अमल करना चाहती है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : रिपोर्ट की जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन छोटे २ सैकड़ों तालाब हैं जो पंचायत समितियों को सुपुर्द कर दिये गये हैं और वे जिनको ठीक कराने की आवश्यकता होगी कराये जावेंगे।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : क्या पंचायत समितियों को पैसा भी दिया गया है या बगैर पैसे के यों ही इन बांधों को पंचायत समितियों को सौंप दिया गया है कि मरम्मत करा लें ? पंचायत समितियों के पास आज इस किस्म का कोई पैसा नहीं है, जिससे कि वे मरम्मत करा सकें। इसके बारे में सरकार का क्या विचार है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पंचायत समितियों को हर साल रकम दी जाती है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : पंचायत समितियों को सौंप दिया है या पंचायत समितियों के भरोसे पर छोड़ दिया गया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : सौंप दिया गया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : पंचायत समितियों में इस तरह के काम के लिये ५० प्रतिशत श्रमदान की व्यवस्था है, तो क्या सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करेगी कि बिना श्रमदान के ही पूर्ण हो जायं ?

कुमारी उमा माथुर : ये बांध हैं जिनको मंत्री महोदय तालाब कह रहे हैं ये इतने छोटे

(कुमारी उमा माथुर)

छोटे नहीं हैं कि पंचायत समितियों के अन्तर्गत मिलनेवाले रुपये से ये ठीक हो सकें । इसके लिये मंत्री महोदय डिपार्टमेंट की ओर से क्या प्रबंध करवाने का आश्वासन देते हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : डिपार्टमेंट के अन्तर्गत होंगे तो ठीक करा दिये जायेंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो छोटे छोटे हैं उनको छोड़ कर सरकार इस प्रकार का आश्वासन दे कि बड़ों बड़ों को अपने आधीन लेकर सरकार उनका प्रबन्ध करेगी, क्या ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन । श्री रामानन्द अग्रवाल ।

अलवर में कपड़ा मिल खोलने की योजना

४८९. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(अ) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में अलवर शहर में कोई कपड़े की मिल लगाने की सरकार की कोई योजना है ?

(आ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की ओर से क्या क्या कदम उठाये गये हैं ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (अ) अलवर में सूती धागे के उत्पादन के लिए भारत सरकार ने एक पार्टी को हाल ही में लाइसेंस प्रदान किया है ।

(आ) भूमि, बिजली, पानी आदि की सुविधा सरकार लाइसेंस-होल्डर को यथा समय देने के लिए तत्पर है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : किसको लाइसेंस प्रदान किया है, लाइसेंसी कौन है ?

श्री चन्दनमल वैद : मेसर्स निहारीलाल वेनीप्रसाद, चांदनी चौक, देहली ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : स्पिनिंग होगी या वीविंग ?

श्री चन्दनमल वैद : स्पिनिंग ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कितने स्पिन्डल्स की होगी ?

श्री चन्दनमल वैद : १२,००० की ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कितने मजदूर काम कर पायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री आनन्दसिंह कछवाहा ।

जोधपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना

४९०. **श्री आनन्दसिंह कछवाहा** (जोधपुर 'अ') : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) जोधपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जोधपुर में कौनसी साइड तय की गई है ?

(२) इसका भवन निर्माण कार्य कब प्रारम्भ होगा तथा इसके प्रथम वर्ष के लिए

(श्री आनन्दसिंह कछवाहा)

खर्चे के लिए कितना रुपया स्वीकृत हुआ है ?

(३) क्या यह सही है कि इस विश्वविद्यालय के लिये बालसमन्द के नजदीक की जगह को जोधपुर के अधिकारियों व जनता ने सभी तरह से उपयुक्त माना है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि कुछ लोग इसका विरोध करके इस कार्य के लिए राजा-महाराजाओं के भी बंगले खरीदवाना चाहते हैं ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा) : (१) वर्तमान कॉलेजों के भवनों में ही इसका कार्य प्रारम्भ किया जावेगा ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(३) यह सुझाव खोसला समिति के समक्ष अवश्य रखा गया था; परन्तु इस समिति ने उपयुक्त निर्णय के लिए यह प्रश्न सरकार पर छोड़ दिया था और सरकार का विचार वर्तमान कॉलेज भवनों में ही यह विश्व विद्यालय चलाने का है ।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : क्या यह सही है कि इसके लिए छीतर पैलेस या अजीतसिंहजी का बंगला खरीदने की बात चल रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य की सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वह कुछ सोर्स प्रतीत नहीं होता ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या यह कमेटी के टर्म ऑफ रेफरेंस में था ?

श्री परसराम मदेरणा : यह टर्म ऑफ रेफरेंस में नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा ।

जागीरदारों द्वारा भाखरा क्षेत्र में खुदकाश्त भूमि के लिए दिये गये प्रार्थना-पत्र

४६१. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

भाखरा प्रोजेक्ट से सिंचित क्षेत्र में कितने भूतपूर्व जागीरदारों को काश्त की जमीनें अपने क्षेत्र की जमीनों की एवज में खुदकाश्त के लिये तबादले में दी गई ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) बीकानेर जिले के कितने भूतपूर्व जागीरदारों की इस उद्देश्य की दर्ख्वास्तें अब तक पेंडिंग हैं ?

(३) इन दर्ख्वास्तों का फैसला कितनी अवधि में कर दिया जावेगा ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : माननीय अध्यक्ष, इसका उत्तर नेक्स्ट टर्न पर दिया जायेगा ।

प्रश्न संख्या ४६२

श्री अध्यक्ष : श्री मनफूलसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री आनन्दसिंह कछवाहा !

लाइम स्टोन

४६३. **श्री आनन्दसिंह कछवाहा** (जोधपुर 'अ') : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री आनन्दसिंह कछवाहा)

(क) क्या पाटन के पास सरकार द्वारा लाइम स्टोन खोदने का कार्य विभाग की ओर से चालू किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो इस समय वहां कहां कहां से कितनी कितनी लाइम स्टोन की मांग के ऑर्डर आये हुए हैं ?

(ग) उक्त कार्य पर कितना रुपया अब तक मशीनों आदि में खर्च किया गया है ?

(घ) विभाग द्वारा जो लाइम स्टोन खोदा जा रहा है उस पर फी टन रेल्वे वैगन भरने तक का कितना खर्चा आता है ?

(ङ) विभाग के पास किस भाव में सप्लाई ऑर्डर लिए हुए हैं ?

(च) क्या जो खर्च फी टन आता है उसमें सरकार की रॉयल्टी भी जोड़ दी गई है ?

(छ) क्या यह सही है कि उक्त लाइम स्टोन खोद कर सरकार को सप्लाई करने के लिये विभाग द्वारा टेन्डर भी लिये गये हैं ? यदि हां, तो कम से कम टेन्डर कितने का था ?

(ज) अब तक विभाग ने कितना लाइम स्टोन ऑर्डरों के अगेन्स्ट में सप्लाई किया है ?

उप-मंत्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (क) जी हां।

(ख) फर्टीलाइज़र कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया नया नांगल से तीन साल तक के लिये ६०,००० मैट्रिक टन लाइम स्टोन प्रति वर्ष सप्लाई करने का ऑर्डर है।

(ग) कम्प्रेशर्स जैक हैमुरस, वैगन्स ड्रिल्स इत्यादि मशीनरी पर अब तक रुपये १,५६,३५६) खर्च हुए हैं।

(घ) गत ६ माह की अवधि में औसतन विभागीय व्यय रु० ५.५० न. पै. प्रति मैट्रिक टन के करीब रहा है।

(ङ) सप्लाई ऑर्डर रु. १०-५० न.पै.प्रति मैट्रिक टन एफ. ओ. आर. डाबला लिया हुआ है, जिसकी रॉयल्टी ०-३७ न. पै. प्रति मैट्रिक टन अलग है और ४ रुपये प्रति मैट्रिक टन ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज खनन् से डाबला रेल्वे स्टेशन तक का कम्पनी का काटा जाता है।

(च) जी नहीं।

(छ) जी हां, दो प्रकार के टेन्डर्स आये थे। एक कम से कम ४ रु० ६५ न. पै. प्रति मैट्रिक टन का था, जिसमें मशीनें विस्फोटक आदि का खर्चा ठेकेदार के जिम्मे था। दूसरा ३ रु. ७५ न० पै० का था जिसमें ठेकेदार ने सरकार से मशीनों व विस्फोटक का बिना मूल्य के उपयोग मांगा था। ये टेन्डर्स प्रोसीजरल डिफेक्ट्स के कारण नामन्जूर कर दिये गये।

(ज) अब तक ७,७५० मैट्रिक टन लाइम स्टोन सप्लाई किया है।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

भटावली बंध (भरतपुर) का पीड़ित क्षेत्र

४६४. **श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री नत्थीसिंह)

भरतपुर जिले के भटावली बंध के बाढ़ के पानी से कुम्हेर तथा भरतपुर तहसील का कितना रकबा पानी में रह जाता है और सरकार ने इस समस्या के हल के लिये क्या किया है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : लगभग ३०० बीघा रकबा पानी में रह जाता है । इसके लिये योजना बनाई जा रही है ।

श्री नत्थीसिंह : क्या योजना बनाई जा रही है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अगाई, धानन के तखमीने तैयार किये जा रहे हैं, रूंद का तखमीना तैयार कर लिया है। तखमीना स्वीकार किये जाने के बाद कार्य शुरू कर दिया जायेगा । ओराई योजना पर विचार किया जा रहा है ।

श्री नत्थीसिंह : इस योजना में क्या लागत लगेगी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : तीन-चार तखमीने हैं ।

श्री नत्थीसिंह : इस वर्ष में गांव पानी में नहीं डूबेगा ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इस वर्ष में तो तैयार नहीं हो सकेगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री कुमारानन्द ।

टैक्निकल स्कूल

४६५. श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार ब्यावर में टैक्निकल स्कूल की स्थापना करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा) : अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री कुमारानन्द : क्या आपको मालूम है कि ब्यावर एक बहुत पुराना इन्डस्ट्रियल सेंटर है ? हम चाहते हैं कि वहां ऐसा स्कूल खोलें ।

श्री परसराम मदेरणा : अजमेर ब्यावर से ३६ मील दूर है और वहां पोलीटैक्निक इन्स्टीट्यूशन है और साधारणतया टैक्निकल स्कूल सरकार डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर ही खोलती है, बशर्ते कि कोई प्लान हो ।

श्री कुमारानन्द : पोलीटैक्निक इन्स्टीट्यूट में क्या क्या विभाग हैं ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): सिविल मैकेनिकल एन्ड इलेक्ट्रिकल ।

श्री कुमारानन्द : क्या यह सही है कि इनमें से कोई एक डिपार्टमेंट वहां से हटाया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी हटाने की बात तो है नहीं ।

श्री कुमारानन्द : इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हटाया गया है । ऐसा मालूम पड़ता है कि आपके पास सूचना सही नहीं आई है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भगराज चौधरी ।

पहाड़ी भू-खण्डों में लकड़ी काटने व मवेशी चराने हेतु दी गई सुविधाएं

४६६. **श्री भगराज चौधरी** (रानीवाड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में पहाड़ों पर स्थित जंगलों में आसपास के निवासियों व काश्तकारों को लकड़ी काटने व मवेशी चराने आदि की क्या सुविधाएं प्राप्त हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि कोटा व बूंदी जिले के पहाड़ों पर स्थित जंगलों में से घरेलू व काश्त के कार्यों के लिये काश्तकारों को मुफ्त में लकड़ी काटने व मवेशी चराने की सुविधाएं प्राप्त हैं, जिस प्रकार की पुराने समय में सुविधाएं उपलब्ध थीं ?

(ग) क्या उपरोक्त सुविधाएं भीनमाल तहसील के सूंघामाता पहाड़ के जंगलों में भी काश्तकारों व आसपास के निवासियों को सरकार देने का विचार रखती है ?

(घ) यदि हां, तो कब तक उपरोक्त सुविधाएं दे दी जावेंगी ?

उप-मन्त्री, वन (श्री दिनेशराय डांगी): (क) जी हां, जो सुविधाएं इकाइयों के समय में प्रचलित थी वे अब भी चालू हैं।

(ख) जी हां, २४-११-५५ की विज्ञप्ति के अनुसार उपलब्ध हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भगराज चौधरी : कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो पहाड़ों पर के जंगलों में काश्तकारों और आसपास के लोगों को दी जाती हैं ?

श्री अध्यक्ष : वह तो विज्ञप्ति में देख लें।

श्री दिनेशराय डांगी : विज्ञप्ति में दर्ज हैं। बन्दोबस्त विभाग के अनुसार दी जा रही हैं, वे तीन केटेगरीज़ की हैं; फर्स्ट, सेकन्ड एण्ड थर्ड केटेगरी। ये तीन तरह की सुविधाएं दी गई हैं। पहली केटेगरी की सुविधा उन लोगों को दी जाती है जो कि जंगलों में आबाद हैं, दूसरी उनको जो उन जंगलों के पास ही आबाद हैं और तीसरी उन लोगों को जो जंगलों से दूर हैं; पर वहां की लकड़ियों को कम रेट पर ला सकते हैं। ये तीन दर्जे की सुविधाएं हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : विज्ञप्ति कौनसे वर्ष की है ?

श्री दिनेशराय डांगी : २४-११-५५ की है।

एक माननीय सदस्य : जो पुरानी सुविधाएं हैं उनको कोटा और बूंदी में ही लागू रखने का है या सभी राजस्थान में जहां पहले सुविधाएं थीं उन सब जगहों पर देने को तैयार हैं ?

श्री दिनेशराय डांगी : सब जगह एक तरह की सुविधाएं नहीं हैं, स्टेटों के समय में अलग अलग तरह की थीं, उसी तरह हैं।

Page No. 31

श्री भैरोंसिंह : क्या यह विज्ञप्ति फोरेस्ट एक्ट के अनुसार है ?

श्री दिनेशराय डांगी : सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष : जिस विज्ञप्ति का उल्लेख किया है वह फॉरेस्ट एक्ट के नीचे जारी की गई है; किस लीगल बेसिस पर जारी की गई है ?

श्री दिनेशराय डांगी : राजस्थान सरकार के द्वारा निकाली गई है।

श्री भैरोंसिंह : फॉरेस्ट एक्ट के तहत जारी की गई है या यों ही ?

श्री दिनेशराय डांगी : फॉरेस्ट एक्ट के तहत ही निकाली गई है।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, विज्ञप्ति में लिखा है, कानून के अनुसार है; पर यह सब दिखावा मात्र है। डिपो से डांडे वगैरह के चालीस-चालीस रुपये ले लेते हैं। ये सब वन विभाग द्वारा दिखावटी सुविधाएं बताई गई हैं, दरअसल कोई सुविधा नहीं दी जाती किसानों को।

(६. म. पू.)

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Sir, the question is not clear.

श्री अध्यक्ष : Reply has been given.

श्री रामानन्द अग्रवाल : उस सम्बन्ध में पूछा था कि जो सुविधायें पुराने समय में मिलती थीं वे सुविधायें फॉरेस्ट एक्ट के तहत किन जिलों में दी जा रही हैं और किन जिलों में नहीं दी जा रही हैं....

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे चुके हैं।

श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछ रहे हैं ?

(विराम)

प्रश्न संख्या ४६७

सड़क निर्माण

४६७. **श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द) : क्या मंत्री, वन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार की सीतला का चौड़ा-बदनोर (तहसील आसीन्द) की पत्थर की खानों तक तृतीय पंचवर्षीय योजना में खनिज विभाग द्वारा सड़क बनाने की योजना है ?

(२) यदि हां, तो इस सड़क का कार्य कब तक चालू हो जावेगा ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) अभी तक नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या आपने सर्वे और एस्टीमेट करवाये हैं ?

Page No. 32

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सर्वे और एस्टीमेट का सवाल ही नहीं है। थर्ड फाइव ईयर प्लान में रखी गई हैं, लेकिन फण्ड्स १६ लाख के मिले हैं उसमें से १५ लाख ५ हजार रुपया तो सेकन्ड फाइव ईयर प्लान के जो काम अधूरे रह गये हैं उनको पूरा करने में लगा दिये गये। रकम की कमी है। एक्स्ट्रा रकम हुई तो किया जा सकता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : प्रिफरेन्स किस बेसिस पर दिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष : श्री कुमारानन्द।

एडवर्ड मिल, ब्यावर

४६८. **श्री कुमारानन्द** (ब्यावर) : क्या उद्योग मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) एडवर्ड मिल, ब्यावर को राजस्थान सरकार ने सरकारी व्यवस्था में कब लिया था और उसको लेते समय कौन से अध्यादेश के अनुसार यह कदम उठाया था ?

(२) सरकारी व्यवस्था में यह मिल कितने समय तक रही ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त मिल को फिर प्राइवेट मैनेजमेन्ट में दिया गया है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या रहा ?

(४) क्या यह सच है कि जब सरकार ने एडवर्ड मिल को अपने हाथ में लिया था उस समय एडवर्ड मिल का मामला इन्डस्ट्रियल ट्रिब्युनल में पेश था और ट्रिब्युनल की बिना इजाजत अध्यादेश जारी किया गया ?

(५) क्या प्राइवेट मैनेजमेन्ट के हाथ में मिल को पुनः सौंपने के बाद भी अध्यादेश जारी है ?

(६) क्या जो अध्यादेश जारी किया गया था उसे वापिस लेने के लिये सरकार विचार कर रही है ?

(७) क्या यह सच है कि टैक्सटाइल वेज बोर्ड, १६६० की सिफारिश राजस्थान की टैक्सटाइल मिलों में लागू करने के लिये केवल आई.एन.टी.यू.सी. को ही बुलाया गया था ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) ७ अप्रेल, १६६० को भारत सरकार ने एडवर्ड मिल, ब्यावर को धारा १८ इन्डस्ट्रीज़ (डेवलपमेन्ट व रेगुलेशन) एक्ट, १६५१ के तहत सरकारी व्यवस्था में लिया था।

(२) एक वर्ष ५ महीने व २१ दिन मिल सरकारी व्यवस्था में रही।

(३) जी हां। लोक हित के दृष्टिकोण से व्यवस्था अनुपयुक्त होने की स्थिति समाप्त होते ही मिल की व्यवस्था वापिस सौंप दी गई।

(४) जी हां। मिल को सरकारी व्यवस्था में लेने के लिये ट्रिब्युनल की इजाजत लेना जरूरी नहीं था।

(५) जी नहीं।

(६) प्रश्न नहीं उठता।

(७) पहले दूसरी यूनियनों को भी

(श्री चन्दनमल वैद)

बुलाया गया लेकिन बाद में हड़ताल के गैर कानूनी घोषित होने के कारण केवल इन्टक को ही बुलाया गया।

श्री कुमारानन्द : क्या सरकार को मालूम है कि मिल का प्राइवेट मैनेजमेन्ट अभी जिसके हाथों में है वह इस मिल को लीज़ पर देने की कोशिश कर रहा है ?

श्री चन्दनमल वेद : वह तो शेयर होल्डर्स के पास है। लीज़ पर देना चाहते हैं या नहीं, यह मुझे नहीं मालूम।

श्री कुमारानन्द : एडवर्ड मिल को गवर्नमेन्ट ने लिया तो कितने मजदूरों की छंटनी हुई थी, कह सकते हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : This is a separate question.

श्री कुमारानन्द : आपकी जानकारी नहीं है; गवर्नमेन्ट ने जब एडवर्ड मिल को अपने हाथ में लिया था तो उस वक्त कितने मजदूरों की छंटनी हुई थी, क्या आपको इसकी जानकारी है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): यह एक अलग प्रश्न है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : नंबर ५ का जवाब नहीं दिया है।

श्री कुमारानन्द : सरकार ने मिल लिया तो मिनिमम वेजेज़ कमेटी के निर्णयानुसार उनको ६)रु० मिलना चाहिये था वह मिला या नहीं ?

('समझ में नहीं आया' इस प्रकार की आवाज)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : वेज बोर्ड के निर्णय के अनुसार मजदूरों को ६) रु० एक्स्ट्रा मिलना चाहिये था। वहां के मजदूरों को उनसे वंचित किया गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जहां तक मुझे मालूम है वेज बोर्ड ने जो फैसला दिया था वह राजस्थान की सब ही मिलों में लागू हो चुका था।

श्री कुमारानन्द : एडवर्ड मिल में लागू नहीं हुआ है। एडवर्ड मिल के मजदूरों को वंचित किया गया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आज आप इसकी जानकारी दे रहे हैं। सब जगह बोर्ड का फैसला लागू हो गया था। २) रु० देना बाकी था इस जगह, बाकी सब दे दिया था।

श्री कुमारानन्द : ६) रु० मिलने वाले थे। एडवर्ड मिल के मजदूरों ने शिकायत भी की थी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: ६) रु० मिलने का सवाल नहीं आता, क्योंकि ४) रु० तो गवर्नमेन्ट के कन्ट्रोल में मिलता था उस समय ही बढ़ा दिया था। २) रु० जोड़ देने चाहिये थे वे बढ़ाये गये या नहीं, जानकारी करूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : भाग ५ का जवाब नहीं मिला।

श्री चन्दनमल वेद:'जी नहीं' कहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : उनको सौंप क्यों नहीं दिया ?

श्री चन्दनमल वैद : आपने पूछा था कि "क्या प्राईवेट मेनेजमेन्ट के हाथ में मिल को पुनः सौंपने के बाद भी अध्यादेश जारी है" मैंने कहा, 'जी नहीं'।

श्री अध्यक्ष : श्री फतहसिंह।

बांध निर्माण

४९९. **श्री फतहसिंह** (चौहटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार को विदित है कि बाड़मेर जिले में चोहटन कसबे के पास की पहाड़ी से बरसात के मौसम में काफी पानी व्यर्थ ही बह जाता है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पहाड़ी के बहनेवाले पानी को जमा करने के लिये कोई बांध बनवा कर जिले की पानी की समस्या को हल करने की दिशा में कोई कदम उठाने जा रही है ?

(३) यदि हां, तो कब तक और अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है और बहुत थोड़ा पानी पहाड़ों से आता है।

(२) इन नालों पर कोई बांध नहीं बन सकता। इन पहाड़ों से बहुत कम पानी आता है तथा जो पानी आता है वह थोड़ी दूर रेत में समा जाता है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री फतहसिंह : उसके पास पहाड़ी के नीचे तलहटी में बांध बनाया जा सकता था।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पानी ठहरता नहीं है, रेत में समा जाता है। भरेगा ही नहीं तो उपयोग क्या है ?

श्री फतहसिंह : सीमेन्ट लगाकर बनाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) मेरा : प्रश्न रह गया है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान मन्त्रिमण्डल के सदस्यों द्वारा राजकीय मोटर गैरेज के वाहनों से यात्रा

१. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

दिसम्बर, १९६१ व जनवरी, फरवरी, १९६२ में राजस्थान मन्त्रिमण्डल के सदस्यों ने राजकीय मोटर गैरेज के वाहनों से कितने मील का सफर किया है और कौन कौन मन्त्री राजकीय वाहनों से कहां कहां गये हैं ? मंत्रिशः इसका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(मुख्य मंत्री)

उत्तर

चाही गई सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट '२' देखिये)

राजस्थान प्रदेश भारत सेवक समाज को सन् १९६१-६२ के लिए अनुदान

२. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

राजस्थान प्रदेश भारत सेवक समाज को सन् १९६१-६२ के लिये केन्द्रीय एवं राज्य सरकार से किस किस कार्य के लिये कितना कितना अनुदान अथवा ऋण दिया गया है तथा उसका कैसे प्रयोग किया गया ?

उत्तर

सूचना मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट '३' देखिये)

(९. १७ म. पू.)

पॉवर हाउस की कन्ज़र्वेन्सी शाखा के कुछ कर्मचारियों की छंटनी सम्बन्धी विषय पर ध्यान आकर्षित करना

श्री अध्यक्ष : श्री कुमारानन्द ।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत जोधपुर पॉवर हाउस में कन्ज़र्वेन्सी सेक्शन (Conservancy Section) के ११० कर्मचारियों की छंटनी के कारण उत्पन्न स्थिति की ओर मंत्री, विद्युत विभाग का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, जोधपुर में इन्टीग्रेशन के पहले म्युनिसिपल फंक्शन्स जो थे वे गवर्नमेंट के पास थे । उसके बाद जब राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना तो कन्ज़र्वेन्सी सेक्शन के फंक्शन्स को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लुक-आफ्टर करता था । यह गवर्नमेंट के विचाराधीन था चूंकि यह कन्ज़र्वेन्सी का जो काम है वह इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड से सम्बन्ध नहीं रखता है, इस वास्ते जब जोधपुर में केबिनेट मीटिंग हुई तब उस वक्त इस बात का डिसीजन लिया गया कि ये फंक्शन्स म्युनिसिपैलिटी को सौंप दिये जायं । इसके फलस्वरूप पांच लाख रुपया म्युनिसिपल बोर्ड को कर्ज दिया गया । जब ये फंक्शन्स म्युनिसिपैलिटी को सौंप दिये गये थे तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने जो टेक्निकल स्टाफ था उसको एब्ज़ोर्ब करने के बाद में बाकी के लिए नोटिस जारी किये । नोटिस सर्व होने के बाद कई माननीय सदस्य और वहां के लेबरवाले मिले । गवर्नमेंट ने निर्णय किया कि नोटिसेज़ विथड्रॉ किये जायं । नोटिसेज़ विड्रॉ हो गये । चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया गया है और उसको कहा गया है कि जो स्टाफ डिसलोज हुआ है उसको जल्दी से जल्दी एब्ज़ोर्ब किया जाय ।

राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक), सन् १९६२-६३ पर हुए वादविवाद का उत्तर

श्री अध्यक्ष : इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बजट ।

(श्री अध्यक्ष)

मन्त्री महोदय बहस का उत्तर देंगे ।

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बजट की बहस के दौरान में उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे हैं । जो जो बातें मेम्बरान ने रखी हैं उनको आपके सामने पेश करके जवाब दूंगा और जो जो भी सुझाव महत्वपूर्ण हैं इस बात की कोशिश की जावेगी कि हम किसी न किसी रूप से उन सुझावों को स्वीकार करें और उनका पालन करें ।

वैसे इस सदन के सामने जब चर्चा हुई तो कई माननीय सदस्यों ने यह बात रखी कि राजस्थान में विद्युतीकरण की चाल बड़ी धीमी है और पंजाब तथा और और प्रदेश-प्रांतों की मिसालें भी यहां रखी गईं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के पास, जैसा मैंने उस वक्त बताया था, कतई बिजली नहीं थी । आप यह कह सकते हैं कि बहुत कम और जो भी कुछ इन सालों में इस सम्बन्ध में किया गया है उसको देखते हुए, मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारी धन्यवाद के पात्र हैं ।

वैसे जो सुझाव आये हैं उनमें से कई सुझाव ऐसे हैं जिनको बहुत से माननीय सदस्यों ने डील किया है, वे करीब ६ हैं । पहला है राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड नुकसान में क्यों जा रहा है ? यह सही बात है कि नुकसान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में है और इसके कई वजूहात हैं । वे वजूहात मैं माननीय सदस्यों के सम्मुख पेश करना चाहता हूँ । एक वजह तो यह है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध हो, जैसा कि कई कम्पनीज़ या कॉर्पोरेशन्स के पास होती है उसको जो केपीटल मिलता है उस पर कोई इन्टरेस्ट नहीं देना पड़ता । राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर जो असेट्स ट्रान्सफर हुए हैं वे कर्ज के रूप में हुए हैं और जो मशीनरी या और चीजें इन्टीग्रेशन के बाद बोर्ड के फॉर्मेशन के पहले जितने भी असेट्स थे सारे के सारे ट्रान्सफर हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को उस पर इन्टरेस्ट देना पड़ता है । यही एक कारण है जिसके जरिये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बजट नुकसान या घाटे में दीखता है । दूसरी कम्पनीज़ में इक्विटी शेयर्स होते हैं । इक्विटी शेयर्स का कोई इन्टरेस्ट नहीं लिया जाता । डिविडेन्ड डिक्लेयर किया जाता है वह शेयर होल्डर्स को मिलता है । पुराने असेट्स जितने भी ट्रान्सफर हुए हैं आज इन्टरेस्ट जोड़ा जाता है जिसकी वजह से यह बजट घाटे में दिखता है ।

दूसरा यह कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को प्रोफिट मेकिंग कन्सर्न भी नहीं होना चाहिये । सही मायने में यह युटिलिटी कन्सर्न है । इसमें सबसे ज्यादा काम यह होना चाहिए, राजस्थान पिछड़ा हुआ प्रान्त रहा है; ऐसी जगह जहां पर बिजली नहीं पहुंचा पाते वहां पर हम बिजली पहुँचायें ताकि राजस्थान की जनता को फायदा हो सके । दूसरी जहां ऐसी स्कीम्स हैं जो रेम्युनरेटिव नहीं हैं लेकिन हमें लेना पड़ता है; इस लिहाज से कि धीरे धीरे लोड डेवलप हो । किसी भी गांव में लाइन ले जाई जाती है वहां एकदम लोड डेवलप हो

(श्री हरिश्चन्द्र)

जाय, यह संभव नहीं है। ग्रेजुअली लोड डेवलप होता जायेगा। हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड धीरे धीरे प्रोफिट करने लगेगा लेकिन आज की आज बिजली पहुँच जाय और आज ही प्रोफिट होने लग जाय, यह संभव नहीं है।

इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मसला है वह है औद्योगीकरण का। राजस्थान के लिये हमें यह विचार करना पड़ेगा कि क्या हमें राजस्थान में उद्योग-धंधे लगाने हैं या नहीं। जहां तक मेरी मान्यता है, राजस्थान के पास विद्युत के सिवाय कोई ऐसी चीज नहीं जिसका आप टेम्पटिंग ऑफर दे सकें। राजस्थान में हम अब तक इस पोज़ीशन में पहुंच चुके हैं जिससे आसानी से बिजली उद्योग-धन्धों के लिये दे सकते हैं। अगर बिजली की रेट ऊंची होगी तो कोई इन्डस्ट्री या कोई उद्योग धंधा पनप नहीं पाता। इस वास्ते यह महत्वपूर्ण मसला है। इसलिये माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि राजस्थान का हमें औद्योगीकरण करना है तो कोई न कोई कन्सेशन, अट्रेक्टिव ऑफर करने होंगे जिसकी वजह से यहां इन्डस्ट्रीज़ लग सकें। कोई भी प्रान्त हो, जहां इन्डस्ट्रीज़ नहीं होंगी वह प्रान्त आर्थिक दृष्टि से समृद्धिशाली नहीं हो सकता। इसलिये जो कन्सेशन दिये हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की रेट के बारे में वे परमानेन्ट कन्सेशन्स नहीं हैं, टेम्परेरी हैं, कोई पांच साल के लिये, कोई दस साल के लिये। टेम्परेरी कन्सेशन्स नहीं दें तो कोई भी यहां आने के लिये तैयार नहीं। राजस्थान बीच का प्रान्त है। यहां से पोर्ट्स दूर हैं, यहां का ट्रान्सपोर्ट सिस्टम एडीक्वेट नहीं, जिससे चीप ट्रान्सपोर्ट मिल सके। सिर्फ बिजली ही एक ऐसी चीज है जिसके जरिये हम इन्डस्ट्रीज़ यहां कायम कर सकते हैं। अगर कोई टेम्परेरी कन्सेशन्स दिये भी जायं तो मैं समझता हूं कोई अनुचित बात नहीं होगी। हमारे प्रान्त को उठाना है, इन्डस्ट्रीज़ को यहां डेवलप करना है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते कि जो कन्सेशन्स दें वे आप सेपरेट सब्सिडी के रूप में तय कर दें; सरकार क्रेडिट दे दे—किस चीज के लिये कितनी रेट दे आदि—ताकि इसको बिज़नेस लाइन पर चलाया जा सके?

श्री हरिश्चन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो कुछ कहा है सरकार उस पर जरूर गौर करेगी। लोड हम केलकुलेट करते हैं किसी गांव में दस साल के लिये फेज़ किया जाता है। दस साल में रिटर्न मिल सकता है तो ये स्कीम्स ली गई। आज का आज किसी भी चीज़ का रिटर्न नहीं मिल सकता लेकिन दस साल का अर्सा निकल जाता है, लोड डेवलप हो जाता है तब वह लाइन रेमुनरेटिव है।

दूसरा पोइन्ट उठाया गया कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड घाटे में जा रहा है। मैं यह महसूस कर रहा हूं। बोर्ड वालों से भी इस बारे में डिस्कस किया है। उनका कहना यह है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने करवट बदली है। वे आशा करते हैं कि अगले साल इस सदन के सामने घाटे का बजट नहीं पेश करके इस बात की कोशिश करेंगे कि सरप्लस बजट पेश किया जाय।

इसके अलावा जनरल पोइन्ट उठाया गया वह यह कि जो टार्गेट्स मुकर्रर थे वे अचीव नहीं हुए हैं। यह जरूर है कि जो इलेक्ट्रि-

(श्री हरिश्चन्द्र)

फिकेशन के टार्गेट्स रखे हैं वे कई दूसरे प्रान्तों से कम हैं। इसकी वजह यह है कि पर्याप्त धनराशि हमारे पास नहीं है। इसको तस्लीम करना पड़ेगा कि जब हम दूसरे प्रान्तों को कम्पेयर करते हैं तो इस बात के लिये कमर कसनी पड़ेगी कि हमें भी इतनी धनराशि मिले ताकि उसी पैमाने पर चला सकें। जितनी धनराशि मिलती है उसके हिसाब से राजस्थान ने उसके अनुरूप कदम आगे उठाये हैं। इसमें दो राय नहीं हो सकती।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सन् १६६१-६२ में ४ करोड़ ६६ लाख रुपया मिला जिसमें से ४.५८ लाख ही खर्च कर पाये ; ३८ लाख अन-यूज़्ड रहा।

श्री हरिश्चन्द्र : हमारे पास फन्ड्स नहीं थे। यह जो आप कह रहे हैं वह मेटीरियल के लिये था। मेटीरियल के लिये आज का आज ऑर्डर किया जाय और वह आज ही प्राप्त हो जाय, ऐसी बात नहीं। ज्यों ज्यों मेटीरियल आता रहता है उसके हिसाब से पेमेन्ट किया जाता है। जहां मेटीरियल के आने में देरी होती है तो वहां पेमेन्ट में भी देरी होती है। इस तरह से जो पीछे अमाउन्ट बच जाता है वह अमाउन्ट है जो आप बता रहे हैं।

इस तरह से १२३ लॉकेलिटीज़ को इलेक्ट्रिफाइ करने का प्रोग्राम रखा था ६१-६२ में। ६५ का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, बाकी का जून तक हो जायेगा। जून के आखिर तक जितना भी इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोग्राम था वह कम्प्लीट हो जायेगा। १२ से १५ तक बाकी रह जायेंगे वह इसलिये कि जयपुर में जो लाइन आनेवाली थी उसमें डिले हुई है। जयपुर को हाइडल पॉवर से कनेक्ट करने के बाद यह हो सकता है।

नीमच से निम्बाहेड़ा तक इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो सका उधर के गांव रह जाते हैं। १२ से १५ गांव ऐसे हैं उनके लिये कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी, इस साल के आखिर तक इलेक्ट्रिफाई हो जायं; उनको बिजली मिल जाय ताकि हमारे टार्गेट्स पूरे हो जायं।

वैसे ३३ के. वी. का टार्गेट ६१–६२ का हमने ७६ परसेन्ट अचीव कर लिया है।

थर्मल जेनरेशन का जहां तक सवाल था हमने टार्गेट को एक्सीड किया है। टार्गेट के फिगर २८.१४५ किलोवाट का था, इसकी एवज में हमने ३३,२८० किलोवाट जेनरेशन किया है। तो इस तरह से इसमें एक्सीड भी किया है।

फिर महत्वपूर्ण सवाल था सर्विस रूल्स का कि ये फ्रेम नहीं हुए। इसके मुतल्लिक अर्ज करना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट से ट्रान्सफर हुआ है स्टाफ वह इस वक्त आर.-एस. आर. से गाइड हो रहा है। हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को हिदायत की है कि वह जल्दी से जल्दी इन रूल्स को बनावे और बना कर उनको लागू करे। सदन में कई बार यह मामला रेज़ हुआ है और वक्तन फवक्तन बोर्ड को हिदायत की है कि वह जल्दी से जल्दी अपने वे रूल्स फ्रेम करें। इसके फलस्वरूप उसने कोशिश भी की है और रूल्स भी फ्रेम हो रहे हैं और मैं समझता हूँ कि अब

(श्री हरिश्चन्द्र)

जल्दी से जल्दी रूल्स जो लागू हो जावेंगे। प्रोमोशन के रूल्स हैं, सर्विस रेगुलेशन के रूल्स हैं; तो ये सारी बातें उनके सामने रख दी गई हैं और उन्होंने इस बात का विश्वास दिलाया है कि हम पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी लागू हो जावें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): अब तक जो प्रोमोशन दिये गये वे किसके अनुसार दिये गये ?

श्री हरिश्चन्द्र : आर. एस. आर. के अनुसार हुए हैं और इसमें काइटेरिया युज़ुअली सीनियोरिटी—कम मेरिट को रखा गया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : जो सर्विस उनकी गवर्नमेंट के अन्दर थी और जिनकी यहां सर्विस ट्रान्सफर हो गई उनकी वह सर्विस काउन्ट होगी कि नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : जरूर होगी।

दूसरा प्रश्न रखा गया था रीइम्प्लॉयमेंट ऑफ रिटायर्ड पर्सन्स का। जनसंघ से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का इस सिलसिले में पिंजरापोल से हवाला दिया था। तो इसके लिये मुझे यह कहना है कि रिटायर्ड पर्सन्स राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हैं, पर उनकी संख्या इतनी अलार्मिंग नहीं है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउन्ट्स ब्रांच में टोटल स्ट्रेन्थ २५४ है, जिसमें रिटायर्ड पर्सन्स ७ हैं और जो चीफ इन्जीनियर का और ऑर्गेनाइजर का विभाग है उसकी टोटल संख्या २८५ है, जिसमें से ७ रिटायर्ड इन्जीनियर्स हैं। तो यह कोई अलार्मिंग पोज़ीशन नहीं है कि सब के सब रिटायर्ड आदमी ही रखे जाते हों।

एक बात ध्यान में....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर): सब स्टाफ में से नहीं, कुल कितने इन्जीनियरों में से ये रिटायर्ड कितने हैं, यह बताइये ?

श्री हरिश्चन्द्र : एक बात ध्यान में रखनी चाहिये कि यह एक नया ऑर्गेनाइज़ेशन है। राजस्थान के पास हाइडल पॉवर पहले थी नहीं। एक्सपीरियन्सड हैंड्स हमारे पास थे नहीं। ऐसी सूरत में रिटायर्ड को ले लिया तो यह अनुचित नहीं है। यह जरूर देखा जावेगा कि परमानेन्टली रखा जावे तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। पर जहां कमी है, इन्जीनियरों की शॉर्टेज है तो इनको रखना जरूरी हो जाता है, काम को ठीक तरह से चलाने के लिये। दूसरे बोर्डों में भी लिये जाते हैं। राजस्थान में ही हों, ऐसी बात नहीं है। मध्यप्रदेश, और और जगह भी लिये जाते हैं। तो मैंने निवेदन किया कि लिये गये हैं हमारे यहां भी, पर फिर भी यह अलार्मिंग फिगर नहीं है।

एक जो महत्वपूर्ण मसला यहां पेश किया गया था वह था ई. एस. आई. स्कीम के मुतल्लिक। यह स्कीम लेबर डिपार्टमेन्ट के फैक्टरी एक्ट के तहत लागू करने के लिये हमने बोर्ड को लिखा और अब यहां तक पोज़ीशन चली गई है कि अगर लागू नहीं करते हैं

(श्री हरिश्चन्द्र)

तो बोर्ड के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। तो इस वास्ते यह जरूरी हो जाता है कि ई. एस. आई. स्कीम को लागू किया जावे। अब हम लेबर विभाग से यह नेगोशियेशन कर रहे हैं कि बोर्ड को इन रूल्स से एग्जंम्पट कर दे। अगर कर देते हैं तो ई. एस. आई. स्कीम लागू नहीं होगी। पर कानून के तहत अगर यह स्कीम लागू करना जरूरी हो जाता है और जैसा बताया जाता है कि बीस से ज्यादा आदमी जहां काम करते हों तो वहां फैक्टरी एक्ट के अनुसार ई. एस. आई. लागू होता है तो इसलिये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी ई. एस. आई. स्कीम लागू करनी पड़ेगी।

श्री भैरोंसिंह : क्या आप यह बता सकते हैं कि बोर्ड की किन सर्विसेज़ पर फैक्टरी एक्ट लागू होता है और किन पर आर. एस. आर. लागू होता है ?

श्री हरिश्चन्द्र : आर. एस. आर. तो स्टाफ पर है और जो गजटेड स्टाफ है या उससे गवर्न हैं उन पर ; बाकी के जो लेबर हैं उन पर फैक्टरी एक्ट लागू होता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ई. एस. आर. की स्कीम के बजाय क्यों नहीं आर. एस. आर. ही सब पर लागू कर देते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : एक महत्वपूर्ण सवाल और रखा गया। जो एक्स रूलर्स हैं उनकी इलेक्ट्रिफिकेशन के पुराने आउटस्टेन्डिंग की वसूली के बारे में सवाल किया गया। करीब तीन महीने पहले जो एरियर्स थे वे १६,०५, ५४८) रु० था। इसके बाद कोशिश की गई कि जल्दी वसूली हो तो अब जो अमाउन्ट रह जाता है वह है ११,११,०५५) रु०। सन् ५७ में जब यह बोर्ड बना तब यह फिगर २५,२८, ०४२) रु० था। तो धीरे धीरे वसूल करने की कोशिश की जा रही है। ज्यादा अमाउन्ट रूलर्स में नहीं है। सिर्फ दो हैं; जयपुर और जोधपुर। उनमें जो है उसके फिगर्स ये हैं; जोधपुर में ६,७७,६८२) रु. और जयपुर में ३,५१,२०७) रु०।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अदा नहीं करने के लिये इनके द्वारा प्ली क्या ली जा रही है ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसमें उन्होंने ऑब्जेक्शन यह उठाया है कि कॉवेनेन्ट में कई शर्तें हैं और उनमें की एक शर्त के अनुसार एग्ज़ेम्पशन उनको मिलना चाहिये। जो बिल्डिंगें उनके पास है उनमें फ्री बिजली मिलती है। तो इस बारे में सरकार और इन एक्स-रूलर्स के बीच में नेगोशियेशन्स चल रहे हैं कि किस तरह से इसे निपटाया जावे और क्या अमाउन्ट फिक्स हो सकती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार इस बारे में जागरूक है और कार्यवाही कर रही है। ऐसी बात नहीं है कि मामला खटाई में पड़ा हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १४ लाख की वसूली में ऐसा तो नहीं है कि राइट ऑफ कर दिया हो या वास्तव में कुछ रीयलाइज़ की गई है ?

श्री हरिश्चन्द्र : राइट ऑफ भी हो सकता है। पर मेरा खयाल है, ज्यादातर वसूली ही हुई है; क्योंकि मेरे पास से भी वसूल हो गई है।

Page No. 41

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके अगेन्स्ट में तो बहुत थोड़ा सा आउट स्टेन्डिंग था, पर जिनके अगेन्स्ट में ज्यादा था तो वह कहीं राइट ऑफ तो नहीं कर दिया गया है ?

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : यह धीरे धीरे वसूली क्यों की जा रही है इनसे, जब कि किसान और मजदूरों से आप अगर वसूली करते हैं तो वह संगीनों की नोक पर और कुड़कियों से वसूल कर लेते हैं ? इनसे इस तरह धीरे धीरे क्यों किया जा रहा है, इसका क्या कारण है ?

श्री हरिश्चन्द्र : धीरे धीरे वसूली की बात नहीं है । इनको सर्टेन एग्ज़ेम्पशन्स कॉवेनेन्ट के नीचे मिले हैं । तो इन एग्ज़ेम्पशन्स के इन्टरप्रिटेशन का सवाल है । वे एक तरह से इन्टरप्रेन्ट करते हैं और सरकार दूसरी तरह से करती है । तो इसलिये जब तक इन्टरप्रिटेशन ठीक न हो तो कैसे वसूली हो ? तो यह मैटर ऑफ नेगोशियेशन्स से तय होगा । कोई जाकर उनसे छीनना नहीं है । नेगोशियेशन करके लेने का सवाल है ।

श्री हरिराम चौहान : धीरे धीरे करके छोड़ दिया जावेगा, यह भी हो सकता है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऐसा कर सकते हैं आप । जैसे आप जनता से पहले पैसा वसूल कर लेते हैं और अगर छोड़ना है तो बाद में छोड़ देते हैं इसी तरह आप इनसे भी पेमेन्ट तो ले लीजिये जितना आपका बकाया निकलता है । बाद में वे अपील करके ले सकते हैं, जैसे आम–साधारण नागरिक लेता है । तो यह तरीका आप इनके साथ भी क्यों नहीं अपनाते ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह मामला सरकार के जेरं गौर है । इसे जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश की जावेगी ।

इसके बाद एक जो मसला उठा बिजली की दरें कम करने का । जैसा मैंने निवेदन किया राजस्थान सरकार के सामने यह प्रश्न विचाराधीन है । बोर्ड के सामने भी है कि किस तरह से यह रेन्ट स्ट्रक्चर तैयार किया जाय, अलग अलग सिस्टम्स का अलग अलग स्ट्रक्चर हो या यूनिफाइड हो और यह जब तक निर्णय नहीं हो जाता है तब तक जो रेट्स इस वक्त हैं उनको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं होगा । तीन-चार महीनों में यह मामला तय हो जावेगा और जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वह राजस्थान की जनता के हित को ध्यान में रख कर बनेगा ।

जनसंघ के नेता, जयपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने कई मामले उठाये हैं जिनको मैंने नोट किया है । वे कुल छः मामले हैं । पहला मामला उन्होंने कॉपर वायर का उठाया; जैसा बताया गया इस बात की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई कि कॉपर वायर यहां से भवानीमन्डी के लिए कैसे डिस्पेच हुआ और कैसे वह बीच में उड़ गया । पर ऐसी कोई जानकारी न तो बोर्ड के पास है, न सरकार के पास है । अगर आप मेहरबानी करके इसके अन्दर जानकारी दें कि कब रवाना हुआ, कौन ले गया, किस ऑर्डर से हुआ, आपके पास और विशेष जानकारी हो तो आप हमें दें तो मैं हाउस के सामने कह सकता हूं; we will enquire into the matter और उसके लिए जो भी उचित कार्यवाही होगी करेंगे । लेकिन

Page No. 42

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब नेहरूजी कोटा डैम का उद्घाटन करने के लिए गये थे उस समय यह कॉपर वायर भेजा गया था और श्री पृथ्वीसिंहजी ने ३० पेज की रिपोर्ट दी थी। कागज मेरे पास तो हैं नहीं, आप ही मालूम करें।

श्री हरिश्चन्द्र : इसके लिए आप हम से और मिल लें। I will enquire into the matter. दूसरा आपने सवाल उठाया था टॉवर्स का कि जो गांधीसागर से सवाई माधोपुर पर लगने चाहिए थे लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कोई खास प्लानिंग करके जयपुर से सवाईमाधोपुर पर लगा दिये। उसके मुताल्लिक मुझे माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना है कि जो पहले टावर्स ऑर्डर हुए वह एक फर्म है इटेलियन एस० ए० ई० मिलानो; इनको ऑर्डर प्लेस किया था कि यह सप्लाई करो। इसके बीच में चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड और सेन्ट्रल पॉवर कमीशन ने यह तय किया कि जो स्ट्रेच सवाई माधोपुर से गांधीसागर का है उसका स्टील प्रोक्योर करके हिन्दुस्तान में ही वे फेब्रिकेटेड हों टावर्स। तो इस बात की कोशिश की गई कि स्टील बाहर से आये और जो स्ट्रेच सवाईमाधोपुर से जयपुर का था वह मिलानो के पास रहा। तो वह स्टील इटेली से ही आई और टावर्स फेब्रिकेटेड होकर आये। तो मैं यह कह सकता हूं कि जो आपने कहा कि आपने वहां क्यों नहीं लगाये तो वह नहीं लग सकते थे, क्योंकि वह हैं सिंगल सरकिट के और जो सवाईमाधोपुर से गांधीसागर के हैं वे हैं डबल सर्किट के। These are two different towers. उनको वहां लगा नहीं सकते हैं। इसलिए सवाई-माधोपुर से जयपुर उनको लगा दिया। सिंगल सरकिट के हैं और दूसरे स्टील में देरी आने में हुई, स्टील नहीं आ पाया और मैं आपको बता देता हूं कि इन इन फर्म्स को ऑर्डर्स प्लेस हुए थे : अमीनचन्द, बंगाल कॉर्पोरेशन, बजाज एण्ड ओवरसियर्स ट्रेडर्स कम्पनी, प्रेमराज गणपतराज और बाजोरिया एजेन्सीज़, कलकत्ता। इन फर्म्स के ऊपर स्टील को प्रक्योर करके चम्बल बोर्ड ने ऑर्डर्स प्लेस किये। इनकी तरफ से डिले हुई और उसके लिए एक्सटेन्शन दिया गया। इसलिए फेब्रिकेशन वालों के पास स्टील नहीं पहुंची और वे टॉवर्स अब बन कर पहुंचे हैं और अगर आप कोटा से रवाना हों तो आप देखेंगे कि टॉवर्स लग गये हैं, तार भी खिंच गये हैं।

माननीय नेता, जनसंघ ने यह कहा था कि जो स्टाफ रिक्रूट होता है वह एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेन्ज के थ्रू नहीं आता है। इसकी जानकारी करने से मालूम हुआ है कि यह स्टाफ सारा का सारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज के थ्रू आता है और इसमें ऐसी बात नहीं है कि स्टाफ जो रिक्रूट किया जाता है वह एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेन्ज के थ्रू नहीं आता है। वहां से जितनी भी एप्लीकेशन्स आती हैं उन्हीं में से स्टाफ को रिक्रूट किया जाता है।

एक माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया कि कुछ कन्डेन्स्ड ट्यूब खरीदी गई थीं। इसके लिए मैं और जानकारी करूंगा कि यह क्या मामला है और वह जानकारी करके सदन के सामने रखूंगा।

(श्री हरिश्चन्द्र)

इसके अलावा एक शोर्ट नोटिस क्वेश्चन एक माननीय सदस्य ने रखा था कि इनकम टैक्स रिटर्न्स १६५७-५८ के भरे हैं या नहीं ? मैंने इसकी जानकारी की है और मालूम हुआ है कि १६५७-५८ के रिटर्न्स भर दिये गये हैं।

नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने ३ आपत्तियां उठाई ; एक तो अजमेर अमेल्गेमेटेड कम्पनी को एक्वायर क्यों नहीं किया गया और एग्रीमेन्ट उससे क्यों हुआ ? माननीय सदस्य ने यह आपत्ति उठाई, इसमें मुझे यह अर्ज करना है कि एमेल्गेमेटेड कम्पनी के साथ गवर्नमेंट ने यह एग्रीमेन्ट किया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी रेट हाइडल की होगी उसी रेट पर अजमेर की जनता को पॉवर सप्लाई की जाय। जिस समय यह एग्रीमेन्ट हुआ तो राजस्थान सरकार के सामने यह पोज़ीशन आई, क्योंकि राजस्थान सरकार के पास या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास इतनी धन-राशि नहीं है कि वह एक करोड़ रुपया एमेल्गेमेटेड कम्पनीवालों को दे दे और उस केपीटल को ब्लॉक कर दे। तो हमने यह उपयुक्त समझा कि जो हाइडल रेट से राजस्थान की दूसरी जनता को बिजली मिलती है वह अगर अजमेर की जनता को मिलती है तो एक करोड़ रुपये को वहां हम ब्लॉक कर दें तो मैं समझता हूं कि उचित नहीं था और इसीलिए ही यह एग्रीमेन्ट किया गया और एग्रीमेन्ट में यह शर्त हैं कि जो एमेल्गेमेटेड कम्पनी है वह अजमेर की जनता को जो हाइडल रेट्स नियुक्त की जायेंगी उसी के अनुसार वह सप्लाई करेगी। अगर माननीय सदस्य एग्रीमेन्ट की कॉपी लेना चाहें तो वह बोर्ड से मिल सकती है, उसको वे खुद ले सकते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सवाल तो यह है कि उसको क्या कन्सेशन्स दिये ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह अलग सवाल है। आप अगर एग्रीमेन्ट देख लें तो हम डिस्कस कर सकते हैं इस मामले को। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कुछ हाइड करना चाहते हैं या गवर्नमेन्ट नहीं बताना चाहती है। लेकिन यह अलग प्रश्न है। मैंने एग्रीमेन्ट में इस बात का ध्यान रखा है कि वहां की जनता को नुकसान न हो और रेट वही रहेगी। इससे हमारे पास जो एक करोड़ रुपया था, जो हमारे और एक्सटेन्शन के प्रोग्राम्स हैं वे रुक जाते यदि हम इस अमेल्गेमेटेड कम्पनी को कम्पेन्सेशन के अन्दर यह रकम दे देते। तो वह एक करोड़ रुपया बचा कर हमने कुछ और काम करने का सोचा है....

श्री अध्यक्ष : मैं इस संबंध में एक प्रश्न और पूछ लूं कि जो हाइडल रेट पर अजमेर में वह कम्पनी सप्लाई करेगी पॉवर, तो वह अपनी खुद की जेनरेट की हुई करेगी या आप उसको जेनरेट करेंगे और वह केवल डिस्ट्रीब्यूट करेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : डिस्ट्रीब्यूट करेगी।

श्री अध्यक्ष : तो इस रेट पर आप भी कर सकते थे।

श्री हरिश्चन्द्र : अगर उसी रेट पर कि जिस रेट पर हम जयपुर की जनता को सप्लाई करते हैं उसी रेट पर सप्लाई करते हैं तो हम

(श्री हरिश्चन्द्र)

१ करोड़ उनको कम्पेन्सेशन का देते तो वह एक करोड़ रुपया ब्लॉक हो जाता। इसलिए उस अमाउन्ट को बचाने के लिए यह एग्रीमेन्ट किया गया है।

दूसरी जो आपत्ति उठाई थी वह हट्टूंडी की उठाई थी। उसके लिए माननीय सदस्य को यह फीलिंग था कि हट्टूंडी में भी यह अमेल्गोमेटेड कम्पनी का एक्सटेन्शन हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो एक्सटेन्शन है यह सरकार का है। अभी तो वे सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को और हम उसको वहां ले जा रहे हैं। उनके एक्सटेन्शन का प्रश्न नहीं उठता। वह गवर्नमेन्ट ही करेंगी, अमेल्गमेटेड कम्पनी नहीं करेगी। वह बोर्ड को पॉवर रोल कर रही है और हम उसे अपने खर्चे से ले जा रहे हैं।

तीसरा सवाल नसीराबाद का था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और हमारे पास नसीराबाद से कई कम्पलेन्ट्स पहुंची हैं कि वहां पर बिजली की जो जेनरेशन है वह ठीक नहीं है और मैं उनकी इस बात को तस्लीम करता हूँ और हमने सन् १९६२–६३ के प्रोग्राम में नसीराबाद को इलेक्ट्रिफाइ करने का रखा है।

बीकानेर से आनेवाले माननीय सदस्य....

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : बीकानेर नहीं, लूणकरणसर।

श्री हरिश्चन्द्र : लूणकरणसर से आनेवाले माननीय सदस्य ने ३ आपत्तियां उठाई हैं। उन्होंने पहली आपत्ति तो यह उठाई कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मेम्बरान का कॉमर्शियल आउट-लुक नहीं है। इसके लिये हिदायत जितने भी इंजीनियर्स हैं उनके पास बोर्ड से दी गई है कि उनका सोचने का और जनता के साथ व्यवहार करने का तरीका बदलना चाहिये और मैं आशा करता हूँ कि यह तरीका धीरे धीरे–ग्रेजुअली बदल जायेगा और यदि माननीय सदस्यों के सामने इस प्रकार का कोई प्रश्न आवे तो आप नोटिस में लावें, हम जरूर कार्यवाही करेंगे।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि बजट कन्सल्टेटिव कमेटी के पास नहीं आया। शायद उनके पास ठीक जानकारी नहीं पहुंची है। कन्सल्टेटिव कमेटी के पास पहले बजट गया था और बाद में यहां पेश हुआ।

तीसरी बात आपने यह उठाई कि बीकानेर से जामसर की लाइन पुरानी है, तब्दील नहीं की गई। यह बोर्ड के एक्टिव कन्सीडरेशन में है, लेकिन क्योंकि धनराशि की कमी है इसलिए जैसे ही धनराशि उपलब्ध होगी हम इस लाइन को तब्दील करेंगे।

अलवर से आनेवाले माननीय सदस्य ने ७ आपत्तियां उठाईं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट सदन के सामने आनी चाहिये। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ और मैंने बोर्ड के चेयरमैन से बात की है और वे भी महसूस करते हैं कि एक छोटी रिपोर्ट इस तरह की तैयार की जाय हर साल और वह सदन के सामने बजट के मौके पर पेश की जाय, ताकि हरेक माननीय सदस्य को महसूस हो कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या प्रोग्रेस की है, रूल्स एण्ड रेगुलेशन्स क्या क्या हैं; एक सिनोप्सिस बना कर माननीय सदस्यों के सामने रखा जाय।

(श्री हरिश्चन्द्र)

उनकी एक आपत्ति यह थी कि अलवर के किसानों को बिजली नहीं दी जाती है। इस पर मैंने जानकारी की है। हो सकता है कि अभी हमारी लाइन बन रही है। माननीय सदस्य को यह सोचना चाहिये कि इमीजियेट-ली हम किसानों के पास जब तक ट्रान्समिशन लाइन नहीं खिंच जाती है तब तक बिजली नहीं पहुँचा सकते। अलवर के तीन माइल के गांवों में बिजली देने का प्रावधान किया है, बोर्ड से बातचीत हो गई है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इन्क्रीज़ करने के लिये बिजली चाहते हैं तो उनको बिजली मिलनी चाहिये और इसके लिये कोशिश की जायेगी। माननीय सदस्य के पास सुझाव हों, जहां नहीं पहुंची हो २, ३ माइल के रेडियस में और वे चाहते हैं तो मैं बोर्ड को तवज्जोह दिलाऊंगा।

एक जो सुझाव रखा गया था एक्सेसिव इन्सपेक्शन फीस के लिये; जो माननीय सदस्य ने कहा था कि यह गैर-कानूनी चीज है। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह गैर कानूनी नहीं है, कानून के तहत लगाई गई है,लेकिन यह मैं जरूर मानता हूं कि जो सिस्टम इवोल्व हुआ है, जिस तरीके से ली जाती है उससे हार्डशिप होती है। इस फीस को किसी न किसी तरह से लोड फैक्टर से कनेक्ट किया जाय,जिसका ज्यादा लोड हो वह ज्यादा पे करें, कम हो वह कम पे करे। मैं मानता हूँ कि यह अच्छा सुझाव है। अधिकारियों से डिस्कस करके जल्दी से जल्दी ऐसा रास्ता निकालेंगे जिसके जरिये लोड फैक्टर से कनेक्ट हो।

एक आपत्ति उनकी यह थी कि म्यूनिसि-पैलिटीज़ को कन्सेशन रेट्स दिये जायं। म्यूनिसि-पैलिटीज़ को हम ऑलरेडी कन्सेशन देते हैं। उनकी रेट में और कन्ज्यूमर्स की रेट में काफी फर्क है। मैं समझता हूं, इससे ज्यादा और हम नहीं कर सकते।

माननीय सदस्य ने एक बात यह कही कि अलवर डिस्ट्रिक्ट को इग्नोर किया है। ऐसी वजह नजर नहीं आती है कि अलवर डिस्ट्रिक्ट को इग्नोर किया हो। कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वहां पर गांवों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचे, कल्टीवेटर्स को फायदा हो। २६ विलेजेज़ में इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोग्राम रखा था उनमें से १६ में बिजली पहुंच गई है और बाकी १० हैं, उनमें भी जल्दी से जल्दी पहुंचाई जाएगी। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि जहां जहां बिजली पहुंचती है आप यह देखें कि कल्टी-वेटर्स उससे फायदा उठा रहे हैं या नहीं, कुंओं तक बिजली जा रही है या नहीं। इसकी तरफ ध्यान रखेंगे तो आपका और हमारा मकसद हल होगा। अक्सर गांव वाले कहते हैं कि बिजली लाओ। लेकिन जब बिजली पहुं-चती है तो कोई लोन लेने को तैयार नहीं होता है। इसलिये हमने सोचा है कि डिस्ट्रि-क्ट वाइज़ कमेटी बनाई जाय जिसमें एम. एल. एज़. हों, प्रधान और प्रमुख हों, कलेक्टर और हमारे अधिकारी हों। वे प्लान करें कि किस तरह रूरल एरिया में बिजली ले जा सकते हैं और किस तरह किसानों को तकावी मिले ताकि वे पम्प खरीद सकें। कई जगह महसूस किया गया है कि वहां तक बिजली जाती है तो उनके पास धनराशि नहीं होती और वे पम्प नहीं खरीद सकते। इधर ध्यान दें ताकि कल्टीवेटर्स पम्प खरीदें तो हमें भी लाभ होगा और उनको

(श्री हरिश्चन्द्र)

भी बिजली मिलेगी । २६ गांवों को इलेक्ट्रिफाइ करने का प्रोग्राम है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखा जाय । बाकी अलवर को इग्नोर करने की बात नहीं है ।

फिर आपने कहा कि बानसूर को बिजली देंगे ; यह इसलिए रखा गया है कि वहां के मिनिस्टर थे इसलिये वहां बिजली पहुंची । लेकिन यदि कोटपुतली बिजली जाती है तो बानसूर रास्ते में आता है उसको कैसे छोड़ा जाय ? बानसूर पहला स्टेज है । बानसूर से कोटपुतली ले जायेंगे । पैसा होता तो सीधी पहुंच जाती । लेकिन पैसा नहीं होने से एक जगह पहुंची है । इस साल कोटपुतली तक पहुंचने का रखा है....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अलवर से थर्मल पॉवर कोटपुतली ले जायेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी हां । दूसरा पोइन्ट था एक लाइन तब्दील हो रही है । उसके पीछे यह बात है, आपने कहा प्लानिंग ठीक नहीं था । लेकिन हमने पंजाब से बातचीत की और १ हजार किलोवाट बिजली भाखरा से मिलनेवाली है । लेकिन जब तक ३३ के. वी. न हो, अलवर तक नहीं पहुंच पाती, बीच में रोकना ठीक नहीं । अलवर तक पहुंचा दें और भाखरा से १,००० किलोवाट ले लें और अलवर की कमी को भाखरा से पूरी करें । आगे के प्लान में अलवर और भरतपुर को राजगढ़ होकर कनेक्ट करेंगे ताकि एक गिल्ड बनता चला जाय । इसलिए जो लाइन की जा रही है वह अनुचित नहीं है । अभी पंजाब से लिखा हुआ आया है कि वे १,००० किलोवाट बिजली देने को तैयार हैं, इसलिए इसको स्ट्रेन्थन किया जाय ।....

श्री रामानन्द अग्रवाल : हाइडल पॉवर चम्बल से नहीं आयेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : गांधीसागर से नहीं आ सकती, राणा प्रतापसागर से ।

बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने ६–७ आपत्तियें उठाई थीं । उनमें से एक आपत्ति थी कि झालावाड़ में बिजली पहुंच गई, दूसरी जगह नहीं पहुंची । मैं समझता हूं कि यह आपत्ति निराधार है, और जगह भी बिजली दी है । मैं समझता हूँ कि बूंदी से १३-१४ मील दूर एक गांव है वहां बिजली दे रहे हैं ; वहां काम हो रहा है । इसके अलावा झालावाड़ में दस गांव थे, वहां बिजली दी है । वहां हर गांव में पम्प लग चुके हैं । मैं मौके पर गया हूँ । मैंने देखा है कि गांव वालों ने पम्प लगाये हैं ; यहां तक कि एक गांव में २० पम्प लगे हैं । इसलिए ऐसी जगह जहां के लोग तेजी से चाहते हैं वहां बिजली न लगायें तो मैं समझता हूं कि उचित नहीं है, भले ही वे झालावाड़ के गांव हों । बूंदी में गांव वाले दस पम्प लगाने के लिए तैयार हो जायं तो....

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : लाखेरी के बारे में क्या विचार है ? लाखेरी में पॉवर हाउस बन गया है और वहां गांव वाले बीस पम्प लगाने के लिए तैयार हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र : लाखेरी पहुंच जाय बिजली, फिर दे सकते हैं । अभी कैसे दे सकते हैं ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : लाखेरी पहुँच गई है, पॉवर हाउस कम्प्लीट हो गया है।

श्री हरिश्चन्द्र : पॉवर हाउस कम्प्लीट हो गया तो गांधी सागर से बिजली पहुँचने के बाद ही बिजली दे सकते हैं। आपकी समझ में आई ? (विराम) माननीय सदस्य के समझ में आई ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : बिजली आ गई है, दस दिन में चालू हो जायगी।

श्री हरिश्चन्द्र : बिजली चालू हो जाय तब ही सकता है। पहले तो कैसे हो सकता है ? इसके अलावा....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : गांधी सागर में....

श्री हरिश्चन्द्र : एक आपत्ति उठाई, आंकड़ों में कुछ गलती है। मैं नहीं समझता उन्होंने किस तरह आपत्ति उठाई। मैंने, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बजट के ऑफिसर हैं उनसे बातचीत की। उन्होंने यह कहा कि पेज २०६ के ऊपर जो फीगर दिया गया है वह ६,६६,०६० का तो जेनरेशन का है और ६,८२,२०० का जो है वह डिस्ट्रिब्यूशन का है। उन्होंने यह भी कहा कि जो पेज ३६४ और ३६७ है उसमें ६,७२,४६२ है और ३६७ में ५,७६,६६५ है। तो ये जो पहले फिगर्स बताये हैं जो जनरेशन और डिस्ट्रिब्यूशन के फिगर्स बताये हैं उनमें फिगर ऑफ टी. ए. और कॉन्टीन्जेन्सी एडेड हैं। इस वास्ते वह डिफरेन्स आ रहा है। मैं समझता हूं कि इसमें और कोई गलती नहीं है। मैंने खुद ने देख लिया है ; अगर माननीय सदस्य यहां होते तो और कह सकते थे....

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने पर केपिटा कन्ज़म्पशन के फिगर दिये हैं रिपोर्ट में, उसमें आपने पॉवर जनरेट करने में जो बिजली खर्च होती है उसको शामिल करके निकाला है या एक्सक्लूड करके निकाला है ? मेरे ख्याल से उसको शामिल करके निकाला है।

श्री हरिश्चन्द्र : किस बात को ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : पर केपिटा कन्ज़म्पशन का फिगर दिया है, उसमें जो पॉवर हाउस में बिजली जेनरेट करने में खर्च होती है बिजली उसको एक्सक्लूड किया जाना चाहिये और फिर जो टोटल जेनरेट होती है उसको टोटल पोपुलेशन से डिवाइड करके पर केपिटा कन्ज़म्पशन निकाला जाना चाहिये। यह आम तरीका है। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि यह फिगर उसे एक्सक्लूड करके नहीं दिया है वर्ना जो पर केपिटा कन्ज़म्पशन होता वह और थोड़ा होता।

श्री हरिश्चन्द्र : एक आपत्ति उन्होंने, बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने, उठाई थी कि तीन हजार का फिगर है वह ३६७ पेज पर है, वह इनकरेक्ट है और उन्होंने रनिंग टोटल में गलती बताई थी। तो वह टोटल जो है उन्होंने खुद ने गलत किया है। वह तीन हजार जो है और पीछे का जो रनिंग टोटल आता है उसको जोड़ेंगे तो जो टोटल है वह करेक्ट होता है। वे माननीय सदस्य यहां होते तो उनको मैं समझा सकता था; वे हैं नहीं।

राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने पांच पोइन्ट उठाये थे। उनके लिए मुझे निवेदन करना है। एक तो उन्होंने कहा था कि

(श्री हरिश्चन्द्र)

एक्सपेन्डीचर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बहुत होता है। उसके आंकड़ों के अनुसार इस वक्त १६ लाख का अनुमान होता है और बोर्ड का जो एक्सपेन्डीचर ओन रेवेन्यू और केपीटल है वह ६,४४ लाख के करीब है। तो इसका पर्सेन्टेज वर्क आउट होता है वह करीब १.७ पर्सेन्ट आता है। मैं समझता हूं, वह ज्यादा साइड पर नहीं है। ताहम भी बोर्ड ने डिसीज़न लिया है कि इण्डस्ट्रियल कन्सल्टेन्ट बिज़नेस मैनेजमेंट के कन्सलटेशन से एक कमेटी नियुक्त करें कि कहां कहां कमी हो सकती है। यह बोर्ड ने निर्णय लिया है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद देख लेंगे कि कहां कहां कम कर सकते हैं। वैसे जो फिगर आता है वह १.७ का आता है और वह एक्सेसिव नहीं, जितना कि हम सोचते हैं।

राजसमन्द के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कहा। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए हाइडल के लिए कहा था। जब भी वहां बिजली पहुंचेगी तो लोड सर्वे करने के बाद अगर प्रोजेक्ट ले सकते हैं तो जरूर लिया जाय। मैं यह जरूर कहूंगा कि उन्होंने कहा था कि वहां आसपास के गांवों में कुंओं में बिजली पहुँचायी जाय। उसके लिए निवेदन करना है कि मैंने चीफ इन्जीनियर से कहा है कि वे उस मामले को सर्वे करवा लें और वहां कुंओं के अन्दर बिजली पहुंच सकती है, तीन-चार गांव हैं वहां; तो वहां बिजली पहुचाने की कोशिश की जाय।....

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अगर पांच हजार की आबादी के कम के गांव हैं, ऐसे आसपास तीन, चार गांव हैं उनकी आबादी मिला कर पांच हजार होती है और वे कुंओं में पम्प सेट लगाना चाहते हैं तो क्या आप आश्वासन देंगे कि वहां बिजली दी जा सकती है ?

श्री हरिश्चन्द्र : देखिये, मैंने जिस दिन यह कहा था, उस दिन माननीय सदस्य मौजूद नहीं थे। मैंने कहा था कि हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि १९६४ के अन्त तक और १९६३–६४ तक, ६४ के अन्त तक कोई गांव राजस्थान में न रहे, जिसकी पोपुलेशन पांच हजार के ऊपर की हो, जहां बिजली न पहुंचे। ऐसे गांव, जहां की आबादी पांच हजार से ऊपर है, वहां बिजली पहुंचायी जाय, एक बात। दूसरी बात, मैंने निवेदन की कि जो ट्रान्समिशन लाइन जा रही है, जो बड़ी जाती है यानी १३२ या ६६ के. डब्ल्यू. को उसको टेप नहीं कर सकते, लेकिन ११ और ३३ के. डब्ल्यू. की लाइन है उसको टेप करके जो ऐसे गांव हैं जिनमें वहां के काश्तकार बिजली लेना चाहें और बिजली लेकर एग्रीकल्चर को प्रोडक्शन बढ़ाना चाहें और ऐसे गांव मिलते हैं जो एक-एक, दो-दो मील दूरी पर हैं वहां भी बिजली लाई जायेगी, यह कहा था और उसको आज भी कह रहा हूं। अब वहां यह नहीं हो कि बिजली लाइन वहां खींच दें और वहां बिजली लेने वाले मिले नहीं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह आपका काम है, आप जाकर देखें कि जो बिजली जाती है उसको लेने के लिए वे काश्तकारों को मदद दिलवायें ताकि वे पम्प लगायें। अगर एक बार पम्प लग जायेंगे तो आगे उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जायेगी और बाइ इमीटेशन दूसरे आदमी भी लगाने लग जायेंगे। यह प्रोसेस

(श्री हरिश्चन्द्र)

चलने के बाद राजस्थान में दिक्कत नहीं आयेगी। इसलिए मैं निवेदन करता हूं....

श्री विजयसिंह झाला : ट्रान्समिशन लाइन से बिजली ली जायेगी; उसका खर्चा गांववालों से लिया जायेगा, यह रिपोर्ट में है।

श्री हरिश्चन्द्र : इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक आदमी तीन मील दूर पर एक कुंए के लिए लाइन खिचवाना चाहे तो लाइन का पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अगर लोड जस्टीफाई करता है कि बिजली लाइन खींच दी जाय तो खुद खिंचवा देगी सरकार। जैसे एक मील की दूरी पर एक गांव है। उस एक गांव में दस आदमी पम्प लगाने के लिए मिल जाते हैं, वे पम्प इन्स्टाल्ड कर दें तो हम खुद लाइन खिंचवा देंगे। अब एक मील पर अगर आधा होर्स पॉवर के लिए पम्प लगाना चाहें तो हम कहेंगे, यह रेगुलेटेड नहीं है। तुम पैसा दो तो लाइन खिचवा देंगे। यह है आपकी समझ में आया ? This must be remunerative. मैंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चीफ इंजीनियर को कहा है कि इस रूल को ट्रान्सलेट करके इस तरह करें कि हर एक आदमी के, हर एक काश्तकार के नोटिस में आ सके और वह समझ सके। आज यह कहें कि साढ़े बारह परसेन्ट रेम्युनरेटिव होना चाहिए तो यह काश्तकार की समझ में नहीं आ पाता है। इसलिए इसकी भाषा ऐसी कर दीजिये कि जिससे वह आसानी से समझ जाय और आसानी से उसको समझा दिया जाय,

(१०.० म. पू.)

लेकिन अगर आपका गांव दो मील की दूरी पर है तो उसी तरह से फॉर्मूला बना दिया जावे ताकि हर एक काश्तकार को समझावें और उनको समझाने से उन पर काफी असर होगा।

मैं एक बात राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई थी उसके बारे में कहूंगा और बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने भी आपत्ति उठाई, उन्होंने बोर्ड के कम्पोज़िशन पर आपत्ति उठाई और कहा कि चीफ इंजीनियर और टैक्निकल सलाहकार सदस्य दोनों अलग अलग होने चाहिये, क्योंकि जब बजट आता है तो चीफ इंजीनियर टैक्निकल सदस्य के पास पेश करें ताकि वह उसे अच्छी तरह से स्क्रूटेनाइज़ कर सके। मैं समझता हूं कि उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिया है और मैं बोर्ड को गवर्नमेन्ट की तरफ से कॉम्युनिकेट करूंगा कि जब बजट में इसके लिये प्रावधान है तो अलग अलग क्यों नहीं रखे जावें। It should be made by two separate branches, because the Technical Branch and the Chief Engineers's Branch are two separate things.

ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने दो आपत्तियें उठाई। एक तो यह कि वहां हाइड्रो पॉवर कब तक पहुंचेगी ? मैं यह बता देना चाहता हूं कि इसी साल का प्रोग्राम है। उसमें हमने अजमेर से ब्यावर को रखा है। जयपुर से अजमेर जावेगी और वहां से ब्यावर। मैं समझता हूं कि ६२–६३ के एण्ड तक जब हम फाइनेन्शियल बजट बन्द करेंगे तब तक हम ब्यावर तक पहुंचा देंगे।

(श्री हरिश्चन्द्र)

एक उन्होंने तार के लिये कही थी। उसका मैंने जवाब दे दिया था।

आसींद से आने वाले माननीय सदस्य ने दो आपत्तियें प्रस्तुत कीं। मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर बिजली पहुंचाने के बारे में कुछ दिक्कतें हमारे सामने पेश आती हैं। चारों तरफ से वह दूर है, कहीं से २६ मील पड़ता है तो कहीं से २४ मील दूर है। अगर कोई लोड जस्टीफाई होता हो और वहां की डिमाण्ड की पूर्ति करता है तो मैं कोशिश करूंगा और अगर लोड जस्टीफाई नहीं करता है तो मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि जैसा मैंने कह दिया है कि इसकी सर्वे करावें ताकि सर्वे रिपोर्ट आने पर मैं और डिस्कस कर सकूं।

इसके अलावा आपने कहा कि भीलवाड़ा अणु शक्ति का केन्द्र होना चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी और वह कमेटी यहां पर भी आई थी और उन्होंने कई जगहों का साइट भी देखा। था उनको राणा प्रतापसागर का साइट सबसे ज्यादा पसन्द आया है; मगर जैसा मैंने आपसे कहा कि अभी इस पर निर्णय नहीं हुआ है, इस लिये इसका क्या फाइनल डिसीज़न होगा और फाइनल पिक्चर निकलेगी उसके लिये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मगर यह अणु शक्ति का केन्द्र राजस्थान में जरूर लगना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : सर्वे के सम्बन्ध में सदस्यों की कोई कमेटी मुकर्रर की गई है ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह इलेक्ट्रिक बोर्ड की तरफ से होगा। रायसिंहनगर से आनेवाले माननीय सदस्य ने आपत्ति उठाई कि मध्य प्रदेश में एक ही युनिट चल रहा है और गांधी सागर में दो युनिट हैं। मैंने इस सम्बन्ध में जानकारी की और मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर एक युनिट नहीं, दो चल रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : कब से चल रहे हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : वह डेट मेरे पास नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुझे मालूम हुआ कि वहां दो युनिट चल रहे हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : आप यही कह देते कि दो चल रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जब मैं भाषण दे रहा था उस समय मुझे मालूम नहीं था।

श्री हरिश्चन्द्र : आपने कहा कि Erection of Poles machinery से होना चाहिये। आपको यह तो मालूम ही है कि कि हम यहां पर वही चाहते हैं कि जिससे लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके दिलाया जाए: जितनी एम्प्लॉयमेंट की पोटेन्शियेलिटी बढ़ाई जा सके; बढ़ावें। इसलिए मेन लेबर को काम मिलना चाहिये। अगर मशीनों से काम करेंगे तो आदमी कम काम करेंगे और आदमियों की कमी हो जावेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरी मंशा आदमियों को कम करने की नहीं है लेकिन ज्यादा मशीनें लगाने की है जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा।

श्री अध्यक्ष :Please don't interrupt.

श्री हरिश्चन्द्र : मशीनों से काम होगा तो आदमियों की कमी अवश्य करनी होगी। आपका कहना है कि मशीनें लगाई जावें और मैन लेबर नहीं लगाया जावे ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह मेरा मतलब नहीं....

श्री अध्यक्ष : Order please ! Order !! Please listen.

श्री हरिश्चन्द्र : दूसरे माननीय सदस्य ने कहा कि थर्मल स्टेशन तो हनुमानगढ़ और सवाई माधोपुर में नहीं लगा। यह मामला कमीशन में आया था। इसके पीछे बैक ग्राउन्ड एक ही है कि सस्ती बिजली होनी चाहिए और वह तभी हो सकती है जब वह उस जगह लगे जहां ज्यादा सहूलियतें हों। यह सहूलियत सतपुड़ा में है। इसलिये यह निश्चय किया गया कि सतपुड़ा में लगाया जावे ताकि cost of ganeration नीची रहे। सवाई माधोपुर में लगाते हैं तो कॉस्ट ज्यादा बैठती है, सस्ती बिजली नहीं मिल सकती। इसलिये सी० पी० डब्ल्यू० डी० ने निर्णय लिया था उसके बाद में यह तय हुआ था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Point of information, Sir, क्या हनुमानगढ़ में पलाना का कोल सस्ता नहीं है ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसका जवाब मैं दूंगा, यह प्रश्न श्री मुरलीधर व्यास ने उठाया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पलाना से हनुमानगढ़ भी नजदीक है।

श्री हरिश्चन्द्र : थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने खोदर्भा में बिजली के प्राप्त नहीं होने के बारे में कहा और आपत्ति उठाई। इसके लिये मुझे यह अर्ज करना है कि अगर कोई माइनिंग चलाते हों उसके लिये अगर बिजली की जरूरत पड़ेगी तो हम अवश्य उनको बिजली सप्लाई करेंगे। वे इसके लिये मांग करें और हम नहीं दें तो आप कहें। हमारे पास कोई मांग नहीं आई कि वहां पर कोई माइनिंग प्रोसेस चल रहा है। मैं इसके लिये यह निवेदन करूंगा कि जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि वहां पर माइनिंग प्रोसेस शुरू किया गया है और बिजली नहीं आने से नहीं चल रहा है, यह जानकारी मुझे नहीं है।

बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने आठ आपत्तियें उठाईं। पहली आपत्ति यह कि भाखरा से जो पॉवर मिल रहा है उसका फुल्ली युटिलाइज़ेशन नहीं हुआ। मैं यह निवेदन करूंगा कि ६०–६१ में जो पॉवर उपलब्ध था उसमें से ५,००० का उपभोग कर सके। जनवरी ६१ में २१ हजार और मिला है। चूंकि हमारा ग्रीव सब–स्टेशन तैयार नहीं था इसलिए उसको युटिलाइज नहीं किया गया। हम १० से १२ हजार युटिलाइज़ करेंगे, बाकी फिर गेप बचेगा वह हमेशा रहेगा। क्योंकि लोड बचेगा। टोटल क्वान्टिटी मिलेगी २१ हजार की।

(श्री हरिश्चन्द्र)

एक आपत्ति उन्होंने सिंथल विलेज में बिजली नहीं पहुंचने के सम्बन्ध में की। मैंने जानकारी इस सम्बन्ध में की। मुझे बताया गया कि शायद मेटीरियल की कमी से नहीं पहुंची है....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : नापासर से एक मील का अन्तर है।

श्री हरिश्चन्द्र : मुझे जो बताया गया है कि वहां पर लाइन पहुंच गई है। वहां बिजली आपको मिलेगी। हो सकता है कि दो सिंथल हों।

एक माननीय सदस्य : ट्रान्सफोर्मर नही है।

श्री हरिश्चन्द्र : ट्रान्सफोर्मर आने पर आपको बिजली मिलेगी। Net work of lining हो गया है। इसके अलावा उन्होंने यह आपत्ति की कि यहां पर एक करोड़ रुपया विहिकल्स के लिये है। विहिकल्स ३० लाख के आसपास हैं। जीप और दूसरे विहिकल्स की आवश्यकता रहती है और जो खरीदी जाती है यह गलत नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : सारे राजस्थान में....

श्री हरिश्चन्द्र : यह इसलिये खरीदी जाती है कि काम अच्छी तरह से, जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि स्टील गर्डर्स आदि ले जाने पड़ते हैं।

आपने लिग्नाइट के लिये कहा और यह भी कहा कि देशनोक में बोरिंग होना चाहिए। इसके लिये वहां पर कुछ रुपये अलग रखे गये हैं। इसके लिये वहां पर पांच लाख की धनराशि रखी गई है। अगर वहां पर पानी पर्याप्त हो सकता है तो उसके लिये कोशिश की जावेगी। शायद इलेक्ट्रिक बोर्ड भी इसके लिये कुछ खर्च कर रहा है और कुछ अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड भी खर्च कर रहा है। इस तरह से कुल पांच लाख रुपया रखा गया है।

एक बात बीकानेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने यह रखी कि जयपुर में कोई रेस्ट हाउस मजदूरों के लिये नहीं है सो बनाया जावे। मैं समझता हूं कि अभी यह मांग अर्ली है, क्योंकि और जगह कहीं भी इस तरह का रेस्ट हाउस नहीं है। मैं उनका इस रेस्ट हाउस से मतलब नहीं समझा। हमारे यहां लेबरर्स के लिये रेस्ट करने के लिये स्थान है। थर्मल स्टेशन है वहां लेबर जाकर रेस्ट करते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : बाहर से ऑफिसर्स आते हैं उनके लिये व्यवस्था है, लेकिन कर्मचारियों के लिये कोई ठहरने की व्यवस्था नहीं है, जो बाहर से आते हैं। उनको पैसा बहुत कम मिलता है और ठहरने का इन्तजाम नहीं होने से उनको बड़ी दिक्कत रहती है।

श्री हरिश्चन्द्र : उनसे मैं और बातचीत करूंगा कि किस तरह से सुविधा हो सकती है और जानकारी करके अर्ज करूंगा।

इसके अलावा उन्होंने लोन के लिये कहा कि उनको ऐसे लोन ग्रान्ट होने चाहिये ताकि वे अपना मकान बना सकें। इसके लिये मैंने बोर्ड से जानकारी ली है। इस साल से....

श्री अध्यक्ष : आपको इनसे बहुत हमदर्दी है।

श्री मुरलीधर व्यास : साइकल लोन के लिये भी बता दें।

श्री हरिश्चन्द्र : बोर्ड ने इसको मंजूर किया है और ५० हजार रुपये रखे हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग के लिए सुझाव रखा है। इसके लिए बोर्ड को गवर्नमेन्ट लिखेगी ताकि ऐसी ट्रेनिंग जो हम दे सकें दी जायेगी।

एक बात आपने कही थी कि ऑफिस में शेड बनाये हैं उससे गर्मी लगती है और काम ठीक तरह से नहीं होता है। मैंने जानकारी की और जानकारी से मालूम हुआ कि वहां खस के टट्टे लगाये गये हैं और कूलर लगाये गये हैं ताकि उनको तकलीफ न हो।

मांडल से आनेवाले माननीय सदस्य ने ६ आपत्तियां उठाई थी। उनके लिए यह कहना है कि जो उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कन्सल्टेशन कमेटियां बनानी चाहिये, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने गवर्नमेन्ट के पास इस तरह का सुझाव भी भेजा है और महीने, दो महीने में कन्सल्टेशन कमेटियां डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बना देंगे ताकि बोर्ड और जनता में कोऑर्डिनेशन हो।

एक उन्होंने यह भी कहा था कि मिस्टर बापना थे उनके यहां ट्रेक्टर लोन पर गया था, जानकारी करने पर मालूम हुआ है कि वह ट्रेक्टर उनके पास नहीं है, जयपुर के डिविज़न वर्कशॉप में काम कर रहा है।

इसके अलावा उन्होंने कल्याण मिल के प्रोप्राइटर के लिए ट्रेक्टर देने की बात कही थी। जानकारी करने पर मालूम हुआ है कि वह बात गलत है, वह ट्रेक्टर नहीं; साढ़े सात हॉर्स पॉवर की मोटर है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल॰) : रिपोर्ट में ट्रेक्टर लिखा हुआ है।

श्री हरिश्चन्द्र : गलत है। ट्रेक्टर नहीं, साढ़े सात हॉर्स पॉवर की मोटर है। जिनको दी गई उसकी उन्होंने लायेबिलिटी भी एक्सेप्ट कर ली है और मैंने चेयरमैन से कहा है कि मोटर वापिस मंगा ली जाय और जितना किराये का पैसा होता है वह वसूल कर लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : कल्याण मिल के प्रोप्राइटर कौन हैं?

श्री हरिश्चन्द्र : कोई भी हो, जो होगा उससे ले लेंगे। वह आदमी जिसने लिया है वह मालूम हो गया है।

एक आपने यह भी कहा कि एक मिस्टर बंकर हैं उनके पास एक रेफ्रिजरेटर चला गया। वह रेफ्रिजरेटर गया, यह बात सही है; पर जिसने ऑर्डर दिया था कि रेफ्रिजरेटर चला जाय वह मर गया है और जिन्होंने रेफ्रिजरेटर लिया वह भी मर गये हैं। अब उनके लड़के से पूछा जा रहा है कि आपके फादर के पास रेफ्रिजरेटर आया है, वह रेस्पोन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते नहीं हैं, इस तरह की चर्चायें चल रही हैं। पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के सामने भी यह मामला गया था।

श्री अध्यक्ष : इस तरह का सामान;

(श्री अध्यक्ष)

ट्रैक्टर, मोटर, रेफ्रिजरेटर किसी नॉन ऑफिशियल को नहीं दिये जायं, इस तरह के आदेश हैं कि नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह ५१ का मामला है।

श्री अध्यक्ष : अभी इस पर अमल होता है कि नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : अभी होता है या नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : It should be completely a sort of prohibition.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि केवल कूलर्स दिये जाते हैं किराये पर ?

श्री हरिश्चन्द्र : किसको ?

श्री भैरोंसिंह : नॉन ऑफिशियल्स को।

श्री हरिश्चन्द्र : २० सीलिंग फैन्स के लिये माननीय सदस्य ने कहा। इसकी परिस्थिति यह है कि सिविल सप्लाइज़ का दफ्तर था उसको २० सीलिंग फैन्स दिये थे। उनका दफ्तर खत्म हो गया; ५०-५१ की बात है। दफ्तर खत्म हो गया और उन फैन्स का क्या हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उसका अकाउन्ट भी तो कुछ होगा, रिसीट्स भी ली गई होंगी या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : सिविल सप्लाइज़ दफ्तर को दिये गये, यह हमारे यहां है। इसके बाद की जानकारी नहीं है। फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि उन्हें राइट ऑफ कर दिया जाय।

इसके अलावा एक आपत्ति उठाई थी कि ६० हजार का एक चैक आया और कोटा पॉवर हाउस में पड़ा रहा। मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी की है। पर इस बारे में मालूम हुआ है कि इस प्रकार का कोई चैक नहीं आया। माननीय सदस्य के पास और जानकारी हो कि कहां से आया, किसलिये आया, तो बतादें; मैं और जानकारी कर लूंगा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जनलेखा समिति की रिपोर्ट में आया हुआ है कि इस प्रकार का चैक आया, ६०-६१ की रिपोर्ट में है।

श्री हरिश्चन्द्र : बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने दो आपत्तियां उठाई थी। एक तो यह कि बयाना इलेक्ट्रिसिटी की लाइन सीधी उज्जैन होकर जानी चाहिये थी, उधर घूम कर क्यों गई ? यह भी कहा कि, मन्त्री जहां जहां जाते हैं वहां होकर लाइन घूम कर जाती है। इसके लिये मुझे कहना है कि बयाना को सीधी लाइन जाती तो एक तो हम उसे कभी मेन्टेन नहीं कर पाते वॉटर लेक्स में से होकर जाती है, पहुंचने की मुश्किल होती। इसलिये भुसावर से लेकर सड़क सड़क ले जाया गया। दूसरे यह कि खेड़ली और नदबई को कनेक्ट करना था, सीधी लाइन ले जाते तो खेड़ली, नदबई ले जाने में मुश्किल होती। खेड़ली, नदबई में अच्छा लोड मिल रहा है, एक खेड़ली, नदबई को ट्रान्सफर लाइन ले जायं, दूसरी बयाना को ले जायं। तो यह कहा गया कि इसके पीछे पोलिटिकल एम है, यह सही नहीं है। इसके पीछे कोई पोलिटिकल एम

(श्री हरिश्चन्द्र)

नहीं है। उन्होंने यह भी एलिगेशन लगाया कि मन्त्री जहां जाते हैं वहां से लाइन ले जाई जाती है, मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं इलेक्शन के दौरान वहां कभी गया ही नहीं।

आबू से आने वाले माननीय सदस्य ने दो बातें रखी थीं; एक तो यह कहा था कि एग्रीकल्चरल लोड के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि वहां पर एक कम्पनी का पॉवर हाउस है। वैसे धीरे २ जैसे धनराशि उपलब्ध होगी ये जो प्राइवेट कन्सर्न्स हैं उनको एक्वायर करेंगे। जब तक नहीं होता है एक्विज़िशन तब तक उन प्राइवेट कन्सर्न्स को हिदायत कर देंगे कि दो, तीन मील के रेडियस में लोड मिल सकता है तो उनको पॉवर सप्लाइ करनी चाहिये। दूसरा स्वरुपगंज में लोड अच्छा मिल सकता है; इसके लिए मैंने कह दिया है कि सर्वे करवा लें।

सुजानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने पांच आपत्तियां उठाई हैं। एक तो उन्होंने कहा कि ओल्ड ट्रान्समिशन लाइन है जो चैन्ज नहीं हो रही है, पुराने स्टेट के जमाने की ही पड़ी हुई है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह लाइन चेन्ज होगी, ग्रेजुअली रिप्लेस हो जावेगी। दूसरा उन्होंने असिस्टेन्ट इन्जीनियर के हैडक्वार्टर के लिए कहा कि वहां नहीं पहुंचा है। मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर यदि मकान किराये पर लेकर दे द तो आज भेज दें। वहां पर मकान नहीं मिल रहा है। इसलिए असिस्टेन्ट इन्जीनियर वहां पर नहीं पहुंच रहा है। उनकी सहायता मिल जाय तो वह जल्दी से जल्दी पहुंच जावेगा। तीसरा उन्होंने कहा कि बिल जो प्रेजेन्ट होते हैं उनके ऊपर ऑडिट ऑब्जेक्शन हो जाते हैं। मुझे यह समझ में नहीं आया कि किस तरह से ऑडिट ऑब्जेक्शन्स हो जाते हैं। कोई इन्सटान्स बता दें या किसी को दिया हो तो बता दें जिसके लिए कोई हिदायत करने की आवश्यकता हो तो मैं कर दूं। चौथी बात उन्होंने यह कही कि जो कनेक्शन्स दिये जाते हैं उनमें करप्शन बहुत होता है। ऐसी समस्या हमारे सामने तो आई नहीं; कोई इन्जीनियर है या सबोर्डिनेन्ट है; कनेक्शन के जरिये करप्शन करता है तो उसके लिए कोई बात नोटिस में लावें तो कार्यवाही की जावेगी। पांचवी बात यह रखी कि टाइम्स बहुत लग जाता है। मैं इसको मंजूर करता हूं कि डिमान्ड आती है तो उसको केरी आउट करने में जरा वक्त लगता है। इस सम्बन्ध में चेयरमैन साहब से डिस्कशन किया कि इसके लिए एक टाइम लिमिट बांध दें कि महीने, दो महीने में कनेक्शन मिल जाना चाहियें। नहीं मिलता है तो यह रिपोर्ट आ जानी चाहिये कि क्यों नहीं मिलता है। रेगुलेट हो जाना चाहिये।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : ये सारी चीजें सदन में प्रस्तुत की थी। उपभोक्ता संघ की ओर से ये सारी चीजें दी जाती हैं उनके लिए क्या कोई इन्क्वायरी करने की कोशिश की जायेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : Certainly I shall get it inquired.

श्री भैरोंसिंह : इलेक्शन के दिनों में गोपालपुरा में बिजली गई है।

श्री फूलचन्द जैन : अब तक वहां बिजली नहीं पहुंची है।

श्री हरिश्चन्द्र : नहीं पहुंची है, लेकिन अब पहुंच जावेगी।

श्री अध्यक्ष : खाचरियावास में कब पहुंचेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : वहां से डिमान्ड ही नहीं आई है।

श्री भैरोंसिंह : जो बोलते हैं उनको बिजली मिलती है, लेकिन जो नहीं बोलते हैं तो खाचरियावास में कैसे पहुंचेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : सुजानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने आपत्ति उठाई कि तलवाड़ा में इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो रहा है। तलवाड़ा की स्कीम रखी गई है। वहां पर जल्दी से जल्दी बिजली पहुंचाने का प्रयास किया जावेगा; यह विश्वास दिलाना चाहता हूं। दूसरा उनका ऑब्जेक्शन था कि पोल बैंड हो चुके थे। दो--तीन वर्ष पहले बड़े जोर की आंधी आई थी उसके कारण कई डिसलोकेशन हो गये। टेलीफोन के तो खम्भे ही उड़ गये थे, हमारे खम्भे तो झुके ही थे।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : वैसे ही झुके पड़े हैं अब भी।

श्री हरिश्चन्द्र : दूसरे लगा दिये होंगे। वे अब सीधे नहीं हो सकते।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो टेलीफोन डिपार्टमेन्ट से आपका डिपार्टमेन्ट ज्यादा एफिशियेंट था ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं यह कहना चाहता हूँ कि इतनी जोर की आंधी आई कि टेलीफोन के खम्भे उखड़ गये थे और हमारे खम्भे झुक गये थे, टेढ़े हो गये थे।

गांवों में खम्भे पड़े रहने की आपत्ति उठाई; मैं समझा नहीं। किसी गांव में लेकर रहे हों लाइन तो खम्भे पड़े हों।

श्री श्योपतसिंह : कुछ लाइन्स पर बदले गये थे। पहले जो खम्भे लगाये थे, खेतों में गडे थे वहां वे अब भी लगे हुए हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : कौनसी लाइन के लिए कह रहे हैं ?

श्री श्योपतसिंह : हनुमानगढ़ से डाबली जाती है।

श्री हरिश्चन्द्र : चेन्ज कर दिये होंगे। इसके लिए मैं उनको कह दूंगा कि हटा दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Poles are lying for the last fives year and getting rusted.

श्री हरिश्चन्द्र : कुशलगढ़ से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि हाइडल पॉवर वहां पहुंचना चाहिये। हाइडल पॉवर के लिये अर्ज करना चाहता हूँ। बांसवाड़ा और कुशलगढ़ के लिये पहुंचाई जाय तो वहां पर लोड इतना डेवलप न हो तो पहुंचना मुश्किल है। मध्यप्रदेश से जो लाइन आती है उससे आगे एक्सटेन्ड कर दें बांसवाड़ा और कुशलगढ के लिए। उनकी लाइन्स इतनी कमजोर है कि आगे जा नहीं सकती। रतलाम से लानी पड़ेगी। कुशलगढ़ और बांसवाड़ा में

(श्री हरिश्चन्द्र)

लोड इन्क्रीज़ होता है तो उसको हाइडल पॉवर से कनेक्ट किया जावेगा। हाइडल पॉवर नहीं भी पहुंचता है तो कुशलगढ़ में बिजली पहले ही लग गई है।

ये जितने पोइन्ट्स माननीय सदस्यों ने उठाये, मैंने निवेदन किया। मैं आशा करता हूँ कि सुझाव इस तरह आते रहेंगे जिससे लाभ मिल सके।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मैंने एक प्रश्न रखा था कि असेट्स बोर्ड को ट्रान्सफर किये थे तो कितने उस वक्त में असेट्स दिये थे? प्रोफिट एण्ड लोस का हिसाब नहीं बैठ सकता।

श्री हरिश्चन्द्र : मिस कर गया हूं शायद यह पोइन्ट।

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को असेट्सट्रान्सफर हुए थे और आपने यह कहा था कि बजट में शो होने चाहिये। बजट में शो होने की जरूरत नहीं है। ये प्रोफिट एन्ड लोस अकाउन्ट्स में शो होते हैं। प्रोफिट एन्ड लोस अकाउन्ट्स का एक मामला यहां उठाया था। उसके ऊपर मैंने तहकीकात की थी। प्रोफिट एन्ड लोस अकाउन्ट बनते हैं और ए. जी. के पास गये हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : चार साल से ए. जी. के पास गये हुए हैं?

श्री हरिश्चन्द्र : यहां प्रोफिट एण्ड लोस अकाउन्ट देने की जरूरत नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब यह एक ट्रेडिंग कन्सर्न है तो उसके प्रोफिट एन्ड लोस अकाउन्ट्स साथ में बजट के लगाये जायं तो अच्छा है।

श्री हरिश्चन्द्र : ए. जी. के पास अन्डर स्क्रुटिनी है। वहां से आने के बाद यहां पर रखे जायं या नहीं, यह एक दूसरा प्रश्न है। मैं इसके सिलसिले में बोर्ड से बात करूंगा। यहां आते हैं तो हानि नहीं है। लेकिन किस रूल में आ सकते हैं यह देखने की बात है। बोर्ड के बनने के बाद ऐसे असेट्स ट्रान्सफर हुए हैं वे ३४० लाख के हुए हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ५७–५८ के जो रिटर्न्स भरे हैं; महीने, बीस दिन में भरे थे या पहले भर दिये गये थे?

श्री हरिश्चन्द्र : तारीख मेरे पास नहीं है। आपने पूछा था कि भरे या नहीं; मैंने कहा था कि भरे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कल परसों जो क्वेश्चन पूछा था उसके बाद जमा हुआ है!

चार साल के बाद लिमिटेशन एक्स-पायर हो जाता है। ५७–५८में जो लोस हुआ वह फ्युचर में नहीं हो सकता। एडजस्टमेंट केरी फोरवर्ड नहीं हो सकता। भविष्य में जो भी प्रोफिट्स होंगे उसके लिए इनकमटैक्स देना होगा। इसलिये चार साल तक भरते नहीं–इनकमटैक्स रिटर्न्स भरते नहीं।

श्री हरिश्चन्द्र : ५७–५८, ५८–५६ का भर दिया है उसके जो रूल्स होंगे उसके अनुसार अकाउन्टस फोर होंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनकम-टैक्स के रिटर्न्स भर दिये हैं; that is time barred. आप उसको केरी फॉर्वर्ड नहीं कर सकते। इनकम टैक्स ३१ मार्च के पहले पहले भर देने चाहिये।

श्री हरिश्चन्द्र : ५६ तक भर दिया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चम्बल हाइडल स्कीम सेकन्ड जिसका काम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा न करवा कर के दूसरी एजेन्सीज़ को क्यों दे रहे हैं? इसको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्यों नहीं मैनेज कर रहा है।

श्री हरिश्चन्द्र : इसमें ऐसा है, यह स्कीम एफीशियेन्टली मैनेज हो। गांधी सागर जब कन्स्ट्रेक्ट हुआ वह भी बोर्ड द्वारा कन्स्ट्रक्ट नहीं किया गया, गवर्नमेंट ने किया। राणा प्रतापसागर, जहां भी वर्क लोड कम्पनी है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास अपना ही काफी काम है इसलिये वह इस पर ध्यान नहीं दे पाता। इसलिये सरकार ने सोचा इस काम को वह खुद करे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बोर्ड को इस काम के लिये आप योग्य नहीं समझते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष : कृपया अब इस बारे में वाद–विवाद न करें।

(१०.३३ म० पू०)

श्री उपाध्यक्ष के निर्वाचन सम्बन्धी सूचना

उपाध्यक्ष का निर्वाचन आज होना है अतः उसके लिए कार्यवाही १२.३० बजे प्रारम्भ होगी। उससे पहले विधायी कार्य लिया जावेगा।

(१०.३६ म० पू०)

राजस्थान अध्यारोपित (सुपरइम्पोज्ड) स्टाम्प्स वैधकरण विधेयक, १९६२

(खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारण)

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, वित्त) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान अध्यारोपित (सुपरइम्पोज्ड) स्टाम्प्स वैधकरण विधेयक, १९६२ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : On a Point of Order, Sir, the Bill has not been circulated to the Members.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान अध्यारोपित (सुपरइम्पोज्ड) स्टाम्प्स वैधकरण विधेयक, १९६२ को विचारार्थ लिया जाय?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान अध्यारोपित (सुपरइम्पोज्ड) स्टाम्प्स वैधकरण विधेयक, १९६२ जो विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है उसके स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में लिखा है कि स्टाम्प्स जो प्रोपरली स्टाम्प्ड न होने की वजह से दावे खारिज हुए हैं उनके रिवाइवल के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बारे में यह बिल लाया गया है। मैं इस बारे में माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जिन पर बिल्कुल स्टाम्प नहीं उसके कारण दावे खारिज हो गये होंगे या जिन पर वेलिड स्टाम्प नहीं, सुपरइम्पोज्ड आर० एस० लिखा हुआ था इस प्रकार के स्टाम्प्स के कारण जिनके मुकदमे खारिज हो गये उनको वैध करने के बारे में यह बिल आया है?

जोधपुर ट्रेज़री में ऐसे स्टाम्प्स पर जिन पर एस० लिखा हुआ था उनको लगाने के कारण जिनके दावे खारिज होगये उनमें उन लोगों का कोई कसूर नहीं था। उन्होंने तो कोर्ट फीस दे दी थी, उनका कोई कसूर नहीं था! वैसी हालत में मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्लॉज़ २ के सब-क्लॉज़ (२) में लिखा है वे सारे दावे रिवाइज़ होंगे, उसके लिए एक दर्ख्वास्त देनी होगी। इसमें सुओ मोटो पॉवर्स नहीं। होना तो यह चाहिये कि जो दावे गलत तरीके, गलत स्टाम्प्स होने की वजह से खारिज हो गये उनको सुओ मोटो रिवाइव किया जाना चाहिए। पार्टीज़ चाहें तो एप्लीकेशन्स दे सकती हैं। इसके सम्बन्ध में सुओ मोटो प्रोविज़न क्यों नहीं रखा गया? जनता को तकलीफ न हो। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको इस सम्बन्ध में जानकारी न हो। इसलिये सात दिन की जो मियाद रखी है यह बहुत कम है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सुओ मोटो पॉवर देकर दावों को रिवाइव कर लें और पार्टीज़ को इस सम्बन्ध में नोटिस देदें।

(१०.३७ म० पू०)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

Presiding Officer of the Court by which such dismissal order was passed.

यह जो सब-क्लॉज़ का लास्ट पैराग्राफ रखा है कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो, मेरी समझ में केवल 'कोर्ट' शब्द ही लिख दिया जाय तो पर्याप्त होगा। प्रोसाइडिंग ऑफिसर का ट्रान्सफर हो सकता है। उसके बाद दावे खारिज हो गये तो ऐसी हालत में उसको दर्ख्वास्त देनी होगी। यह न करके मेरा यह निवेदन है कि जिस कोर्ट द्वारा दावे खारिज किये गये हों वहां प्रार्थना-पत्र दिया जाय।

इसके अलावा इसमें जो रिव्यू का प्रोविज़न दिया है उससे कोई सुविधा नहीं है। जमींदारी बिस्वेदारी के जितने भी दावे खारिज हुए हैं उनके रिवाइवल के बारे में पॉवर्स दी थीं। सी० पी० सी० में भी प्रोविजन दिया है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन्स के बाद भी रिव्यू की जगह रिवाइवल कर सकते हैं "suo moto revival on an application by a party..." यह एक मेरा छोटा सा संशोधन है। हैरेसमेन्ट से लोगों को बचाना जरूरी है। इसके सिवाय मेरा यह भी कहना है कि स्टापम्स पर जो गलत मोहर लगी है उसके कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, आखिर यह किसकी गलती है? आखिर इस बात की भी सरकार को जांच करनी चाहिये कि यह गलती किस अधिकारी की है और उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और उसके बारे में सदन को बतायेगे। यही बातें हैं जिनका मंत्री महोदय स्पष्टीकरण करेंगे।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्र, वित्त) : माननीय चेयरमैन महोदय, माननीय सदस्य खुद इस बात को मानते हैं कि इस

(श्री चन्दनमल वैद)

कारण जनता को बहुत हैरेसमेंट हुआ है। उस हैरेसमेंट से बचाने के लिए जरूरी है कि इस बिल को पारित किया जाय। उन्होंने जो आपत्तियां उठाई हैं वे खुद इस बात की गम्भीरता को महसूस करते हैं। बात इतनी ही है कि जिन स्टाम्प्स पर आर० एस० शब्द छप गया था आर० एस० वाले दावों को वेलिड़ किया जाय, जो दावे खारिज हो गये, जो डॉक्यूमेंट्स इस कारण इनवेलिड होते हैं उनको वेलिड किया जाय। उसके लिए यह बिल काफी है। उसको देखते हुए कोई चीज बाकी नहीं रहती, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है। उन्होंने कहा कि ऑटोमेटिक रिवाइव हो जायं ऑटोमेटिक रिवाइव के लिए सात दिन की मयाद काफी है। उनका कहना है कि सात दिन की मयाद कम है, इससे सब लोगों को जानकारी नहीं हो सकेगी। विधान सभा के माध्यम से सबको जानकारी हो जायगी, गजट में शाया होने के बाद सब लोग जान जायेंगे। इसके लिए सात दिन की मयाद काफी है। आम तौर पर वकीलों के लिए भी सात दिन की मयाद तय करते हैं। जिनको इस बात के लिए शिकायत होगी केवल जिस अदालत में उनके मुकदमे या डॉक्यूमेन्ट्स खारिज हुए उस अदालत में दर्ख्वास्त रिवाइवल के लिए कर सकते हैं। सुओ मोटो करने से काफी कॉम्पलीकेसीज़ पैदा हो सकती हैं। जिन चीजों का वे स्पष्टीकरण चाहते हैं वे अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट हैं। किसी एक की गलती केकारण इतनी बड़ी मशीनरी में हो सकता है कि किसी की गलती हो जाय किसी ने आर० एस० छपवा दिया तो ज्योंही सरकार को गलती मालूम हुई उसको वेलिडेट किया जा रहा है। होना तो यह चाहिये था कि यह बिल बिना बहस के ही पारित किया जाता।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : किसी की गलती से यह गलती हुई है वैसी हालत में सुओ मोटो करने में आपको क्या दिक्कत है ?

श्री चन्दनमल वैद : सुओमोटो करने से जिनके दावे खारिज हो गये उन्होंने आकर नहीं कहा, उनको खुद को मालूम नहीं कि हमारे दावे रिवाइव हो गये। वे हाजिर नहीं होंगे। वैसी हालत में कॉम्प्लीकेशन्स पैदा होंगे। जिनके दावे रिवाइव करने हैं उनको मालूम तो होना चाहिये। अगर सुओमोटो हो गया तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनके दावे रिवाइव हो गये। वैसी हालत में सुओ मोटो नहीं रखा जा सकता।

श्री विजयसिंह झाला : पार्टी को नोटिस दे दें कि आपके दावे रिवाइव हो गये। उसमें आपको कोई आपत्ति है ? पब्लिक को हैरेसमेंट न हो, इसलिये कोर्ट नोटिस देदे, इसमें गवर्नमेंट को क्या आपत्ति है ?

श्री चन्दनमल वैद : हैरेसमेंट से बचने के लिये ही तो यह बिल लाया जा रहा है। किसी के दावे खारिज हो गये, अदालत के बाहर समझौता कर लिया, वैसी हालत में क्या होगा ?

श्री विजयसिंह झाला : नोटिस मिलने के बाद उपस्थित नहीं होगा तो खारिज हो जावेगा अपने आप।

श्री चन्दनमल वैद : मैं काफी स्थिति

(श्री चन्दनमल वैद)

स्पष्ट कर चुका हूँ। मामूली सी बात है। जनता को हैरेसमेन्ट न हो; इसके लिए यह कानून लाया जा रहा है। जो दरख्वास्त देगा उसकी सुनवाई हो जावेगी। इससे ज्यादा सरल पद्धति नहीं हो सकती दूसरी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : अगर इसमें लिखा है सूट और अपील नहीं लिखा है तो अपील में यह पोइन्ट उठा हो तो फिर क्या करेंगे आप इस मामले में ? सूट के रिवाइवल के बारे में तो लिख दिया, पर ट्रायल कोर्ट में सूट चल रहा है वहां तो यह पोइन्ट उठा नहीं, वहां तो दावा डिक्री हो गया, पर दूसरे ने अपील की और वह हाई कोर्ट में या अपीलेट कोर्ट में गया, वहां अपील पेन्डिंग में थी और वहां अगर यह पोइन्ट कोई रेज़ कर दे और इस बिना पर निर्णय लिया जाकर अपील डिसमिस कर दी गई तो फिर आप क्या करेंगे ?

श्री चन्दनमल वैद : ऐसी स्थिति अभी सरकार के सामने कोई आई नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय....

श्री विजयसिंह झाला : इस पर आपत्ति की तो डेफिनिशन दे दें !

श्री चन्दनमल वैद : डिक्शनेरी में डिफाइन्ड है ऑलरेडी।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान सुपरइम्पोज्ड स्टाप्म्स वैधकरण विधेयक १६६२ को विचारार्थ लिया जावे ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : मैं बोलूंगा इसमें, सभापति महोदय।

सभापति महोदय, जो सदन में यह राजस्थान सुपरइम्पोज्ड स्टाम्प्स वैधकरण विधेयक, १६६२ विचारार्थ उपस्थित हुआ है उस बिल का तो मैं विरोध नहीं करता, पर इसमें जो खामियां हैं उनके सम्बन्ध में मैंने क्लेरिफिकेशन जो चाहा था, मुझे सख्त अफसोस है कि वह स्पष्टीकरण माननीय मन्त्री महोदय नहीं दे सके। बहुत बड़ा तर्क यह दिया कि जिनका दावा खारिज हुआ है उनको स्वयं को सावधानी रखनी चाहिए और उनको लापरवाह नहीं होना चाहिए कि राजस्थान विधान सभा में इस तरह का कानून बन गया है और उसकी तहत उसके खारिज हुए ऐसे दावे रिवाइज़ कराये जा सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप उन सारे लिटिगेन्ट्स और मुवक्किलान जो बेपढ़े लिखे हैं, देहाती हैं, उनसे तो कानून की इतनी जानकारी की आशा रखते हैं, पर जो आपका ट्रेज़री ऑफिसर है, जो लिखा-पढ़ा है, जिसको आप लिखे-पढ़े होने और कानून का जानकार होने की तनख्वाह देते हैं, वह जो स्टाम्प्स प्रिन्ट कराये गलत करा दे, कानून की पूरी जानकारी उसको होनी चाहिये वह लापरवाह हो जावे, 'राजस्थान' शब्द के बदले स्टाम्प्स पर वह आर.-एस. लिख जाय उससे आप यह जानकारी रखने की आशा नहीं रखते ! जिसको जानकारी रखनी चाहिए, जिसके कारण गलतियां होती हैं उससे आप कोई आशा नहीं रखना चाहते, पर दूसरी तरफ साधारण आम जनता से आप यह आशा जरूर रखना चाहते हैं कि वह आपके कानून का पूरा ध्यान रखे;

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

और उस हालत में जब कि जिस गजट में आपका कानून छाया होता है वह गजट महीनों उसके पास पहुंचने में ले लेता है। आपका यह गजट ६० दिन में तो उन तक पहुंचता भी नहीं होगा। १५-२० दिनों में तो जयपुर में आपका यह गजट मिलता है। मुझे २०-२० दिन बाद मिलता है। आप चाहें तो मैं इसकी पुष्टि में पोस्ट ऑफिस की मोहरें बता सकता हूं। एक साथ चार-छः गजटों की कॉपियां २०-२० दिनों के बाद हमारे पास यहां शहर के शहर में, जहां वह छपता है, पहुंचाया जाता है। तो जोधपुर के उन इलाकों में, उन दूरस्थ इलाकों में तो मालूम नहीं कब पहुंचता होगा? उनसे आप यह आशा करें कि वह ऐसे गजट में ६० दिनों में देख कर अदालत में दावा वेलिड कराने की दर्ख्वास्त दे दे और आपके इस गजट की इन्तजार में वह बैठा रहे! ऐसी आशा, कम से कम मैं समझता हूँ माननीय उप मन्त्रीजी जो स्वयं कानून के बारे में जानकारी रखते होंगे, नहीं रखते होंगे। मैं तो यहां तक कहूँगा, माननीय उपमन्त्रीजी जो पहले डिप्टी मिनिस्टर लॉ के भी रह चुके हैं और लॉ के ग्रेजुएट हैं उनको भी स्वयं को जानकारी नहीं होगी। उनको यह भी जानकारी नहीं है अपील के सम्बन्ध में, मैंने बात उठायी थी, उसमें वर्ड सूट अपील के बारे में भी किया होगा। उनको उत्तर इसका देना चाहिए था यह कि सूट में अपील भी आ जाती है। यह एक मामूली सी बात है, पर उन्होंने भी इसका उत्तर इस तरह से देने के बजाय यह दे दिया कि सरकार के पास इस तरहकी कोई शिकायत नहीं है। सूट में अपील भी इन्क्लूड है। यह कानून की एक छोटी सी चीज है, जिसे लॉ पास किया हुआ पहले साल वकालत शुरु करने वाला भी अच्छी तरह समझता है। पर हमारे उपमन्त्री जी ने इतने वर्षों की वकालत पेशे की जानकारी होने के बाद भी और लॉ मिनिस्टर रहने के बाद भी यह जवाब नहीं दिया और यह कह दिया इसकी जानकारी सरकार को नहीं है। तो इस तरह की छोटी सी प्रारम्भिक जानकारी उनको नहीं है और नहीं भी होती है कभी कभी, प्रेक्टिस काफी अरसे से छोड़ दी है उन्होंने बीच में पांच साल का गैप भी हो गया था। तो इसके बारे में आम जनता से अपेक्षा करना उचित नहीं होगा।

मैंने इस विधेयक का स्वागत किया है। पर साथ में यह भी मैंने मांग की थी कि जिस अधिकारी के कारण यह संशोधन लाना पड़ा इतनी परेशानियां हुई, लोगों को हैरान होना पड़ा, लोगों के दावे रिवाइव हो जावेंगे भले ही, पर बहुतों के नहीं भी होंगे, उन अधिकारियों के खिलाफ भी सरकार को एक्शन लेना चाहिये। उनके खिलाफ भी कार्यवाही करनी चाहिये जिनकी गलती और असावधानी के कारण ये सब परेशानियां हमको, जनता को और सरकार को भुगतानी पड़ रही हैं या भुगतनी पड़ेंगी।

जहां तक ऑटोमेटिक रिवाइव होने का सवाल है हमने किसानों के लिये एक कानून इसी सदन में पास किया था; जमींदारी और बिस्वेदारी एक्ट में हमने यह अधिकार सुओ मोटो का कोर्ट को दिया था। अदालत भी चाहे तो सुओ मोटो रिवाइव कर सकती है

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

और लिटिगेन्ट को नोटिस दिये जा सकते हैं कि अदालत में हाजिर हों । यही अधिकार इसमें भी देने में हमें क्या दिक्कत है ? इसमें भी अदालत सुओ मोटो रिवाइव कर सकती है । जब हम रिलीफ मेजर ही बनाने जा रहे हैं तो जब कभी भी हमने रिलीफ मेजर पास किया है हमने हमेशा पीरियड ऑफ लिमीटीशन ज्यादा रखा है । चाहे सब टीनेन्ट को खातेदारी देने का सवाल आया हो, चाहे और कोई ऐसा ही सवाल आया हो तो हमने पीरियड दो साल का रखा था और कम्पेन्सेशन लेने का सवाल आया तब भी हमने इतना ही पीरियड रखा । बाद में उसे बढ़ा कर चार साल किया । तो जब आम जनता दो साल और तीन साल में भी खातेदारी हक़ूक जैसे मामलों में भी अदालत में दरख्वास्तें नहीं दे सके, जहां अधिकार लेने की बात थी वहां भी पीरियड एक्सटेन्ड करना पड़ा तो मैं नहीं समझता कि जब आप जनता को राहत देना चाहते हैं इसमें और लोगों को हैरेसमेन्ट से बचाना चाहते हैं तो ६० दिन के बजाय ६० दिन का समय रखें । रेवेन्यू कोर्ट में भी रिवाइव करने के लिये आपने ६ महीने का समय रखा है । आप यहां पर भी उसी तरह से छः महीने का समय दे दें तो अच्छा है क्योंकि हो सकता है कोई आदमी परदेश गया हो, जोधपुर में मौजूद न हो, बाहर गया हुआ हो कोई प्लेन्टिफ या दावेदार । उसे घर वाले इत्तला देंगे, आवेगा-करेगा तो इसमें समय तो चाहिये । इसके बिना इतने कम समय में एप्लीकेशन पेश नहीं हो सकेगी । तो मैं समझता हूं कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बारे में मंत्री महोदय जिद् नहीं करेंगे । मैं समझता हूं मंत्री महोदय पूरे पॉवर के साथ काम कर रहे हैं । यह मैंने ऐसा कोई संशोधन नहीं रखा है जो आपको मानने में कठिनाई हो । फिर इस मसले पर जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ज्यादा प्रकाश डालेंगे, क्योंकि जोधपुर से ही यह मामला सम्बन्धित है । वे जोधपुर से आने वाले विधायक जोधपुर की जनता की तकलीफों के बारे में विशेष रूप से अग्रसर होंगे और इस पर प्रकाश डालेंगे और मांग करेंगे कि दो महीने का समय कम है, इसे बढ़ाना चाहिये । और इस प्रकार वे मेरे इस अमेन्डमेंट को स्वीकार करा सकते हैं कि या तो दो महीने के बजाय इसे छः महीने कर दें, जैसा रेवेन्यू कोर्ट में है; नहीं तो कम से कम तीन महीना तो कर ही देना चाहिये । यह तो मिनिमम है । आप रिलीफ देना चाहते हैं तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन पर ज्यादा जिद् नहीं करनी चाहिये । इन शब्दों के साथ ओरल अमेन्डमेन्ट मैंने आसन की स्वीकृति से रख दिया है, जिस पर आपत्ति नहीं उठाई गई है । मैं उम्मीद करता हूं कम से कम जोधपुर से आनेवाले माननीय सदस्य मेरे इस संशोधन का समर्थन करेंगे और सरकार भी मेरे इस संशोधन को स्वीकार करने में एग्री होगी ।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा (जोधपुर--'अ') : मैं इसका समर्थन करता हूं कि कम से कम ६ महीने होना चाहिए ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, मेरा ख्याल है कि जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है वह बहुत रीज़नेबल है; क्योंकि जिस प्रकार से इसमें गल्ती हुई है वह सरकारी अधिकारियों की

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ओर से गल्ती हुई है जिसके कारण आम लोगों को सफर करना पड़ा है। इसलिये यह सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि लोगों को इस गल्ती से कम्पेन्सेट करे। बहुत कुछ तो नुकसान इस किस्म का भी हो गया होगा जिसका गवर्नमेंट यह कानून बनाने के बाद भी कम्पेन्सेशन नहीं कर सकेगी। अच्छा तो यह होता कि सरकार अपनी उस गलती को महसूस करते हुए केवल इस टैक्निकल डिफिकल्टी के कारण किन्हीं लोगों के दावे खारिज हो गए उन्हें ऐसा समझौता करना पड़े जहां तक रकम राइट ऑफ करनी पड़ी है। तो ऐसी हालत में जब सरकार ने अपनी गलती महसूस की है तो वह अपने कर्मचारियों के खिलाफ क्या एक्शन लेती, क्या नहीं लेती, यह तो दूसरी बात है, लेकिन जनता के लिए जो कुछ करना चाहती है वह फिट बात होगी कि जितनी भी अधिक से अधिक सहूलियतें जनता को दी जा सकें वे उनको दी जायें और ये सहूलियतें केवल टैक्निकल बन कर ही न रह जायें। जिस प्रकार मेरे से पूर्व बोलनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि २ महीने का समय तो केवल एक तरीके से, टैक्निकल तरीके से लोगों को सुविधाएं देनी हैं और वास्तविक तौर पर जनता को लाभ पहुंचाना है तो वह नहीं पहुंच पायेगा। इसलिये यह अमेन्डमेंट जो ६ महीने का है उसकी ज्यादा कन्ट्रोवर्सी में न पड़कर हमें मान लेना चाहिए। दूसरे सुओमोटो वाला जो प्रोविज़न है उसके लिए अपने आप अदालतें इस प्रकार की कार्यवाही जारी करें, नोटिस जारी करें; यह अधिक उचित बात है; क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की गलती की वजह से इस प्रकार का नुकसान हुआ है। इसलिए सरकार की मशीनरी की तरफ से या किसी भी अदालत की तरफ से ऐसा नोटिस जारी होगा तो लोग यह महसूस करेंगे कि सरकार की गलती थी और अब उसको रेक्टीफाई करनेवाली है। इसलिए उनको ज्यादा शिकायत नहीं होगी। इसलिए जैसा अभी मौजूदा नियम रखा है २ महीने के बाद; तो या तो इसकी मयाद बढ़ानी चाहिए, अगर नहीं बढ़ाते हैं तो जितने लोगों को आप सहूलियत देना चाहते हैं उसमें से बहुत कम परसेन्टेज उसका फायदा ले सकेगा। इसलिए जो दोनों सुझाव हैं मैं उनको पेश करूंगा कि सूओमोटो का इस प्रकार से सुविधा देने का प्रोविज़न किया जाये और अव्वल तो सूओमोटो देने का पूरा अधिकार दे देते हैं तो रस्पोन्सिबिलिटी कोर्ट्स की आ जाती है, उसमें लिमिटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसा कहा गया है कि दोनों प्रोविज़न रखे जायें क्योंकि इसमें एप्लीकेन्ट एप्लीकेशन्स भी दे सकते हैं कोर्ट्स में और अदालतें भी खुद अपनी तरफ से नोटिस ले सकती हैं। तो उसके लिए कम से कम ६ महीने का प्रोविजन कर दिया जाये। इसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : माननीय सभापतिजी, जो संशोधन रखा है उस संशोधन को देखते हुए जो क्राइटेरिया इसको रखने का है वह ठीक उसके पक्ष में है। ऐसी स्थिति में माननीय मंत्रीजी केवल यह सोचें कि यह सजेशन अपोज़ीशन की तरफ से आया है इसलिए उसको महत्व न दें तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा अफसोस की बात नहीं हो सकती। इसलिए जो अमेन्डमेन्ट रखा गया है उसका समर्थन करते हुए यह कहूंगा कि

(श्री विजयसिंह झाला)

लाजिमी रूप से अदालतों को अधिकार दिया जाये कि एक महीने के अन्दर सुओमोटो का नोटिस निकालें और जिस प्रकार की आपत्ति उठाई कि इससे अनेक प्रकार की डिफिकल्टी बढ़ जायेंगी मेरे ख्याल से कोई डिफिकल्टी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो आपसी समझौते हो गये हैं वे सुओमोटो नोटिस मिलने के बाद अदालतों में नहीं होंगे तो खारिज माने जायेंगे। तो मैं तो इस अमेन्डमेन्ट के साथ कहूंगा कि एक महीने का नोटिस लाजमी रूप से अदालतों के लिए कर दिया जाये कि जितने भी सूट्स हुए हैं उनमें लाजिमी रूप से सुओमोटो के नोटिस निकाल कर वापिस रिवाइव किये जायं। साथ ही साथ मैं दूसरा अमेन्डमेन्ट रखूंगा कि जो पैनल्टी इस प्रकार के स्टाम्प्स के ऊपर रखी गई है वह पुनः उन व्यक्तियों को मिलनी चाहिए, जिन्होंने जमा कराई और दूसरा प्रोविज़ो इसके नीचे जोड़ना चाहिए। क्योंकि उन्होंने वह ऑफिसरों की गलती की वजह से पैनल्टी जमा कराई और उसके आधार पर ही वहां पर सूट दायर हुए थे और इसके बाद जब वह डिसमिस हो जाते हैं तो जो पैनल्टी ली गई है वह आवश्यक रुप से उनको वापिस मिलनी चाहिए, क्योंकि यह उनकी गलती नहीं थी; यह उनकी गलती थी जिन्होंने कि ऐसे स्टाम्पस इश्यू किये। तो तीसरा प्रोवीज़ो और जोड़ना जरूरी है कि वह पैनल्टी उन व्यक्तियों को लौटा देनी चाहिए। इसलिए मैं इसका समर्थन करते हुए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि दरअसल में जो क्राइटेरिया है कि पब्लिक के हैरेसमेन्ट को मिटाना है तो इससे तो उल्टे और ज्यादा बढ़ेगा; मिटेगा नहीं। और केवल इसी आधार पर कि यह सजेशन अपोज़ीशन की तरफ से आया है इसके प्रति घृणा का भाव न रख कर इसको स्वीकार करें और जो दूसरा अमेन्डमेन्ट मैंने रखा है कि पैनल्टी उनको वापिस लौटाई जावे; इसको भी आप स्वीकार करें।

श्री सम्पतलाल (मावली): सभापति महोदय, जो जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने इस बारे में सुझाव रखा है वह काफी महत्वपूर्ण है और जो बिल का उद्देश्य है कि जनता को राहत दी जाये या उन लोगों को राहत दी जाये जिनको वास्तव में तकलीफ पहुंची है और नुकसान हुआ है और यह नुकसान हमारी जनता की वजह से नहीं, ऑफिसरों की गलती के कारण हुआ है। तो लोगों को ऐसे मौके अवश्य मिलने चाहिए जिससे कि उनकी तकलीफ दूर हो सके और कोर्ट्स को उन लोगों को एक मौका देना चाहिए कि तुम्हारे केसेज़ जो इस वजह से खारिज हुए हैं वे वापिस रिवाइव किये जाते हैं। ऐसे नोटिसेज़ कोर्ट्स को इश्यू करने चाहिए ताकि जिनके केसेज़ खारिज हो चुके हैं उनको इत्तला मिल सके। आज गजट के बारे में कहा गया कि सूचना हमको मिल जायेगी और जो मयाद ६० दिन की रखी है वह राजस्थान की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। यहां की अधिकांश जनता अशिक्षित है। यह सही है कि यहां के लोग गजट नहीं पढ़ते हैं और न ही ठीक समय पर गजट पहुंचते हैं और यह जानकारी उनको बहुत देर से मिलती है। इसलिए जो बिल की मंशा है वह पूरी नहीं होगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस हठ को छोड़ कर जो वाजिब मांग है कि मयाद ६ महीने की कर दी जाये उसको स्वीकार करें और साथ

(श्री सम्पतलाल)

ही इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट करें कि जिससे कोर्ट्स सुओमोटो का नोटिस निकाल कर उन दावों को रिवाइज कर दें जिससे जिनके दावे हैं उनको किसी प्रकार का खतरा न हो। यह नहीं किया गया तो ऐसे बहुत से गरीब लोग होंगे जिनके दावे खत्म हो जायेंगे और समय निकल जावेगा और उनको मालूम भी नहीं होगा और जो रिलीफ उनको मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पायेगी। इसलिए सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इन वाजिब मांगों को स्वीकार करें और अपनी उदारता का परिचय दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): माननीय सभापतिजी, इस सम्बन्ध में जो सुझाव रखे गये हैं और राहत देने का विचार है तो राहत पूर्ण रूप से ही दी जानी चाहिए। सुपर इम्पोज्ड स्टाम्प्स क्योंकि आर० एस० का शब्द गलत लिखने के कारण बहुत सारे दावे खारिज हो गये हैं और जो दुबारा रिवाइव करने का प्रश्न है उसमें प्रार्थना करूंगा कि ऐसा मार्ग लेना चाहिए जिससे पब्लिक का कम से कम हैरेसमेन्ट हो।

(११.० म. पू.)

आज दुबारा एप्लीकेशन लोग खुद रिवाइव करावें, इस संबंध में जिस प्रकार की परिस्थिति व्याप्त है, मेरा ख्याल है कि मंत्री महोदय से वे परिस्थितियां छिपी हुई नहीं हैं। किसी आदमी का दावा एक स्टेज पर खारिज हो गया अपील में या किसी स्टेज पर उसको रिवाइव करने के लिए एप्लीकेशन देवे, जिस प्रकार की चीज चल रही है वह एक कीमती चीज है, हैरेसमेंट की चीज है। वह इतनी सीधी नहीं है जितना मंत्रीजी ने कहा है। क्या उसके मुकाबले में वह चीज सुन्दर नहीं है कि कोर्ट से नोटिस चले जायं? इससे हैरेसमेंट कम होगा और राहत ज्यादा मिलेगी। कोर्ट द्वारा नोटिस सुओमोटो देने में मंत्रीजी को क्या कष्ट उत्पन्न होता है? इससे उनको कोई कष्ट होनेवाला नहीं है। कोर्ट से नोटिस चले जावें और उनको सहायता मिल जावे।

अब केवल सवाल यह रह जाता है कि जिन मामलों में समझौते हो गये उनका क्या होगा? यदि समझौते जिनाइन हो गये हैं तब तो कोई बात नहीं है। यदि प्रेशर में आकर समझौते हो गये कि रोंग स्टॉम्प्स लग गये हैं इस कारण रिजेक्ट हो गया है तो समझौता कर लिया जाय तब तो केस दुबारा रीओपन हो जायेगा और यदि जिनाइन है और आपस में सोच-समझ कर किया है तो दुबारा कोर्ट में आनेवाला नहीं है। इस परिस्थिति में भी सुओमोटो नोटिसेज़ जाते हैं तो ठीक कारण है। मेरी प्रार्थना यह है मंत्रीजी से कि वे मान लें। ट्रेज़री बैन्चेज़ से भी मेरी प्रार्थना है कि ऐसे अमेन्डमेन्ट्स को मान लें तो हैरेसमेंट काफी कम हो जायगा।

दूसरी बात है, नेगलिजेन्स हुआ है, क्लीयर है और उनसे हुआ है जो कानून जानते हैं। रोंग नंबर लगाने से हजारों दावे खारिज हो गये। जब तक नेगलिजेन्स, करप्शन नेपोटिज्म और रैड टेपिज़म को स्ट्रोंगली टैकल नहीं करेंगे, जब तक मजबूती के साथ, स्ट्रोंगली उनके खिलाफ कदम नहीं उठावेंगे तब तक करप्शन नेपोटिज़्म, रैडटेपिज़्म की जो स्थिति है वह रुकनेवाली नहीं है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

ने स्ट्रोंगली इसको महसूस किया है लेकिन नेग्लिजेन्स के नाम से इसको कवर करना गलत रवैया है । सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने स्ट्रोंगली इसको महसूस किया है । नेग्लिजेन्स, नेपोटिज्म आदि को रोकने के लिए स्ट्रोंग एक्ट्स बनाये जाय । आज इसको आप नेग्लिजेन्स के नाम पर कवर करना चाहते हैं । यह काफी वर्षों तक चला है ! आपको इसे एक-दो साल में ही ट्रेस आउट करना चाहिये था । जो आदमी जिम्मेदार हैं उनके एक्सप्लेनेशन कॉल होने चाहिये और उनके खिलाफ स्ट्रोंग एक्शन लिया जाना चाहिये ।

श्री सभापति : माननीय श्री केसरीसिंह ।

श्री केसरीसिंह (पाली) : सभापति महोदय, जो भी बातें माननीय सदस्यों ने रखी हैं वे महत्वपूर्ण हैं । यह अच्छा होगा कि यह विधेयक जल्दी में पारित नहीं किया जावे और इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसमें सारी बातों को सोच कर संशोधित रूप से पुन: सदन के सामने रखा जाय ताकि खामियां न रहें ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : चेयरमैन महोदय, यह जो राजस्थान सुपर इम्पोज्ड स्टाम्प्स वेलिडेटिंग बिल पेश किया है सदन के सम्मुख, उसमें डाइरेक्ट पार्टीज़ जो हैं कन्सर्निंग उनके द्वारा एप्लीकेशन देने के लिये इसमें प्रोविज़न किया गया है । लेकिन जो कॉम्प्लीकेशन्स सामने आये हैं वे माननीय सदस्यों ने सदन में पेश किये हैं । लेकिन मेरा कहना है कि एक केस में, ओरिजिनल साइड में किसी वकील को किया जाता है और यह केस किसी भी बिना पर खारिज हो जाता है तो उसका फल पार्टी को भुगतना पड़ता है, क्योंकि खारिज होने के बाद वह केस खत्म हो जाता है । दुबारा एप्लीकेशन मूव करने पर वकील दुबारा अपना मेहनताना लेता है । ऐसी सूरत में यदि कोर्ट यह करे कि स्वयं नोटिस दे और पार्टीज़ को सुन ले तो हर प्रकार की सहूलियत हो जायेगी और वकीलों को जो मेहनताना दिया जाता है वह भी बच जायेगा । अदालत में साधारण अशिक्षित व्यक्ति भी पहुंचते हैं दरख्वास्तें लेकर और कई दावे या इस्तगासे खारिज होने के बाद अदालत से या ट्राइल कोर्ट से हैड क्वार्टर्स के रेकॉर्ड में पहुँच जाते हैं । जो मियाद है ३० दिन की या ६० दिन की उसके बाद रेकॉर्ड में चले जाते हैं और उनको वापिस कॉल फोर नहीं कर सकते । इसलिये खारिज हो जाने पर पैसे के शिकार हो जाते हैं । इसलिए कोर्ट कन्सर्निंग पार्टीज़ को, the concerned parties should also be entitled to appear in the form of applicants before the Court. ये दोनों चीजें एड कर दी जायं तो अच्छा होगा, हर प्रकार की सुविधा होगी । जब हम यह सोच रहे हैं कि सुविधा हो तो इस किस्म से सुविधा पहुंचाई जाय कि ठोकर खाने की गुंजाइश न रहे । इसलिये निवेदन है कि मंत्रीजी इसे अवश्य स्वीकार करेंगे और जो राहत देने का उनका इरादा है उस पर अटल रहेंगे ।

श्री सभापति (श्री भीमसेन) : उप-मंत्रीजी ।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, वित्त) : माननीय चेयरमैन, इस बिल के संबंध में आम तौर से तीन आपत्तियां उठाई गई हैं । वैसे

(श्री चन्दनमल वैद) . .

जो स्पष्टीकरण चाहा गया था आपत्तियों के बारे में उनका जवाब मैं दे चुका था, लेकिन फिर भी आपत्तियां आई हैं उनका स्पष्टीकरण कर दूं।

एक बात यह कही गई कि सूओ मोटो अपने आप पेश होते ही रिन्यू हो जाय। मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि इससे बहुत से कॉम्पलीकेशन्स हो सकते हैं—इसलिए मैं इसको मानने के लिए असमर्थ हूँ।....

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : कॉम्पलीकेशन्स हो चुके हैं........

श्री चन्दनमल वैद : मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, आप समझने की कोशिश नहीं करें तो मेरा कसूर नहीं है। मैं यह अर्ज करता हूं कि मान लीजिये कोई दावा आर० एस० सुपरस्टाम्प के कारण खारिज नहीं हुआ है और दूसरे कारण से खारिज हुआ है, क्यों कि हमने यह कहा कि आर० एस० स्टाम्प लगा उसके कारण जितने भी दावे खारिज हुए हैं वे रिन्यू होंगे तो........

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : यह बिल रखा है सुपरइम्पोज्ड स्टाम्प्स के लिए, न; कि दूसरे दावे खारिज हुए हैं उनके लिये है। हम केवल यह मान कर चलते हैं कि सिर्फ रॉंग सील लगने से जो खारिज हुए हैं वे ही रिन्यू होंगे तो कॉम्पलीकेशन का प्रश्न नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : यह आपकी कल्पना कैसे हो गई कि दूसरे भी इसमें आ जायेंगे ? हम प्रोसीजर यह बना रहे हैं कि सूओ मोटो नोटिस देंगे उनको जो इसकी वजह से खारिज हुए हैं, तो दूसरे इसमें कहां से आयेंगे ?

श्री चन्दनमल वैद : यह आप भूल जाते हैं कि ये दावे सन् ५५ से आज तक हो सकते हैं। सन् ५५ से अब तक राजस्थान में और राज्यों के स्टाम्प्स चले, उस समय से आज तक ऐसी स्थिति हो सकती है। एक एक केस का रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो सकता जिससे पता चल सके कि स्टाम्प के कारण से खारिज हुए। हम यह मानते हैं कि आर० एस० रॉंग लगा है और उस कारण से जो खारिज हुए उनको राहत दी जाय।

दूसरा कारण यह है........

श्री विजयसिंह झाला : यह जो कहा जा रहा है कि कोई अदालत में एप्लीकेशन देगा फिर रिन्युअल नहीं होगा तो कैसे रेकॉर्ड होगा........

श्री चन्दनमल वैद : दूसरी बात यह हो सकती है........

श्री विजयसिंह झाला : मैं जो सूचना चाहता हूं वह पहले दी जाय।

श्री चन्दनमल वैद : मैं स्पष्ट कर चुका हूँ।

श्री विजयसिंह झाला : मंत्रीजी ने कहा कि सूओमोटो होगा और रेकॉर्ड अदालत में नहीं हुआ तो मान लीजिये एप्लीकेशन दी और रेकॉर्ड नहीं है तो केस खारिज रेकॉर्ड के बिना पर हो जायेगा।

श्री चन्दनमल वैद : दूसरी स्थिति यह हो सकती है........

श्री विजयसिंह झाला : मैंने कहा उसकी सूचना नहीं दी जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब ये कहते हैं कि रेकॉर्ड नहीं है, एक चीज रेकॉर्ड नहीं होने पर हो जाती है और दूसरी नहीं होने पर खारिज हो जाती है उसका क्या आधार है ? इसके लिए आपका आधार क्या है ? माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जो इन्फोर्मेशन मैं चाह रहा हूं उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मेरी इन्फोर्मेशन का जवाब दिया जाय।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : This is a hypothetical question. The Minister cannot reply.

श्री सभापति : जो जानकारी थी वह प्रस्तुत कर चुके हैं।

श्री विजयसिंह झाला : सवाल यह है कि जो क्राइटेरिया है वह सब पर लागू होना चाहिए। आप यह कहें कि एप्लीकेन्ट एप्लीकेशन देगा तब ही दावा दायर हो सकता है, इसका क्या आधार है आपके पास ?

श्री चन्दनमल वैद : माननीय सभापति, मैं अर्ज कर रहा हूं कि तीसरी दिक्कत यह हो सकती है कि आज एक दावा खारिज हुआ और उस दावे को रेकॉर्ड में भेज दिया गया। तो जो दावा १९५५ में खारिज हुआ उसको १९६२ में प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कैसे मालूम होगा कि वह दावा खारिज किस बिना पर हुआ था ? इसलिए यह जरूरी है कि जिनको इस विषय में तकलीफ है, जिनको हेरेसमेंट हुआ है, जिनको कोई शिकायत है वे दरख्वास्त पेश करें और दरख्वास्त पेश होते ही दावा रिवाइज़ हो जाय। मेरी समझ में नहीं आता इसमें कौन सी दिक्कत है........

श्री विजयसिंह झाला : अफसोस यह है कि अदालत........

श्री सभापति : Order please ! आप स्थान ग्रहण करें।

श्री विजयसिंह झाला : अदालत के रेकॉर्ड में दर्ज किया जाता है कि दावा खारिज किस आधार पर किया है। आप किस आधार पर कहते हैं कि अदालत को मालूम नहीं पड़ेगा कि किस कारण से खारिज हुआ है ?

श्री चन्दनमल वैद ; माननीय सदस्य नहीं जानते कि दावा खारिज होने के बाद रेकॉर्ड में नहीं रहता है कि इन इन कारणों से खारिज किया है।

श्री विजयसिंह झाला : जो फाइल होती है उसके नीचे वह कारण लिखा होता है जिस कारण से दावा खारिज किया है। उसे आधार मानते हैं तो सूओ मोटो अदालत रिवाइज करेगी। इसलिए इसे आधार माना जाय। अब आप यह कहते हैं कि एप्लीकेशन के आधार पर दावा रिवाइज़ होगा और कुछ के लिए आधार दूसरा होगा, यह आधार होगा। अब अगर रेकॉर्ड नहीं है तो सूओ-मोटो जो दावा रिवाइज़ होता है वह नहीं होगा। इसलिए इस आधार, सूओ मोटो रिवाइज़ होने में क्या दिक्कत है ? आप एक को एक आधार देते हैं और दूसरे को दूसरा देते हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री चन्दनमल वैद : एप्लीकेशन देने से प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ध्यान में आ जावेगा, इसलिए सूओ मोटो से यह बात नहीं हो सकती। मुझे इतना ही कहना है। उसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

इसके बाद अवधि के लिए कहा कि इसको बढ़ाया जाय, क्योंकि ६० डेज़ कम हैं; इसको बढ़ाया जाय। मैं समझता हूँ कि इसके विषय में कोई जिद्द नहीं है कि ६० डेज़ रखेंगे तो सरकारी पक्ष की बात रहेगी और इसके पीछे हट जायेंगे या इसको बढ़ा देंगे तो सरकारी पक्ष की हेठी हो जायेगी। माननीय सदस्य जो जयपुर से आते हैं उन्होंने सुझाव रखा है, जो छः महीने रखे हैं उसको तीन महीने बढ़ा दिया जाय; अगर तीन महीने बढ़ाने पर सदन के माननीय सदस्य राजी होते हैं और चेअरमैन महोदय अनुमति देते हैं तो मुझे आपत्ति नहीं है....

श्री विजयसिंह झाला : फिर छः महीने रहने दीजिये।

श्री चन्दनमल वैद : मुझे दुःख है, चेयरमैन महोदय, जब मैं बोल रहा हूँ तो इस तरह बार बार माननीय सदस्य बीच में बोलते हैं।

श्री सभापति : आप बीच में हस्तक्षेप न करें।

श्री चन्दनमल वैद : माननीय सदस्यों ने दो आपत्तियां उठाई-एक तो सूओ मोटो के लिए; उसके लिये मैंने अर्ज कर दिया है उसको मानने के लिए मैं असमर्थ हूँ। दूसरा जो सुझाव है कि ६० डेज़ की जगह ९० डेज हों, उसमें मुझे एतराज नहीं है, उसको मान लिया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान (सुपरइम्पोज्ड) स्टाम्प्स वैधकरण बिल, १९६२ को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

क्लॉज २

श्री चन्दनमल वैद (उप मंत्री, वित्त) : सभापति महोदय, मैं मूव कर दूं कि ६० डेज़ के बजाय ९० डेज कर दिया जाय ?

श्री सभापति : Yes.

श्री चन्दनमल वैद : मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि अंक '६०' है इसकी जगह '९०' कर दिया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह कि जो संशोधन क्लॉज़ २ में पेश किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २, संशोधनानुसार, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २, संशोधनानुसार, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(श्री सभापति)

(विराम)

क्लॉज़ १, इनेक्टिंग फॉर्मूला, प्रीएम्बल एण्ड टाइटल ऑफ दी बिल

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, प्रीएम्बल इनेक्टिंग फॉर्मूला एण्ड टाइटल ऑफ दी बिल विधेयक के अंग बनें ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, इनेक्टिंग फॉर्मूला, प्रीएम्बल आदि टाइटल विधेयक में अंग रूप में जोड़े गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान सुपरइम्पोज़्ड स्टाम्प्स वेलिडेटिंग बिल, १६६२ को····

श्री चन्दनमल वैद (उप मंत्री, वित्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : On a point of Order, Sir, an amended Bill cannot be taken up for final disposal on the same day.

श्री सभापति : This motion has been allowed. It can be taken.

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान सुपरइम्पोज़्ड स्टाम्प्स वेलिडेटिंग बिल, १६६२ संशोधित रूप में पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय विधेयक १६६२ (विचार-विमर्श)

श्रीमती कमला बेनीवाल (उप-मंत्रिणी, कृषि) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बिल, १६६२ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : On a point of order, Sir...

श्री सभापति : Yes.

श्री रामानन्द अग्रवाल : Under Rule 61, the Bill ought to have been accompanied by a financial memorandum, as the Bill envisages expenditure and according to Rule 61, a Bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memorandum which shall invite particular attention to the clauses involving expenditure and shall also give an estimate of recurring and non-recurring expenditure involved in case the Bill is passed into law.

(2) Clauses or provisions in Bills involving expenditure from public funds shall be printed in thick type or in italics.

Now in the present Bill, the amendment suggested by the Select Committee is to create a University

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

fund, in which the grant by the State Government from the consolidated Fund of Rajasthan is also expected. Moreover, the provision in Rule 61 envisages not only expenditure by the State Government, but any expenditure which is expected to be incurred under the Bill. Therefore; it is necessary, rather imperative that a financial memorandum must have accompanied the present Bill and unless that is submitted therewith, the Bill cannot, be taken into consideration, as suggested by the Select Committees.

श्री सभापति : माननीय विधि मन्त्री इस पर प्रकाश डालेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : I support the point of order and I would like to say something in support of it.

सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जोधपुर यूनिवर्सिटी बिल जब कि पहली बार सदन में लाया गया था उस वक्त चूंकि फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम नहीं था उस वक्त इस रूल के तहत एतराजात किये गये थे और चेयरमैन महोदय द्वारा रूलिंग दी गई थी कि जब प्रवर समिति के प्रतिवेदन के साथ बिल आये उस वक्त फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम के साथ अकम्पनी किया जाना चाहिए। इसी प्रकार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बिल जब पहली बार सदन में पेश किया गया था, तो उसके साथ फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम नहीं था। रूल ६१ एक मेन्डेटरी प्रोविज़न है और यह बड़े अफसोस की बात है और यह सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है कि जब प्रवर समिति के प्रतिवेदन के साथ इस बिल को दुबारा पेश किया जा रहा है इस वक्त भी फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम इस प्रवर समिति की रिपोर्ट के साथ एकम्पनी नहीं किया जा रहा है और सरकार के द्वारा इस प्रकार फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम सदन की मेज पर नहीं रखा जा रहा है और सदन को इस बात से अनभिज्ञ रखा जा रहा है कि हमारे कन्सोलिडेटेट फन्ड से हमारे स्टेट का कितना रेकरिंग और नॉन-रेकरिंग एक्सपेन्डीचर इस यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट के करने पर होगा। इसलिए मैं सदन से और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि इस बिल के साथ फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम नहीं है इसलिए यह बिल विचारार्थ नहीं लिया जा सकता है और सरकार को विधेयक प्रवर समिति की रिपोर्ट के साथ वापिस किया जाना चाहिए और अगर सरकार इस बिल को सदन में पेश करना चाहती है तो फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम के साथ में लाये। यह कानून का उल्लंघन है। इसके साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चेयर द्वारा इस सम्बन्ध में रूलिंग जोधपुर यूनिवर्सिटी के ऊपर दी गई है। उस रूलिंग को स्पिरिट का उल्लंघन हो तो यह किसी प्रकार भी सह्य नहीं है। इसलिए इस बिल को वापिस भेज देना चाहिए; जब तक कि सरकार फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम नहीं दे तब तक इस पर कोई विचार कानून के अनुसार नहीं किया जा सकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) . सभापति महोदय, मैं कुछ कहना चाहूंगा।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

यह प्रश्न जोधपुर यूनिवर्सिटी बिल के समय भी उपस्थित हुआ था और उस समय चेयर के आदेश जारी हुए थे कि जब जोधपुर यूनिवर्सिटी का बिल उपस्थित हो तो वे सारे फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम और जितने मुद्दे हैं वे उसके साथ हों। यह बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि सिलेक्ट कमेटी द्वारा पास होकर सिलेक्ट कमेटी के द्वारा बिल दुबारा सदन में आया है और सदन को पूर्ण रूप से अन्धकार में रखा जा रहा है कि क्या रेकरिंग और क्या नॉन-रेकरिंग एक्सपेन्डीचर है। हर यूनिवर्सिटी का संचालन अलग होता है, जिस पर खर्च होना जरूरी है। उसका पूर्ण विवरण इस रूप का और पूर्ण एस्टीमेट इस रूप का सदन के सामने निश्चित रूप से उपस्थित किया जाना चाहिए, ताकि सदन के माननीय सदस्यों को इस बात का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो कि हमारे कन्सोलिडेटेड फन्ड से इस मद में कितना खर्च होगा, किस रूप में खर्च होगा ताकि उस सम्बन्ध में भी सदन कुछ विचार कर सकता ....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जो पोइन्ट एक दफा कह दिया गया है उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। कोई नई बात हो तो कहें।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : आपने पोइन्ट रेज़ कर दिया है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा कहना है कि एक पोइन्ट नहीं आया है....

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं समझा देता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह सारी की सारी सूचना इस बिल के साथ आनी चाहिए और इस सदन के सारे माननीय सदस्यों को पूर्ण ज्ञान प्राप्त होना चाहिए।

श्री सभापति ; Hon'ble Minister.

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : माननीय सभापति, यह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया गया है कि फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम इसके साथ पेश नहीं किया है, इसलिए इसे कन्सीडर नहीं किया जा सकता है। इसके बारे में मेरा निवेदन है कि इसमें जितने क्लॉज़ेज़ हैं इसके फण्ड के बारे में क्लॉज़ेज़ हैं और इसके सिवाय कोई क्लॉज़ नहीं है जो कि स्टेट कन्सोलिडेटेड फन्ड को टच करता हो और ऐसी स्थिति पैदा होने की गुंजाइश हो। इसलिए इसमें जो क्लॉज़ रखे गये हैं उनमें कोई क्लॉज इस मामले से सम्बन्धित नहीं है। इसलिए फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम रखने की जरूरत नहीं है। इसमें यूनिवर्सिटी का ही फन्ड है, उसके बाद जो कुछ लेना-देना है और बात करनी है वह यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित है। इसलिए कोई मेमोरेन्डम देने की जरूरत नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, जो माननीय मन्त्री ने उत्तर दिया है, मैं समझता हूं कि सही इन्टरप्रिटेशन रूल ६१ का नहीं है। रूल ६१ के अनुसार फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम उस वक्त ही नहीं चाहते जब कन्सोलिडेटेड फन्ड से खर्च हो; बल्कि कोई भी एक्सपेन्डीचर हो, कहीं से भी खर्च हो रहा हो। अगर एक्सपेन्डीचर हो रहा है तो रूल ६१ का सब रूल (१) कहता है

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

"Involing expenditure shall be accompanied". और दूसरा जो क्लॉज़ है उसमें जो पब्लिक फन्ड से खर्चा होगा उसको ठीक ढंग से खर्च करना होगा। इसमें साफ जाहिर है। जो एक्सपेन्डीचर सब रूल (१) में एन्वीसेज किया गया है और जो सब रूल (२) में एन्वीसेज किया गया है वह डिफरेन्ट हैं। अगर पब्लिक फन्ड से खर्चा करना होता है तो मनी-बिल होता और कन्सोलिडेटेड फन्ड होते। अगर कोई इस किस्म का बिल हो तो यह बगैर फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम के किसी तरह से यह नहीं कहा जा सकेगा कि किस तरह से खर्च किया जावेगा; क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सदन की जिम्मेदारी है कि हम कोई ऐसा बिल पास नहीं कर दें जिसके फाइनेन्शियल इम्पलीकेशन्स हम नहीं जानें। इसलिए इस रूल की साफ मंशा है कि चाहे कन्सोलिडेटेड फंड से हो मगर फिर भी उसमें फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम होना मेन्डेटरी है। इस तरह से सब रूल (२) में ठीक तरह से पॉलिश होना चाहिये। इसलिये यह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिल है उसमें भी लागू होगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो जनरल बजट पास किया था उसमें भी कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिये ग्रान्ट का कोई प्रोविजन नहीं है। सिर्फ वहां पर यही लिखा है कि एक लाख रुपया यूनिवर्सिटी के लिये दिया है; क्योंकि जोधपुर यूनिवर्सिटी बिल भी है उसको रेंफर हो सकता है। तो इस बिल को पास करें तो जनरल बजट हमने पास किया है उस पर नई ग्रान्ट का बोझ आनेवाला है, जिसको हमें स्वीकार करना होगा; अगर हम इस बिल को स्वीकार करेंगे। इसलिये सब रूल (२) का बोझ कन्सोलिडेटेड फन्ड पर असर करेगा और यह असर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिल पर पड़ेगा। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि रूल ६१ इस पर लागू होता है और यह फाइनेन्स बिल में आना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : सभापति महोदय, रूल ६१ की तरफ ध्यान दिलाया गया है। मगर मैं यह कहूंगा कि इस रूल को उन्होंने पूरा नहीं पढ़ा है। इस रूल को as a whole पढ़ें तो इसमें सबरूल (२) का प्रोवीज़ो है उसमें लिखा है कि जो फन्ड स्टेट की तरफ से खर्च होना चाहिये तो उसको मोटे टाइप या तिरछे अक्षरों में छापा जाय और दिखाया जावेगा और उसके बाद में स्पीकर उसको मंजूर कर सकता है। इसमें कोई भी धारा, जैसा माननीय सदस्य ने बताया लागू नहीं होती है। अगर कन्सोलिडेटेड फन्ड की बात होती तो वे कहते हैं वह बात लागू हो सकती है। इसलिये जो ऑब्जेक्शन इस स्टेज पर उठाया जाता है उसको उठाने की कोई जरूरत नहीं है और इस समय ऑब्जेक्शन उठाना वाजिब भी नहीं है। न इसमें कन्सोलिडेटेड फन्ड इन्वोल्वड है। इसलिये यह ऑब्जेक्शन है वह उचित नहीं है और इसमें इसके साथ स्टेटमेंट दिया जाना जरूरी नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : Point of Information, Sir, क्या इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बनने से कोई पैसा खर्च नहीं होगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : जिस स्टेज में पैसा देने की बात होगी उस समय सदन के सामने आयेंगे।

Page No. 75

श्री मानिकचन्द सुराणा : प्रश्न यह है कि जब हम पैसा देंगे तब सदन के सामने आवेंगे। मगर प्रश्न यह है कि जो कुछ भी आपको खर्चा करना है उसका स्टेटमेंट इसके साथ संलग्न करना है। जब हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसके लिये एक करोड़ रुपये की धनराशि खर्च करने के लिये रखी है और जब हमें मालूम है कि हम एक करोड़ रुपया इस पर खर्च करनेवाले हैं तो फिर फाइनेन्शियल स्टेटमेंट को रखने में आपको क्या आपत्ति है, आपको क्यों हिचकिचाहट होती है, मैं समझ नहीं पाया। जब हमारे यहां तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है और आपने बताया है कि एक करोड़ रूपया इसके लिये रखा है तो यह अच्छा होता कि एक करोड़ का फाइनेन्शियल स्टेटमेंट भी इसके साथ लगाते, ताकि हाउस को मालूम होता कि कितना रुपया सरकार को रेकरिंग और कितना नोन रेकरिंग के रूप में खर्च करना होगा।

दूसरी बात यह कि चेयर की तरफ से रूलिंग दी जा चुकी है कि ऐसा स्टेटमेंट साथ में दिया जाना चाहिये। तो फिर क्या कारण है कि आप उसको नहीं मानते और फिर दलीलें देते हैं कि फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट की जरूरत नहीं है? मैं कहूंगा कि सदन में चेयर के निर्णय को नहीं मानना, मैं यह कहूंगा कि यह गलत प्रोसीजर होगा और सरकार की जिद्द है, वह गलत है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी कि इतना इतना प्रति वर्ष खर्च होगा। आप खर्च को पास कराने के लिये जा रहे हैं और आपने बताया कि एक करोड़ रुपया खर्च होगा और यह भी दलील देते हैं कि जब रुपया खर्च होगा तब बता दिया जावेगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की बातें कहना उचित नहीं होगा। अगर कोई इस तरह की ब्लन्डर या गलती सरकार की तरफ से हुई है, हो सकता है माननीय मंत्री को मालूम न हो तो आप फाइनेन्शियल मेमोरेंडम को इसके साथ लगा कर कल पेश कर दें।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जवाब देने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : ३६ ए. में इस बात का डेस्क्रिप्शन आता है है कि कृषि यूनिवर्सिटी के क्या फंड्स होंगे, क्या होगा, कैसे होगा। कन्सोलिडेटेड फन्ड से होगा, यह तय नहीं है। जोधपुर यूनिवर्सिटी बिल के इन्ट्रोडक्शन के समय भी यही प्रश्न उठाया गया था। उस पर माननीय अध्यक्ष का निर्णय हो चुका। इस बिल की कोई धारा ऐसी नहीं है जिसका असर अर्थ से हो। स्टेट के कन्सोलिडेटेड फंड पर इसका कोई असर नहीं होता है, इसलिए यह ऑब्जेक्शन उचित नहीं है। फिर भी बार बार इस प्रश्न को उठाया जाता है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह जवाब दिया गया कि इस विधेयक में ऐसी कोई धारा नहीं है जो अर्थ से सम्बन्धित हो। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्लॉज ३२की सब धाराएं अर्थ से सम्बन्धित हैं। कैसे ऊपर से लोन लेंगे, "क" "ख" "ग" वगैरह सब में इस बारे में उल्लेख है, और इस तरह का उल्लेख होने के बावजूद भी कहा है कि नहीं है, तो मन्त्री महोदय को इसे देखना चाहिये कि इस तरह की धाराएं हैं। इसके साथ ही साथ थर्ड फाइव ईयर प्लान में एक करोड़ रुपया खुद गवर्नमेंट बताती है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिये रखा है। जवाब के लिये मन्त्री

(श्री मुरलीधर व्यास)

महोदय ने जवाब दे दिया पर ६१ के अनुसार बिल के साथ खर्च का हवाला आना चाहिये था। प्लान के अन्दर भी १ करोड़ का प्रावधान रखा गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि मन्त्री महोदय भी और सभापतिजी भी इसको देख लेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि वह फैसला जो जोधपुर यूनिवर्सिटी बिल के सम्बन्ध में चेयर से दिया गया था, उसे एक दफा जरा पढ़ा जाय। जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा वैसा फैसला चेयर से नहीं दिया गया। फैसला यह दिया गया था कि बिल जब सिलेक्ट कमेटी में होकर आयेगा उसके साथ फाइनेन्शियल स्ट्रक्चर लगा हुआ होगा। ऐसा फैसला आसन की तरफ से दिया गया था। मन्त्री महोदय ने जैसा बताया है वैसा फैसला नहीं दिया गया; ६१ बिल्कुल क्लीयर करता है कि पूरे फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स नहीं हों तो उस पर विचार नहीं किया जा सकता।

श्री सभापति : अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने रूल ६१ की ओर ध्यान दिलाते हुए वैधानिक आपत्ति उठायी कि फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम साथ में नहीं होने से इस बिल पर विचार नहीं किया जा सकता। जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया; कन्सोलिडेटेड फन्ड से अभी से कोई खर्चा नहीं लेना चाहते, इसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि फन्ड्स के बारे में ३२ ए. की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि ये फन्ड्स कहां से आयेंगे।

तीसरी बात यह है कि चूंकि यह बिल की इन्ट्रोडक्शन की स्टेज थी उसी वक्त आपत्ति उठाई जानी चाहिये थी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया है उसको मैं स्वीकार नहीं करता।

Motion moved. Shri Murlidhar vyas!

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभापति महोदय, राजस्थान कृषि विश्व विद्यालय बिल है इस पर सदन में पहले भी विचार हुआ था और बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार इस पर प्रस्तुत किये थे। उस समय भी इस प्रकार की कई बातें कही गई थीं और उसका जो जवाब सदन में दिया गया था उस समय चूंकि बिल सिलेक्ट कमेटी में जा रहा था अतः माननीय सदस्यों ने सोचा कि सदन में जवाब दिये गये हैं उनके सम्बन्ध में अब जब सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आयेगी तो ऐसी सम्पूर्ण रिपोर्ट आयेगी कि सदन के सदस्यों को किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहेगा; परन्तु जब हमने सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी तो ऐसा मालूम पड़ने लगा कि जो बातें सदन में माननीय सदस्य जानना चाहते थे, सिलेक्ट कमेटी के माननीय सदस्यों ने उन बातों को जानने की कोशिश की उनका उनको जो जवाब मिला, जिन माननीय सदस्यों ने अपनी असहमति प्रकट की है उनसे इस बात का पता चलता है कि जो माननीय सदस्य सिलेक्ट कमेटी में थे उनको भी, जो बातें सदन जानना चाहता था उनसे परिचित नहीं कराया गया और जहां तक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिल का सम्बन्ध है इसको बड़ी तेजी के साथ हम

(श्री मुरलीधर व्यास)

पास करने की कोशिश करते हैं । इसमें मुझे कोई एतराज नहीं । हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी तेजी से खोलें । हम राजस्थान में तेजी के साथ शिक्षा का विकास करना चाहते हैं और जिस गति से हिन्दुस्तान में हायर एज्यूकेशन की प्रगति की जा रही है, कॉलेजेज़ बढ़ते जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बढ़ती जा रही हैं तो हम पीछे क्यों रहें । पहले हिन्दुस्तान में ७७७ कॉलेजेज़ थे अब १,०५० हैं वहां राजस्थान में १०० कॉलेजेज़ हैं । एग्रीकल्चर कॉलेजेज़ सारे हिन्दुस्तान में पहले ५३ थे वे भी थर्ड प्लान में ५७ हो रहे हैं । यूनिवर्सिटीज़ की संख्या ५१ में सारे हिन्दुस्तान में २७ थी, ५६ में ३२ हुई अब सारे हिन्दुस्तान में ४६ यूनिवर्सिटीज़ हैं । अब थर्ड फाइव ईयर प्लान में १० यूनिवर्सिटीज सारे हिन्दुस्तान में और बनेंगी । २ यूनिवर्सिटीज़ राजस्थान में बनती हैं तो खुशी की बात है । पर यहां जो हालत है उसको देखते हुए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यूनिवर्सिटी का है वह यह है कि इनको सिर्फ इसीलिये गति नहीं दी जानी चाहिये कि तथ्य हमारे सामने नहीं आये, बिना तथ्यों के आधार पर आगे चलें तो यह अच्छी परम्परा नहीं होगी । जहां तक कृषि कॉलेज का सवाल है हमारे हिन्दुस्तान में और भी स्थानों पर कृषि कॉलेज खोले जा रहे हैं; जैसे पंजाब में; यू० पी० में खोले जा रहे हैं । सेकन्ड फाइव ईयर प्लान में फतहनगर में कृषि कॉलेज खोला पंजाब में भी इसी तरह कृषि कॉलेज का सवाल है । यह खुशी की बात है कि राजस्थान भी इस मामले में आगे बढ़े पर जब इस ओर आगे बढ़ते हैं तो जो बुनियादी तथ्य हम जानना चाहते हैं तो वे तथ्य प्रारम्भ से लेकर आज तक नहीं आते हैं, योजना किस आधार पर चलाना चाहते हैं ; और राजस्थान में हम इस यूनिवर्सिटी के सवाल को लेकर मूलभूत आधार पर नहीं सोचते । यहां हो यह रहा है कि गलत तथ्य सदन के सामने आ रहे हैं । सदन जानना चाहता था कि राजस्थान में किस जगह यह यूनिवर्सिटी हो ! केवल राजस्थान ही नहीं, सारे हिन्दुस्तान के लोग, बल्कि सारे विश्व के लोग भी ऐसे विश्वविद्यालयों में पढ़ने आते हैं । तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के लिये जिससे सारे देश का, सारे विश्व का सम्बन्ध हो उसके लिए हमारे पास कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट नहीं है कि जिसके आधार पर हम कदम उठा सकें !

जहां तक सदन में सवाल था, यह बात कही गई कि एंग्लो अमेरिकन टीम है उसकी इस प्रकार की सिफारिश है कि उदयपुर के अन्दर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कायम की जाय । इस सम्बन्ध में जो भी सदस्य सिलेक्ट कमेटी में थे उन्होंने भी इस सम्बन्ध में किसी रिपोर्ट के होने की जानकारी करने की कोशिश की । सिलेक्ट कमेटी में २०–२५ सदस्य थे । वे कहते हैं कि वे इस बात को जानना चाहते थे, इसकी कोशिश की भी गई थी, लेकिन ऐसे तथ्य उनके सामने नहीं रखे गये कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए यह स्थान ही क्यों उपयुक्त है ? आज भी मैं समझता हूं कि चार, पांच साल का रेकॉर्ड देखें । एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए प्रारम्भ किस प्रकार से हुआ, राजस्थान सरकार ने किस प्रकार की कोशिश की कि राजस्थान में दूसरा एग्रीकल्चर कॉलेज न खुले । यदि दूसरा कॉलेज खुल जाता है तो उसके द्वारा यह मांग हो सकती है कि यह

(श्री मुरलीधर व्यास)

एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वहां पर हो। इस संबंध में जो पत्र व्यवहार हुआ है, सांगरिया में लगातार एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने की मांग की जाती रही। उसके सम्बन्ध में एक करोड़ की सम्पत्ति, सारे साधन और सुविधायें वहां मौजूद हैं। जो सुविधायें एक एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए होनी चाहिए वे सब वहां मौजूद हैं। उसके बावजूद भी जब आवेदन-पत्र यहां यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को दिया गया तो रजिस्ट्रार की तरफ से और वहां के अधिकारियों की तरफ से किस प्रकार इसमें डिले होती है, जिससे वहां पर एग्रीकल्चर कॉलेज न खुले और नतीजा यह हुआ कि सारी समस्याओं को ठीक ढंग से रखने के बावजूद भी और सारी सुविधाएं एक एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए उपलब्ध होते हुए भी वहां पर आज तक एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं खुल पाया है। आज यह जवाब दिया जाता है कि अगर वहां पर एग्रीकल्चर कॉलेज खुलता तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वहां पर खोल सकते थे। ये जो सब स्पष्ट आधार आपके सामने हैं और उन सबसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस सम्बन्ध में जानबूझ कर देरी की गई।

जब सदन में यह प्रश्न पूछा जाता है तो कहा जाता है कि एंग्लो अमेरिकन टीम की रिपोर्ट है और उसके आधार पर उदयपुर को ठीक स्थान समझा गया है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री कालूलाल श्रीमाली साहब हैं। श्रीमाली साहब से पार्लियामेन्ट में प्रश्न भी पूछा गया। एक पत्र बीकानेर के हिज़ हाईनेस जो पार्लियामेन्ट के मेम्बर हैं, उन्होंने श्री कालूलाल श्रीमाली साहब को लिखा और उसका एजुकेशन मिनिस्टर ने रिप्लाई दिया उसको हम देखें। हमारे सदन में तो यह जवाब मिलता है कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है, एंग्लो अमेरिकन टीम की सिफारिश है, और शिक्षा मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है वह बिल्कुल ही भिन्न है। जो श्रीमाली साहब ने जवाब दिया है उसकी कॉपी आई है उसको मैं सदन के सामने पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। सदन में क्या बात कही जाती है, सरकार क्या बात कहती है और केन्द्रीय सरकार क्या बात कहती है:—

"Education Minister, India,
April 16, 1962.

My dear Maharja Sahib,

Thank you for your letter dated the 10th April. I am grateful to you for your greetings on my appointment as a Cabinet Minister. It is a heavy responsibility and I shall need the support of friends like you in the discharge of my duties. It gives me great pleasure to be reassured that I continue to enjoy your conifidence."

उसके बाद में वे जवाब का उत्तर देते हैं।

श्री सभापति : Order Please! यह क्या डॉक्युमेन्ट पढ़ रहे हैं? सदन की मेज पर रखेंगे?

श्री मुरलीधर व्यास : एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में पार्लियामेन्ट के मेम्बर ने पत्र लिखा है। उसको कोट किया है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : आप इसको सदन की मेज पर रखेंगे?

श्री मुरलीधर व्यास : रख लीजिये। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के साथ इसको भी जोड़ दीजिये।

" ...I spoke to Sukhadiaji about your suggestion to have the Agriculture University in Ganganagar. He is not convinced that Ganganagar could be a better place than Udaipur. I hope, it may be possible to have some other useful project in Gangangar.."

वह तो क्या जवाब कि उदयपुर के सिवाय दूसरा स्थान उपयुक्त नहीं है। शिक्षा मंत्री इस प्रकार का जवाब देते कि इस प्रकार की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है, एंग्लो अमेरिकन टीम की रिकमन्डेशन है, इन ग्राउन्ड्स पर ये कहते तो मैं समझता।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : कॉन्ट्राडिक्शन क्या हुआ?

श्री मुरलीधर व्यास : सुखाड़ियाजी उदयपुर को ठीक समझते हैं। मैं समझता हूं कि यह एक व्यक्तिगत बात हो जाती है। मोहनलालजी सुखाड़िया चाहते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर में हो तो यह कोई बात हुई? जब एग्रीकल्चर विश्व विद्यालय जैसी कोई संस्था कायम करना चाहते हैं तो गंभीरतापूर्वक विचार होना चाहिये।

हमारी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसके अन्तर्गत और केन्द्र की ओर से, सैकन्ड फाइव ईयर प्लान के अन्तर्गत जो यूनिवर्सिटी बनी उसका उल्लेख है, थर्ड फाइव ईयर प्लान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हवाला दिया है और यह बात कही है कि सरकार सोच रही है कि दूसरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहां कायम की जाय, उन्होंने और भी बातें इसमें दी हैं। प्लानिंग के आधार पर काम करना चाहते हैं तो थर्ड प्लान के अन्दर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में प्रोपोजल्स दिये हैं। क्या है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ :—

"During the Second Plan, an Agriculture University was established at Pantnagar in Uttar Pradesh. Further proposals for setting up Agriculture Universities are under examination..."

एक तो हो चुकी है। आगे के लिए केन्द्रीय सरकार एग्ज़ामिन करेगी कि कहां हो और कहां नहीं। राजस्थान में बिल भी आ गया, विचार भी हो गया और तेजी से काम होने लगा। उसके साथ साथ यह भी देखिये :

"The Agriculture Universitiets have a special contribution to make towards the development of agriculture, as has been urged in series of expert reports on Agricultural education..."

और फिर उसके बाद में आगे लिखते हैं:—

"It is pointed out that if India's agriculture is to be raised to levels comparable with those of advanced countries, Agricultural education of traditional type, which is not sufficiently linked with the research and extension, will not be educative in relation to Complex and changing problems of the vast body of cultivators..."

इसमें यह बात भी स्पष्ट कही गई है। प्लानिंग जो चाहते हैं वे कहते हैं कि ट्रेडीशनल आधार पर जो काम चल रहे हैं उसमें

(श्री मुरलीधर व्यास)

परिवर्तन करना चाहिये। इसके नीचे यह भी लिखा है कि छोटे २ होल्डिंग्स हैं, नये ढंग से काम करना चाहिये, पुराने को बदलना चाहिये और इसीलिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो पुराने टाइम का काम है; पुराने टाइम का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर के लिए जहां २ काम हो रहे हैं उनमें परिवर्तन लाना चाहते हैं। प्लानिंग यह चाहता है कि नये तरीकों से काम किये जायं, छोटे २ होल्डिंग्ज़ आवश्यक नहीं हैं और नये प्रकार से काम करना है तो इस प्रकार की एजूकेशन आवश्यक है।

इसके साथ साथ जब मैं कहता हूं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में जो उदयपुर को चुना है उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। राजस्थान को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से डायरी मिली है। मैंने उसको देखा। यह ठीक बात है कि यह देखा जाय कि पुराने तरीके से काम कहां पर हो रहा है और नये तरीके से कहां, कौन सा स्थान उसके लिये ठीक है। नये तरीके से जो काम होता है वह ट्रेक्टर्स के जरिये होता है। इस डायरी के अन्दर दिया गया है कि एग्रीकल्चरल इम्पलीमेंट्स राजस्थान में कहां कहां उपयोग में आते हैं, कहां कहां कितने कितने ट्रेक्टर्स के हलों का इस्तेमाल होता है, उससे अन्दाज लगाया जा सकता है। राजस्थान सारे के अन्दर ट्रेक्टर्स की संख्या २,१६१ है जो इस्तेमाल होते हैं। इसमें डिस्ट्रिक्टवाइज़ दिया गया है। अजमेर में ४४, भरतपुर में १४६, अलवर में ६१, जयपुर में १३१ और गंगानगर में १,१९४। राजस्थान के कुल २,१६१ ट्रेक्टर्स में केवल गंगानगर इलाके में १,१९४ ट्रेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं। उदयपुर में भी नये ढंग से खेती हो रही है, नये ढंग से बहुत काम हो रहा है लेकिन उसके लिये ट्रेक्टर्स का जो इस्तेमाल होता है उसकी संख्या ४७ है। तो इससे आप यह अन्दाज लगा सकते हैं, जो नये तरीके से जैसी कि प्लानिंग रिपोर्ट है पढ़ लीजिये एग्रीकल्चर एजुकेशन के बारे में उससे अन्दाज लगता है जो भी स्थान है उसमें उदयपुर और गंगानगर की तुलना की जा सकती है। आधुनिक साधनों से राजस्थान में कहां कहां पर खेती हो रही है? दो हजार कुल ट्रेक्टर्स जो राजस्थान में इस्तेमाल होते हैं उनमें से १,२००ट्रेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है केवल गंगानगर इलाके में। गंगानगर इस मामले में कितना आगे है। फिर इसके साथ साथ एग्रीकल्चर एजुकेशन के सम्बन्ध में यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कहा गया है। एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में कहा गया है, रिसर्च किस चीज की होगी? For crops like wheat, rice, millets, cotton and oil-seeds; इन चीजों की रिसर्च होगी। कपास कह सकते हैं, गेहूं कह सकते हैं, ऑइल सीड्स कह सकते हैं। रिसर्च आप कराना चाहते हैं। रिसर्च के साधन भी वहां पर ज्यादा उपलब्ध हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार लिखती है उसके मातहत काम करना चाहिये।

तीसरा पोइन्ट यह है कि स्टेट फार्म्स होने आवश्यक हैं।

"Central mechanised farm with

(श्री मुरलीधर व्यास)

an area of about 30,000 acres was established in 1956 at Suratgarh in Rajasthan. The possibility of establi shing more state farms on similar lines have been studied and it is proposed to set up one and possibly two more farms during the third Plan.

तो अब दूसरी बात फार्म की आती है। उसके लिये भी गंगानगर डिस्ट्रिक्ट जस्टिफाई हो रहा है। यूनिवर्सिटी थर्ड प्लान में दिया है वेटरनरी कॉलेज भी बीकानेर में मौजूद है। आखिर प्लानिंग के आधार पर जो बुनियादी तथ्य हैं वे सारे के सारे वहां पर हैं और इसके बावजूद हम इस निर्णय के सम्बन्ध में दूसरा ही निर्णय करते हैं ! केन्द्रीय सरकार ने तीसरी प्लान में यूनिवर्सिटी के बारे में कहा है, पंत-नगर में खोल दी है, दूसरी यूनिवर्सिटी कहां खोली जाय, इसका उल्लेख नहीं है। अभी उसके बारे में सोच रहे हैं। हमारे राजस्थान के अन्दर जहां तक सोचने का सवाल है इस पर गंभीरता से विचार किया जाय, जब कि केन्द्रीय सरकार भी अभी तक इस बारे में सोच रही है। मैं यह कहना नहीं चाहता इस मामले में, स्वयं श्रीमाली साहब ने लिखा है कि मुख्य मंत्री उदयपुर को ठीक स्थान समझते हैं। ठीक बात है, उनके दृष्टिकोण से वे इसको मान्य कर लें; फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में कि जो बात रखी है दो महीने के लिये इस पर पब्लिक ओपीनि–यन जानने के लिए इसको सरकुलेट किया जाय। पब्लिक ओपीनियन का मतलब समाज की आम जनता है। सारे दृष्टिकोण से यह बात जब मैं कहता हूं आम जनता इसमें है इस पर वे सोचें, समझें। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में पब्लिक की ओपीनियन बननी चाहिए, वह राय दे इसमें कि कहां होनी चाहिये। अन्य देशों के अन्दर जो किया जाता है वह हमारे यहां किस तरह से हो सके, इस सम्बन्ध में भी विचार करना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं दो–चार सुझाव रखना चाहता हूं।

एक तो यह कि हिन्दुस्तान के अन्दर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो रही है यह सारे हिन्दुस्तान का सवाल है। इसमें बाहर के लोग भी आकर लाभ उठा सकते हैं। वैसी हालत में कम से कम हमको केन्द्रीय सरकार को लिखना चाहिए, वे ऐसे एक्सपर्ट्स जिनको सही मायने में इसकी जानकारी हो यह देखें कि राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी किस प्रकार की हो, इस प्रकार की एक कमेटी अपोइन्ट करे। वह कमेटी राजस्थान के विभिन्न भागों में जाकर देखें कि इसके लिए कौनसा स्थान सभी तरह से उपयोगी हो सकता है। इस बारे में कोटा के सम्बन्ध में भी सोचा जा सकता है, और भी कई दूसरे सदस्य हैं वे भी अपने अपने स्थानों को इसके लिए उपयोगी बता सकते हैं। एक्सपर्ट कमेटी उन सब चीजों की जानकारी करे। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक एक्सपर्ट कमेटी अपोइन्ट की जाय और इस बारे में केन्द्रीय सरकार को लिखा जाय। वह कम से कम इस बात की जांच करे कि राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए कौन-सा स्थान उपयुक्त हो सकता है। इसमें हिच-किचाहट नहीं होनी चाहिए। कोटा के साथ साथ जोधनेर के लिए भी सोचा जा सकता है। मुख्य मंत्री यह महसूस करते हों कि उद-

(श्री मुरलीधर व्यास)

यपुर का क्लेम अच्छा है, उदयपुर योग्य स्थान है, वहां सारी सुविधायें उपलब्ध हैं तो उनको भी एक्सपर्ट कमेटी से नहीं डरना चाहिए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : सभापति महोदय, मुझे माननीय सदस्य इन्टरप्शन के लिए क्षमा करें। इसको पर्सनल क्वेश्चन न बनाया जाय तो उपयुक्त होगा। मैं भी जो राय देता हूं उस राय देने के पीछे डिपार्टमेन्ट और दूसरे लोगों की राय देख कर ही देता हूँ। कई वजह से मुझे राय देनी पड़ती है। पहले इस बारे में बताया जा चुका है कि इस बारे में क्या फैसला हुआ। क्योंकि उदयपुर से मैं आता हूं इसलिए उदयपुर में हो रहा है, इस तरह के आर्गुमेन्ट्स उपस्थित न करें तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्री मुरलीधर व्यास : उदयपुर कॉन्स्टीट्यूएन्सी से आप आते हैं इसलिए नहीं, आप राज्य के मुख्य मंत्री हैं इस नाते मैं कह रहा हूँ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस दृष्टि से कि मैं उदयपुर से निर्वाचित होकर आता हूं इसलिए उदयपुर में कुछ काम नहीं होना चाहिये, क्या यह वाजिब है ? यह तो आप मेरे से एक्सपेक्ट नहीं करते ? व्यक्तिगत रूप से अपनी राय रखने का हक है।

श्री मुरलीधर व्यास : जब कोई केन्द्र का मंत्री पूछता है तो वह व्यक्तिगत राय नहीं पूछता, वह तो आपको राज्य के मुख्य मंत्री के नाते पूछता है। मैं जो कुछ निवेदन कर रहा हूं मुख्य मंत्री की हैसियत से आप जो कुछ कर रहे हैं वह निवेदन कर रहा हूँ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (राजसमन्द): We would like to have observarion of the Chair on this issue which has been raised by the Chief Minister.

श्री सभापति : It is itself clear.

श्री निरन्जननाथ आचार्य : Is the Honourable member likely to take note of this, Sir ?

(१२. मध्यान्ह)

श्री सभापति : आप अपना भाषण जारी रक्खें।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : सीट के बारे में ही आप अपना भाषण घुमा रहे हैं। इस बारे में पहले काफी कहा जा चुका है। इस बारे में मैं और उत्तर दे दूंगा। बाकी व्यक्तिशः सुखाडियाजी इसे अपने यहां बना रहे हैं, इसलिये यह उदयपुर में बन रही है, ऐसी बात नहीं है। यह आपको समझना चाहिये। कुछ शर्तें थीं इसके बनाने में, इनको कौन किस तरह से पूरा करता है यह भी निवेदन करूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आप भी समझा रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : यह तो मैं भी मानता हूँ कि मन्त्रिमण्डल मिल कर ही कोई फैसला करती है। मिलजुल कर ही आपके फैसले होते हैं कि यह उदयपुर में बन जावे, यह जोधपुर में बना लें। तो इस तरह के फैसले जो होते हैं ये आप मिल कर ही करते हैं; नहीं करते, यह मैं नहीं कहता। ये तो आपका मिलजुल कर ही सारा काम होता है।

(श्री मुरलीधर व्यास)

मैं इसके सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूँ कि जो असहमति के नोट दिये गये हैं उनसे ऐसा लगता है कि कई बातें सदन को व सदस्यों को बताई तक नहीं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, मैं खुद भी वहां था। रिपोर्ट सब के सामने पढ़ दी गई थी। Every member was informed of the whole thing.

श्री मुरलीधर व्यास : सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मैं कह रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : असहमति रखने वाले को रोका नहीं जा सकता, पर इसका मतलब यह नहीं कि बताई नहीं गई थी वह रिपोर्ट।

श्री मुरलीधर व्यास : एक सम्माननीय सदस्य द्वारा यह असहमति प्रकट की गई है कि इस सम्बन्ध की कोई चीज, कोई रिपोर्ट या एक्सपर्ट की रिपोर्ट या दूसरी चीज नहीं है। मैं यहां तक भी कहना चाहता हूं कि मैंने भी इसका पूरा पता लगाया है। जैसा कहा जाता है ऐसी एक्सपर्ट की रिपोर्ट है, एंग्लो अमेरिकन टीम ने सिफारिश की है और वह सारे राजस्थान में घूम कर आई है; घूम कर सब देखा है उसने और इसके बाद में कोई रिपोर्ट दी है। मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात हुई हो तो ऐसा कोई कारण नहीं कि मैं स्वीकार न करूं। पर मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि यह सारा बोगस है। यह तो सिर्फ हम लोगों को, आम जतना को केवल गुमराह करने के लिये, हाउस को गुमराह करने के लिये ये बातें कही गई हैं। ऐसी कोई रिपोर्ट जैसी चीज नहीं है। अगर हो तो मैं मन्त्री महोदय को कहता हूं कि वे सदन की टेबल पर रक्खें। तब मालूम पड़ेगा कि....

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : वे गंगानगर के लिये राय देते तो बोगस नहीं होती।

श्री मुरलीधर व्यास : अगर इस प्रकार से रिपोर्ट होती तो मैं उसे स्वीकार करता, पर मुझे इसमें कोई आधार नहीं मालूम पड़ता।

श्री विजयसिंह झाला : आपका बोगस होने का आधार क्या है ?

श्री मुरलीधर व्यास : मैं इस सम्बन्ध में अधिक बात नहीं कहना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब इस प्रकार की बात है, इस मामले में ऐसी बड़ी भारी गड़बड़ है और इसे अधिकांश सदस्य महसूस करते हैं, वे चाहे यहां सदन में बोलें अथवा न बोलें, मैंने दोनों पक्षों के सदस्यों से बातचीत की है, दूसरे आम लोगों से बातचीत करता हूँ, पढ़े लिखे लोगों से बातचीत करता हूं और जो टेक्निशियन्स हैं, जो इसके सम्बन्ध में समझते हैं उनसे बातचीत करता हूं, दिल्ली में जाता हूं तो वहां जब लोगों से बात करता हूं तो सब एक ही आवाज निकलती है कि यह गलत निर्णय है, ठीक निर्णय नहीं है। सब यह महसूस करते है, यह गलत बात है। तो मेरा यह स्वाभाविक कर्त्तव्य है कि इस गलत बात को यहां सदन में भी रखूं। अगर यह बात गलत नहीं हैं, आप यदि यह महसूस करते हैं कि सही है तो आप साबित

(श्री मुरलीधर व्यास)

करिये। यहां तथ्य रखिये, रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखिये; नहीं तो फिर पब्लिक ओपीनियन जानने के लिये इसे भेजना चाहिये ताकि हम भी केन्द्रीय सरकार के मन्त्रियों से मिल सकें, जिन्होंने यह रिपोर्ट दी उनसे मिल सकें, उनसे बात भी कर सकें। आपकी रिपोर्ट क्या है, यह भी देखें। सरकार जो तथ्य चाहती है, सदन जो चाहता है यहां रखें। सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है, इसके बाद में निर्णय होता है तो मैं नहीं समझता कि सब ने मिलकर जो निर्णय लिया है वह बुरा हो सकता है। मैं सिर्फ मौका चाहता हूं लोकतन्त्र में और अगर आप सही मानते हैं कि उदयपुर के तथ्य मजबूत हैं तो आप मौका दीजिये, हम भी देखें उन तथ्यों को। इस सवाल पर मौन नहीं रहना चाहिये। जहां तक मैंने लोगों से बात की है, इसके बारे में कोई सहमत नहीं हैं। पब्लिक ओपीनियन यह है, ९० परसेन्ट ओपीनियन ऐसी है कि साइट के बारे में जो निर्णय लिया गया है इस सरकार के द्वारा वह गलत निर्णय है। आप भले ही कह दें कि ठीक है। पर जहां तक इसका कोई आधार होना चाहिये, जो बात होनी चाहिये, तथ्य होना चाहिये वह इसमें, मौजूद नहीं है। इसलिये इसके सम्बन्ध में पब्लिक ओपीनियन के सम्बन्ध में हमको भी मौका दीजिये। हम भी अपनी बात कह सकें। सरकार कमेटी की नियुक्ति करें जो केन्द्रीय सरकार से हो। वह कमेटी सब चीजों की जांच करने के बाद निर्णय ले तो अच्छा होगा।

एग्रीकल्चर कॉलेज का जहां तक सवाल है सिर्फ उदयपुर में है, इतना ही जवाब हो सकता है। जहां करोड़ों रुपया यूनिवर्सिटी में लग सकता है वहां एग्रीकल्चर कॉलेज की एक करोड़ की सम्पत्ति तो संगरिया में भी मौजूद है, गंगानगर में। इसका विकास करने में कोई लम्बी चौड़ी पूंजी की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से हो सकता है और वह भी सूरतगढ़ से ३५ मील की दूरी पर है। और यह भी कहा कि कॉलेज की आवश्यकता होती है। ठीक बात है, गंगानगर या सूरतगढ़ में लोग तैयार हैं; एक साल में, छः महीने में दस लाख रुपया जमा करके कॉलेज की बिल्डिंग भी खड़ी कर सकते हैं। अगर इस चीज का भी दावा करते हो तो गंगानगर को और बातों में ठीक समझते हो और इसके लिये कहते हो तो आश्वासन दीजिये, आपका एक पैसा खर्च नहीं होने देंगे। एक साल में गंगानगर में यहां से अच्छा एग्रीकल्चर कॉलेज बना कर दे देंगे। इसके बाद निर्णय करिये, एक कॉलेज के आधार पर निर्णय मत करिये। सरकार को सोचने का मौका है। जहां तक मुझे जानकारी है, मैं कह सकता हूं कि संगरिया के स्वामी केशवानन्दजी ने तो रजिस्ट्रार को लिख कर कहा है कि आप हुक्म दीजिये, अगर कॉलेज की ही बात है तो मैं छः महीने में दस लाख जमा कराके कॉलेज खड़ा कर सकता हूं। अगर आप संगरिया को पसन्द नहीं करते तो सूरतगढ़ और गंगानगर में हो सकती है। तो दस लाख जमा कराके एक साल में कॉलेज बिल्डिंग खड़ी करने को तैयार हूं। इससे ज्यादा आप क्या जवाब चाहते हैं ?

जहां तक पब्लिक ओपीनियन का सवाल है आप इसका मौका दीजिये। अगर कॉलेज

(श्री मुरलीधर व्यास)

बिल्डिंग की खामी है तो वह उदयपुर में है, बीकानेर में भी है तो दूसरे स्थानों पर भी हो सकती है । यहां उदयपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोली, वहां कौनसा कॉलेज है ? वहां खोली गई । पंजाब में लुधियाना में खोल रहे हैं । तो यह कोई तथ्य की बात नहीं है ।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़) : Point of Order, Sir. The Honourable Member is making repetition of his own arguments; therefore; he should be directed to discontinue his speech as early as possible.

श्री मुरलीधर व्यास : कौनसी बात का रिपिटिशन किया ?

श्री सभापति : Order please !

श्री भगराज चौधरी : Simply his grievance is...

श्री मुरलीधर व्यास : यह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर ऐसा ही है ।

मैं तो माननीय सभापतिजी,....

श्री भगराज चौधरी : It is a point of Order, Sir.

श्री निरन्जननाथ आचार्य : There has been a volume of repetitions...

श्री मुरलीधर व्यास : मैं इतने में ही समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूँ कि सरकार इन तथ्यों पर विचार करेगी । यह कोई व्यक्ति की चीज नहीं है, सारे राजस्थान की चीज है; यहां तक कि देश की चीज है । इसलिये इसे पब्लिक ओपीनियन के लिये रखना चाहिये । अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और जो आपने सोच रखा है वही करने कर तुले हुए हैं तो यह गलत परम्परा डाल रहे हैं । सारा सदन जानता है कि गलत बातें हो रही हैं । इसके बाद भी अगर आप पब्लिक ओपीनियन के लिये इसे नहीं भेजते हैं तो यह लोकतन्त्र की उपेक्षा होगी । मैं उम्मीद करता हूं जो सरकार लोकतन्त्र के आधार पर चलती है वह लोकतन्त्र की उपेक्षा नहीं करेगी ।

श्री सभापति : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, जो संशोधन प्रस्ताव बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य, ने सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है मैं उसकी भावना से या उसका जो नतीजा सदन के समक्ष जो बिल पेश है उस पर होने वाला है उससे सहमत नहीं हूं । एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कायम होनी चाहिये, यह एक सराहनीय कदम है । इस बात का उल्लेख, जब यह बिल सदन में इन्ट्रोड्यूस किया गया था, उस समय भी मैंने, हमारे दल की ओर से इसका स्वागत किया था ।

उस बिल में खामियां थीं और उन खामियों को दूर करने के लिये उस बिल को

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सिलेक्ट कमेटी में भेजने का मैंने प्रस्ताव रखा था, जो इस सदन ने स्वीकार किया।

अभी भी इस सदन में जो बिल पेश किया जा रहा है सिलेक्ट कमेटी की ओर से उसमें अभी भी खामियां मौजूद हैं। परन्तु जिस प्रकार का यह सदन कॉन्स्टीट्यूटेड है और जिस प्रकार से इसमें विभिन्न लोग और विशेष तौर पर ट्रेज़री बैन्चेज़ के विचार हैं इस बिल में सिलेक्ट कमेटी में उन पर बहस हुई है और हम प्रयत्न करेंगे, इस सदन में अमेन्डमेन्ट्स के जरिये उन खामियों को दूर करने की कोशिश करेंगे जो कि इस बिल में अभी भी मौजूद हैं। जिस विशेष बात का माननीय सदस्य जो बीकानेर से आये हैं उन्होंने जिक्र किया कि इस यूनिवर्सिटी की प्रिन्सिपल सीट कहां पर हो उस सम्बन्ध में इस संशोधन प्रस्ताव को रखनेवाले महानुभाव ने जो विचार रखे हैं उनसे मैं सहमत हूँ और इस बात का जिक्र उस समय भी हमने किया था जिस समय यह बिल सिलेक्ट कमेटी के सामने पेश किया गया और सिलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए जिस समय संशोधन प्रस्ताव रखा गया था और सलेक्ट कमेटी में जिस तरह की बहस हुई है और जो नोट ऑफ डीसेन्ट उसमें पेश किया गया है उससे जो तथ्य सामने आये हैं उसमें यह स्थिति स्पष्ट है कि कोई वैधानिक या साइन्टिफिक तरीका नहीं अपनाया गया इस बात को तय करने के लिए कि इस यूनिवर्सिटी की प्रिन्सिपल सीट उदयपुर होनी चाहिये। हमारा ख्याल है कि इस प्रकार के बहुत से मामले, जिन्होंने उलझनें पैदा की हैं; जैसे हाई-कोर्ट और राजधानी के प्रश्न आज भी राज-स्थान की जनता के सिर-दर्द बने हुए हैं, तो इस प्रकार के सवाल हम जब तय करें तो उनके पीछे कोई ऐसे टोस आधार रखें जिससे कि हम इस सदन को पूर्ण रूप से विश्वास में ले सकें ऑपोजीसन को ले सके और ट्रेज़री बैन्चेज़ को भी ले सकें विश्वास में जिसमें कि विभिन्न क्षेत्रों से आनेवाले महानुभाव हैं। इस तरह के कदम उठाये जाने चाहिए।

हमें खेद से कहना पड़ता है कि जिस प्रकार का निर्णय इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में इसको उदयपुर में लोकेट करने के बारे में लिए गए उसमें कोई ऐसे तथ्य सदन के सामने नहीं लाये गये हैं जिससे कि हम इस बात से कनविन्स होते कि वास्तव में उदयपुर में ही इसको रखा जाना इसके लिए उपयुक्त है। हम इस सदन को और विशेष तौर पर उदयपुर डिविज़न से आनेवाले हमारे मान-नीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाते हैं कि उदयपुर में सीट रखे जाने के बारे में यदि हमारी आलोचना है या उससे हम कुछ अस-हमति प्रकट करते हैं तो उसका कारण यह नहीं है कि मुख्य मंत्री महोदय वहां से आते हैं और इसलिए वहां पर हमारा यह दृष्टिकोण है कि हम वहां पर कोई काम नहीं होने देना चाहते या और किसी प्रकार से वहां से प्रेजुडिस्ड हैं। यह नहीं होते हुए क्योंकि जिन क्षेत्रों से हम आते हैं न वह उदयपुर डिविज़न में हैं, न ही बीकानेर डिविज़न में हैं। इसलिए हम इसको रीज़नेबल ले लें या कोई बहाव में इस तरह के व्यूज़ रख रहे हों, ऐसी बात नहीं है। परन्तु जिस प्रकार के प्रि-रिक्वीज़िट आधार एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को काम करने के लिए और उसकी प्रिन्सिपल सीट डिसाइड होने के लिए तय होने चाहिए, उसमें स्वीमिंग इस तरह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

का दिखाई देता है और जिस तरह से कुछ आर्ग्युमेन्ट्स रखे गये हैं कि मौजूदा परिस्थितियों में गंगानगर एक उपयुक्त स्थान लगता है फिर भी हमारे दल के इसके बारे में कोई रिजिड व्यू नहीं हैं। हम इस बात के लिए हामी नहीं हैं कि यूनिवर्सिटी की प्रिन्सिपल सीट उदयपुर नहीं होनी चाहिए या हर हालत में गंगानगर ही होनी चाहिए। इसलिए यह सजेशन है कि इस बिल की जो दूसरी क्लॉज़ेज़ हैं उन क्लॉज़ेज़ पर यह सदन विचार करे और निर्णय ले।

जहां तक प्रिन्सिपल सीट के तय करने की बात है उस धारा में इस तरह का अमेन्डमेन्ट कर दिया जाये कि जिससे कि उस सवाल को हम फौरन इस स्तर पर निर्णय न कर आगे एक एक्सपर्ट कमेटी को रेफर कर दें जो कि एक निश्चित अवधि के अन्दर किन्हीं आधारों पर अपना निर्णय दे सके कि यह यूनिवर्सिटी कहां पर सिचुएट होनी चाहिए। इस तरीके से हम यह सोचते हैं कि माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया है और जिसकी मंशा यह टाइम गेन करने की है कि प्रिन्सिपल सीट कहां हो, उसको साइन्टिफिक तरीके से तय किया जाना होगा। मैं यह समझता हूं कि ऐसे कन्ट्रोवर्शियल प्रश्न पर तहम्मल से काम लिया जाना चाहिए और ऐसे तरीके अपनाये जाने चाहिए कि हम उससे सर्व सम्मत निर्णय पर नहीं पहुंचे, लेकिन कम से कम यह तो कहा जा सके कि कोई तरीका अपनाया गया और उस तरीके में एक ऐसी डिस्पेशनेट राय थी जिसके बिना पर यह मामला तय किया गया; आखिर राजधानी और हाईकोर्ट के भी मसले तय हुए और इसी प्रकार से दूसरे दूसरे मामले भी तय हुए, उनके बारे में भी हमने इस प्रकार के तरीके अपनाये। यह आप कह सकते हैं कि वह भी कन्ट्रोवर्सी से अलग नहीं रहा। यह बात सही होते हुए भी यह नहीं भुलाया जा सकता कि उन एक्शन्स को बिल्कुल आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं कहा जा सकता। उनके एक्शन्स को ऐसा एक्शन नहीं कहा जा सकता कि जो लोग सत्ता में हैं, जो इस सरकार में प्रभावशाली हैं, उन्होंने अपनी मन-मर्जी से किया हो, यह ठीक नहीं है।

दूसरे मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इन प्रश्नों को तय करते हुए हम इस बात का भी ध्यान रखें कि आज राजस्थान की जनता को इस मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन से यह भी शिकायत है और हम समझते हैं कि बहुत वाजिब शिकायत है कि वहां डेवलपमेन्ट के काम में, विकास के काम में एक रीज़नेबल तरीके से सारे राजस्थान की जनता को आगे बढ़ने का समान अवसर देकर इस तरीके से नहीं चला रहे हैं, चाहे वे अपनी पोलिटिकल गुत्थियों को तय करने की दृष्टि से शासकीय दल इन सवालों को इस तरीके से तय करते हैं, चाहे वे क्षेत्रीय भावनाओं से प्रभावित होते हैं; लेकिन इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार का ख्याल है कि किन्हीं बातों को आगे तय करने के लिए कुछ सवाल, कुछ विकास के काम पहले कर दिये जाते हैं और फिर उनमें आगे की कार्यवाही करने के लिए दलील बनाई जाती है कि यह काम यहां हो गया, इसलिए आगे का काम भी यहीं पर ही हो सकता है। यदि ये आर्ग्युमेन्ट्स या

Page No. 88

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तरीके हम अपनायेंगे तो सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा this will be adding insult to injury to those areas, which have been neglected regularly so far during this regime. तो जिन क्षेत्रों के बारे में वहां के विकास के बारे में आप उदासीनता और दुर्लक्षता बरतने लगे हैं और उनको इस वजह से वंचित कर रखा है वहां ये चीजें मौजूद नहीं हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज मौजूद नहीं है, लेबोरेटरी मौजूद नहीं है; इस वजह से आगे विश्वविद्यालय कायम नहीं की जा सकती। तो इसका नतीजा यह होगा कि राजस्थान में कुछ क्षेत्र विकसित होते चले जायेंगे, वहां विकास के कार्य होते चले जायेंगे और कुछ क्षेत्र पिछड़ते हुए चले जायेंगे, क्योंकि विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्री कन्डीशनल पहले विकास का कार्य हो। मैं निवेदन करूंगा कि ट्रेज़री बैंन्चेज़ गंभीरता से विचार करे। इस कन्ट्रोवर्शियल प्रश्न को स्थगित करके एक्सपर्ट कमेटी को रेफर करे और एक महानुभाव जिन्होंने संशोधन प्रस्ताव रखा है उनसे निवेदन करूंगा कि यदि ट्रेज़री बैन्चेज़ स्वीकार कर लें इस प्रोविज़न को आगे रेफर करने के लिए इसको अभी तय नहीं करने को तैयार हो तो फिर २ महीनों के लिए इस बिल को पब्लिक ओपीनियन के लिए रेफर करके इस सदन में मंजूर करने की व्यवस्था करें और इस संशोधन प्रस्ताव को, सरकार को तरफ से आश्वासन आवे तो वापिस लेने को तैयार होंगे।

इसके अतिरिक्त जो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है उसके सम्बन्ध में फिर बोलने का अवसर मिलेगा उस समय विचार रखने का प्रयत्न करूंगा।

श्री सभापति : श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : सभापति महोदय, शिक्षा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य के जीवन संस्कार ढलते हैं। मनुष्य नाम का जंतु शिक्षा द्वारा मानव पद को प्राप्त हो जाता है और जहां तक हमारे सामने प्रश्न है राजस्थान में, बल्कि सारे देश में शिक्षा का उत्थान होता है तो कोई मनुष्य ऐसा नहीं होगा जो बाधा उत्पन्न करनेवाला हो। लेकिन शिक्षा की प्रगति और उत्थान इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ने वाला हो : "बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय"। वह शिक्षा हो जिसको प्रत्येक व्यक्ति सरलता से, आसानी से जिस प्रकार प्राप्त होनी चाहिए उस प्रकार प्राप्त कर सके।

एग्रीकल्चर का जहां तक प्रश्न है राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में संशोधन आने के बाद होर्टिकल्चर को इसमें शामिल किया है। बागवानी, फुलवारी की शिक्षा को भी एग्रीकल्चर में सम्मिलित कर लिया है।

अब हमारे सामने प्रश्न यह रहता है कि भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। ऐसे देश में जिसमें बहुत से लोग, अधिकतम लोग जीवन का साधन इसके द्वारा प्राप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देश की उन्नति उस पर निर्भर है।

(१२.२५ म० प०)

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

मेरा निवेदन यह है कि वह विश्वविद्यालय जिस स्थान पर खुलने जा रहा है क्या वह स्थान इस प्रकार उपयुक्त स्थान है जहां कृषि से सम्बन्ध रखनेवाली, खेती से संबंध रखने

(श्री दुर्गालाल गबदार)

वाली सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें ? यदि हमें एक स्थान ऐसा उपलब्ध है जिसमें किसी एक फसल को उत्पन्न कर सकें लेकिन दूसरी फसल या क्रॉप पैदा नहीं हो सकती या यों समझिये कि वह ऐसा स्थान है जिसमें जितनी क्रॉप्स पैदा होती हैं उनको ठीक तरह से समझाने की व्यवस्था कर सकें, शिक्षा दे सकें तो मानना होगा कि सही माने में, सही तरीके से और सही रास्ते पर शिक्षा का विकास करने जा रहे हैं ।

अब तक जो बहस चली उसमें इस प्रकार के विचार आ रहे हैं जो क्षेत्रीय भावनाओं से, व्यक्तिगत बातों से और व्यक्तिगत आकांक्षाओं को लिये हुए हैं । मेरी समझ में यदि कोई स्थान राजस्थान या देश के लिए ऐसी स्थिति में हो सकता है जहां कृषि विश्वविद्यालय हो सकता है, जहां प्रत्येक क्रोप ठीक तरह से कैसे पैदा की जाती है, कैसे दिखाई जा सकती है, ये सुविधाएं हो सकती हैं तो राजस्थान के किसी भी कोने में वह स्थान हो सकता है जहां कृषि विश्वविद्यालय खोला जा सकता है ।

लेकिन एक प्रश्न सामने आता है कि इस प्रकार के स्थान के चुनाव के पूर्व क्या क्या प्रयत्न किये गये ? क्या वहां की सोइल को एग्जामिन कराया गया और इस नतीजे पर पहुंचे कि इस प्रकार की सोइल प्रान्त के किसी भी कोने में मिलती है जहां हर प्रकार की क्रॉप हो सकती है, हर प्रकार की फुलवारी उपलब्ध हो सकती है, हर प्रकार की चीज पैदा की जा सकती है ? यदि ऐसा कोई स्थान है तो वह कृषि विश्व विद्यालय के लिये उपयुक्त हो सकता है । यदि ऐसा नहीं है तो मान कर चलना पड़ेगा कि जिस स्थान को उपयुक्त समझ कर वहां पर विश्वविद्यालय का निर्माण करने जा रहे हैं तो क्या हमारा लक्ष्य या ध्येय शिक्षा को प्रोत्साहित करने का नहीं है ? भारतीय नागरिक का कृषि से सम्बन्ध है व प्रत्येक व्यक्ति समुचित रूप से इस क्षेत्र में उन्नति करना चाहता है तो उसका यह लक्ष्य वहां पूरा होता प्रतीत नहीं होता मेरा निवेदन यह है कि क्षेत्रीय भावना से दूर होकर अपने देश की उन्नति के लिये 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' की भावना को लेकर आगे बढ़ना चाहिये ।

जैसा कि मैंने ऊपर निवेदन किया, शिक्षा ही माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य का निर्माण होता है । मनुष्य जन्तु से मानव पद पर आता है, मनुष्य बनता है । किसी को उन्नति में बाधा नहीं आनी चाहिये । लेकिन यह उन्नति इस प्रकार होनी चाहिये और उसे करने से पूर्व यह देखना चाहिये कि विश्वविद्यालय के लिए वह स्थान जो निश्चित करने जा रहे हैं इसके लिये उपयुक्त है या नहीं । जो प्रस्ताव सामने आया है उसमें यह अंकित है कि यह स्थान इसके उपयुक्त नहीं है तो इस पर विचार करना चाहिये और मानना चाहिये कि वास्तव में डिमान्ड जायज़ है, उपयुक्त है तो प्रत्येक व्यक्ति जिन्हें विशिष्ट व्यक्ति कहते हैं, जिनको एक्सपर्ट कहते हैं उनकी ओपीनियन लेनी चाहिये और वे किस नतीजे पर पहुंचते हैं, प्रान्त के पर्टिकुलर डिविज़न या पर्टिकुलर पार्ट में यदि कहीं सोइल ऐसी है जहां प्रत्येक प्रकार की क्राप पैदा हो सकती है और उसकी शिक्षा दी जा सकती है तो उन सारी भावनाओं से हट कर उस स्थान को उपयुक्त समझना चाहिये । लेकिन यह इस दशा में हो सकता है,

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

प्रस्ताव पर गौर करने पर । बहुत से ऐसे आदमी हो सकते हैं जो क्षेत्रीय भावनाओं से प्रभावित होकर उससे हटना नहीं चाहते तो उसके लिये एक ही मार्ग है और यह कि इसके बारे में एक्सपर्ट से ओपीनियन ले लें । वे एक्सपर्ट्स जो इस बात को जानते हैं, जिन्होंने विशेष अध्ययन किया है यदि उनकी राय ले ली जाय तो कोई बुराई नहीं है । यह हमारी उन्नति और उत्थान के लिये सही तरीका होगा जिसके द्वारा सही रास्ते को अपना सकते हैं । मैं इसका समर्थन करता हुआ ट्रेज़री बैन्चेज़ से निवेदन करता हूँ कि यदि वास्तव में वे चाहते हैं कि सही प्रकार से शिक्षा को स्थान दिया जाय, उन्नति की जाय तो एक्सपर्ट्स की ओपीनियन लेनी निहायत जरूरी है । इस पर विचार करते हुए मैं आशा रखता हूं, निष्पक्षता को अपने हृदय में रखते हुए—'बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय' की भावना को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए एक्सपर्ट्स की ओपीनियन लेनी जरूरी समझी जायेगी और ओपीनियन ली जावेगी ।

श्री अध्यक्ष : यह बहस कल जारी रहेगी ।

(१२.३० म० प०)

श्री उपाध्यक्ष का निर्वाचन

जैसा माननीय सदस्यों को विदित है अब उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु कार्यवाही की जायगी । इस सम्बन्ध में दस प्रस्ताव आये हैं । जिस क्रम से प्रस्ताव आये हैं उसी क्रम से उनको सदन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए लिया जावेगा ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : ये दस प्रस्ताव आये हैं, क्या ये निश्चित समय, जो निर्धारित किया गया था........

श्री अध्यक्ष : आप कृपया शान्त रहें, उतावले न हों ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह जानना चाहता था ।

श्री अध्यक्ष : यह जानने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह समय दिया गया........

श्री अध्यक्ष : Order please ! मेरा सेन्टेन्स पूरा नहीं होने दे रहे हैं, बीच ही में आपत्ति कर रहे हैं । कुछ सब्र रखिये और सुनिये ।

जिस क्रम से आये हैं, उसी क्रम से सदन के समक्ष रखे जायेंगे और उन पर उसी क्रम से मतदान होगा और कोई प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो उसके पश्चात् के प्रस्ताव हैं वे मतदान के लिए नहीं लिये जायेंगे । इस बात को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का संचालन किया जावेगा ।

(विराम)

श्रीमती नगेन्द्रबाला ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : I don't want to move.

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया ।

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह झाला ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : I don't want to move.

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : I don't want to move.

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री जुगलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री रूपाराम ।

श्री रूपाराम पंवार (नोखा-सु०) : मैं नहीं रखना चाहता ।

श्री अध्यक्ष : श्री जेठमल ।

(अनुपस्थित)

श्री ज्वालाप्रसाद.........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : On a point of order sir.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : What point of order ?

श्री अध्यक्ष : ये प्रस्ताव प्रस्तुत हो जायं उसके बाद आपका पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सुन लेंगे ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री नारायणसिंह सदस्य, विधान सभा, विभाजन संख्या १२२ को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह ।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : मैं इसका समर्थन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल 'सेन्टर' ।

श्री प्रभुलाल 'सेन्टर' (खानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तावित करता हूं कि श्री नारायणसिंह, सदस्य, विधान सभा, विभाजन संख्या १२२ को उपाध्यक्ष के लिए मनोनीत किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : आप इसे फिर से पढ़ें, कृपया ।

श्री प्रभुलाल 'सेन्टर' : मैं प्रस्तावित करता हूं कि श्री नारायणसिंहजी, सदस्य, विधान सभा, विभाजन संख्या १२२ को उपाध्यक्ष के लिए मनोनीत किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : निर्वाचित किया जाय ।

श्री प्रभुलाल 'सेन्टर' : निर्वाचित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : फिर से पढ़िये ।

श्री प्रभुलाल 'सेन्टर' : मैं प्रस्तावित करता हूँ कि श्री नारायणसिंहजी, सदस्य,

(श्री प्रभुलाल 'सेन्टर')

विधान सभा, विभाजन संख्या १२२ को उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरवलाल 'कालाबादल' ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : मैं सतीशजी का प्रस्ताव करता हूँ ।........

श्री अध्यक्ष : आपका नाम पुकारा गया था, आप थे नहीं ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : मैं इसका समर्थन करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : On a point of order, Sir, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि आपके द्वारा प्रसारित सूचना के अनुसार ७ मई थी । रूल ८-राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया और नियमावली के अनुसार उपाध्यक्ष पद के लिए जो सूचना या नोटिस दिया जाना चाहिए, वह जो तिथि निर्धारित की जाती है, उससे एक दिन पूर्व नून (noon) के बारह बजे से पहले दिया जाना चाहिए । राजस्थान विधान सभा के सचिवालय ने जो विज्ञप्ति प्रस्तुत की है माननीय सदस्यों को, उसमें भी इस बात का उल्लेख है कि सूचना सूचना-कार्यालय में किस समय दी जानी चाहिए और उसके बाद जो सूचना आवेगी वह सूचना मान्य नहीं समझी जावेगी यानी वह सूचना दूसरे दिन आई हुई मानी जावेगी । इस आधार पर, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री नारायणसिंह मसूदा का जो नाम माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है और जिसकी सूचना सचिवालय को दी है, मेरी सूचना के आधार पर वह सूचना कल रविवार, दिनांक ६ को दी है और मैं ऐसा समझता हूँ कि नियमानुसार यह सूचना नहीं है । वह सूचना केवल शनिवार बारह बजे पहले तक दी जा सकती थी । रविवार को दी हुई सूचना आज सोमवार को दी हुई सूचना मानी जावेगी और इसलिए उस आधार पर यह प्रस्ताव सदन में विचारार्थ प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है । इस संदर्भ में, अध्यक्ष महोदय, जो कुछ कह रहा हूँ, उसकी पुष्टि के लिए मैं आपका ध्यान राजस्थान विधान सभा कार्यवाही और प्रक्रिया नियम है, उसके रूल ८ और रूल २५४ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । नियम ८ में लिखा है:-

"8. Election of Deputy Speaker by House:-(1) The election of a Deputy Speaker shall be held on such date as the Speaker may fix, and the Secretary shall send to every member notice of this date."

सब रूल (२) है :-

" (2) At any time before noon on the day preceding the date so fixed, any member may give notice in writing, addressed to the Secretary, of a motion that another member be chosen as the Deputy Speaker of the Assembly, and the notice shall be seconded by a third member and shall be accompanied by a statement by the member whose name is proposed in the notice that

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

he is willing to serve as Deputy Speaker, if elected:

Provided that a member shall not propose his own name, or second a motion proposing his own name, or propose or second more than one motion"

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं आपका ध्यान नियम २५४ की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूँ और उसके बाद जो कुछ भी मैंने कहा है उसके सम्बन्ध में दो-तीन तर्क उपस्थित करना चाहूंगा। नियम २५४

"Chapter XXV, General Rules of Procedure, Notices, 254. Notices by members-(1) Every notice required by these rules shall be given in writing addressed to the Secretary, and signed by the member giving notice, and shall be left at the Notice Office which shall be open for this purpose between the hours to be notified from time to time on every day except sunday or a public holiday.

(2) Notices left at the Notice office after the hours notified under sub-rule (1) shall be treated as given on the next open day."

यह रूल २५४ है, अध्यक्ष महोदय। मैं इन दोनों नियमों के आधार पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो सूचना कल रविवार को माननीय सदस्यों ने माननीय सदस्य, श्री नारायणसिंहजी, के लिए उपाध्यक्ष पद के लिए, दी है वह रविवार को दी है जो छुट्टी का दिन है और वह रूल २५४ के सब-रूल (२) के अनुसार आज दी हुई मानी जावेगी और आज की है ही। आज ही चुनाव हो रहे हैं। उस दृष्टि से रूल ८ कहता है कि उपाध्यक्ष के लिए जो चुनाव होने जा रहा है उसकी जो तिथि है उसके प्रिसीडिंग डे के बिफोर नून तक सूचना दी जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस आधार पर निवेदन करना चाहूँगा कि यह सूचना दी गई है यह नियमानुसार नहीं है और इस पर विचार नहीं होना चाहिये। यह मेरी आपत्ति है।

इसके साथ ही मैं एक बात की ओर और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और वह यह है कि इसमें लिखा हुआ है, रूल ८ के सब-रूल (२) में-

"(2) At any time before noon on the day preceding the date so fixed, any member may give notice in writing, addressed to the Secretary, of a motion that another member be chosen as the Deputy Speaker of the Assembly, and the notice shall be seconded by a third member and shall be accompanied by a seatement by the member whose name is porposed in the notice that he is willing to serve as Deputy Speaker, if elected"

So the name has to be proposed first, and then it is to be accompanied by a statement that he is willing to serve as Deputy Speaker, if elected. Without a proposal, without a motion being seconded, the question of any consent does not arise.

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अध्यक्ष महोदय, पहले प्रोपोज़ल हो, फिर उसको सेकन्ड किया जावे और उसके बाद उनकी कन्सेन्ट होनी चाहिये। Without a proposal the question of consent does not arise. मैं इस सिद्धान्त को प्रस्तुत करते हुए मामला हाजा में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, अध्यक्ष महोदय, आप उसका अवलोकन करें तो मालूम होगा कि ६-५-६२ को माननीय सदस्य ने प्रस्ताव किये हैं। ६-५-६२ को समर्थन हुआ है। जब ६-५-६२ का प्रस्ताव है और समर्थन है तो उनकी कन्सेन्ट कैसे हो सकती है जब वे यहां जयपुर में नहीं हैं? मैं अदब से बा-इज्जत माननीय अध्यक्ष, कुछ कहना नहीं चाहता, with all due respect लेकिन इससे यह भी इनफरेन्स निकाला जा सकता है कि आया जो दस्तखत उनके हैं वे जिनाइन हैं या नहीं। इस पर भी प्राइमाफेसी डाउट होता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): It is too premature, Sir.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसके लिये तो मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि ६-५-६२ को तारीख में उनकी कोई कन्सेन्ट नहीं हो सकती। इस तारीख में ६-५-६२ को उनके दस्तखत मौजूद हैं। या तो माननीय सदस्य बतावें कि वे चार्टर्ड प्लेन से आये हों बम्बई से या कोई दूसरा लाया हो। यह मेरी जानकारी है कि कोई चार्टर्ड प्लेन नहीं आया इसलिये कल ६-५-६२ को दस्तखत जयपुर में नहीं हो सकते। या तो यह तारीख जो ६ है वह गलत है या उनके दस्तखत गलत हैं: the whole matter is fishy, I will not say anything about it. लेकिन मैं समझता हूँ कि इन सारी परिस्थितियों में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है सदन को इस पर विचार नहीं करना चाहिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : I would like to submit about the point of Order.

श्री अध्यक्ष : Anyone to support it first.

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : I want to support it and I have given in writing also, अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस विषय में आपके सामने एक घंटे पहले यह आपत्ति लिख कर पेश की थी कि जो समय निर्धारित किया था, उसके बाद परसों १२ बजे के बाद नोमिनेशन पेश किया गया है वह वैधानिक नहीं है इसलिए उस पर कोई चुनाव नहीं कराया जावे।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पोइन्ट आफ ऑब्जेक्शन रेज़ किया है उसका समर्थन करता हूँ। रूल्स ऑफ प्रासीज़र एण्ड कन्डक्ट ऑफ बिज़नेस सदन के समक्ष कोट किये जा चुके हैं और मैं उसे दुबारा पढ़ने की कोशिश नहीं करूंगा। लेकिन यह स्पष्ट है कि जिस दिन चुनाव किया जावे उसके प्रिसीडिंग-डे को नोमीनेशन जो भी आवें, आने चाहिये और पेश हो जाने चाहिये लेकिन जबकि ७ तारीख को चुनाव होने वाला है और ६ तारीख को पब्लिक होलीडे थी और ऐसी हालत में हमारे रूल्स कहते हैं कि इस

Page No. 95

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

तरह का प्रस्ताव पेश नहीं होता है और अगर होता है तो दूसरे दिन प्रस्तुत हुआ समझा जावेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि श्रीनारायणसिंह का जो प्रस्ताव उनके उपाध्यक्ष के लिये प्रस्तुत किया गया है वह आज की तारीख में यानी ७-५-६२ में आया हुआ समझा जा सकता है। यह हमारे रुल्स में है कि अगर कोई प्रस्ताव Sunday या किसी पब्लिक होलीडे में प्रस्तुत होगा तो दूसरे दिन हुआ माना जावेगा। इसलिये इसके लिये कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डाइरेक्टिव जारी नहीं किया जा सकता। मैंने इस सम्बन्ध में ५ तारीख को एसेम्बली सेक्रेटेरियेट से जानकारी की थी, दो बार टेलीफोन डिप्टीसेक्रेट्री को किया और एक बार सेक्रेट्री को किया। डिप्टी सेक्रेटरी ने कहा कि १२ बजे के बाद कोई भी नोमी–नेशन डिप्टी स्पीकर के लिये नहीं लिया जावेगा। एसेम्बली के स्टाफ के डिप्टी सेक्रेट्री एक जिम्मेदार अधिकारी हैं और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और एसेम्बली सेक्रेट्री को भी एक बार फोन किया था....

श्री अध्यक्ष : सेक्रेट्री और डिप्टी सेक्रेट्री ने जो कुछ कहा उसके लिये कुछ न कहें। आपने जानकारी चाही होगी और उन्होंने आपको जवाब दिया होगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैंने इसलिये रेफर किया कि एसेम्बली सेक्रेटेरियेट से यह जानकारी की गई थी और सेक्रेटेरियेट ने यह जानकारी दी थी। इसके बाद रूल्स ऑफ प्रोसीजर के द्वारा भी नोमीनेशन ५ तारीख को आना चाहिये क्योंकि ६ तारीख की छुट्टी थी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी लीगल पोज़ीशन है और जो हमारे बिज़नेस रूल्स में है उसके अनुसार भी यह पेश नहीं किया जा सकता और हमें इस सदन की उच्च परम्पराओं को निभाना है। यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया जबकि पब्लिक होलीडे थी। इसलिये हम इस पर विचार नहीं कर सकते। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि सदन इस पर विचार न करे इस पर आवश्यक कार्यवाही होनी चाहिये क्योंकि यह प्रस्ताव गैर कानूनी है। इसलिये इस प्रस्ताव को अल्ट्रा-वायर्स करार किया जावे और चूंकि कोई दूसरा केन्डीडेट नहीं है इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि उपाध्यक्ष के चुनाव के लिये अन्य समय निर्धारित किया जावे।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल, जयपुर) : Mr. Speaker, Sir, it is a question of interpretation of rule 8 and rule 254 of the Rules of Procedure. My respectful submission, as far as the question of interpretation of these two rules is concerned, is that rule 8 has got three stages. At the first stage, the name is to be proposed, at the second stage it is to be seconded and the third stage is when the candidate has to give his acceptance. Now there are certain circumstances before the House which are to be judged and decided by the Hon'ble Speaker. My submission is that it is only when the first two stages are complete that the third stage comes. In view of the circumstance that the candidate whose name was proposed by Hon'ble Member is said to be not present at the place where the proposal has been made or seconded the question of acceptance does not arise.

(श्री दुर्गालाल बाददार)

Second important circumstance that I will place before the House is that the date on which proposal was made is 6th May. On this date the proposal is said to have been made and seconded. Now it is for consideration whether it is possible for a man residing at a distance of 700 miles to give his consent on that very day. Ofcourse, in this scientific age every thing is possible: one could have a chartered plane, gone there and come back with the consent; but there is nothing before the House apparently from which it can be judged and decided that this course was taken. In such circumstances the whole matter becomes very doubtful.

The second question is of interpretation of rule 254. Here I beg to differ a little from my friend. The rule reads-

"Every notice required by these rules shall be given in writing addressed to the Secretary, and signed by the member giving notice, and shall be left at the Notice Office which shall be open for this purpose between the hours to be notified from time to time on every day except Sunday or a public holiday." I may be wrong in interpreting this particular rule, but according to my opinion there are certain days which are declared to be public holidays. There is also Sunday on which we meet and decide matters. Sometimes we meet on Sunday also. As far as the working hours are concerned they are not fixed or prescribed by the Rules of Procedure. It is on the sweet will and desire of the House and decision of the Speaker that the time is fixed and these hours are fixed for working days only and not for Sundays or public holidays. That is interpretation of rule 254 in my humble submission.

But as far as rule 8 is concerned, it is very clear that this candidate is not entitled to contest the election of Deputy Speaker. It is now for the Hon'ble Speaker to decide the whole matter.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष, जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया गया है उसके लिये इतना ही अर्ज करना चाहता हूँ कि चेप्टर ३ के रूल ८ के आधार पर हमारे असेम्बली सेक्रेटेरियेट के द्वारा सर्क्युलर भेजा गया था उसमें स्पष्ट किया गया था कि ५ तारीख को साढ़े बारह बजे तक नोमीनेशन फॉर्म्स आ जाने चाहिये....

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूं कि यह सही नहीं है। नोटिस में केवल यह लिखा है, मैं पढ़ कर सुना दूं :

"आपको सूचित किया जाता है कि राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ८ (१) के अंतर्गत अध्यक्ष महोदय ने सभा के उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि सोमवार दिनांक ७ मई, १९६२ निश्चित की है।"

(श्री अध्यक्ष)

इसके पश्चात् नियमों का उल्लेख किया गया है। यह कहीं नहीं लिखा है कि अमुक तारीख को साढ़े बारह बजे तक आ जाने चाहिये। इसलिये माननीय सदस्य इतनी गम्भीर समस्या पर कोई बात कहें तो तथ्यों के आधार पर ही कहें।

श्री मुरलीधर व्यास : रूल ८ में यह स्पष्ट उल्लेख है....

श्री अध्यक्ष : आप इन्टरप्रेटेशन कर सकते हैं पर यह नहीं कह सकते कि अमुक तारीख को इतने बजे से पहले ही आ जाना चाहिये, यह लिखा है।

श्री मुरलीधर व्यास : पुराना पढ़ा था उसमें साफ था....

श्री अध्यक्ष : फिर आप वही कह रहे हैं। मैंने तो आपको पढ़ कर सुना दिया है।

श्री मुरलीधर व्यास : रूल ८ में स्पष्ट उल्लेख है, २५४ में वह काउन्ट नहीं होगा। इस आधार पर मैं खुद आया, सेक्रेटेरियट से जानकारी लेने के बाद कहा जाय या नहीं कहा जाय, पर जो जानकारी यहां से मिली उसका उल्लेख करना जरूरी है। यह कहा गया कि साढ़े बारह बजे के बाद पर्चे नहीं लिये गये; फोन भी किया गया तो यही कहा गया कि बाद में पर्चे नहीं लिये गये। इस दृष्टिकोण से मैं जानकारी चाहता था कि ५ तारीख को साढ़े बारह बजे के बाद में जितने पर्चे आये वे बोर्ड पर लगा दिये जाते तो जानकारी सबको मिल जाती। हम जानना चाहते थे कि किस किस टाइम पर पर्चे भरे, यह बोर्ड पर भर दिया जाता तो अच्छा होता। सेक्रेटेरियट के जरिये सारे सदन के माननीय सदस्यों को सर्कूलर भेजा गया था; उसमें यह उल्लेख कर दिया कि किसने प्रस्ताव किया, किसने समर्थन किया, उसके साथ ही साथ यह भी उल्लेख हो जाता कि अमुक ने इस तारीख को इतने बजे पर्चा भरा।

श्री अध्यक्ष : यह माननीय सदस्य ने जानना चाहा था कि किस तारीख को कौनसा नोमीनेशन आया, वह बता दिया था, इसलिये नोटिस निकालने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री मुरलीधर व्यास : जो नोटिस भेजा उसी में उल्लेख हो जाता।

श्री अध्यक्ष : यह आपका विचार है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य।

श्री निरन्जनाथ आचार्य (राजसमन्द) : जो औचित्य प्रश्न उठाया गया है उसके सम्बन्ध में अध्याय तीन और अध्याय २५ का उल्लेख करते हुए निवेदन करूंगा कि उक्त अध्यायों को समझने में कुछ भ्रान्ति हुई है। अध्याय ३ के प्रोसीजर और नियमों से प्रतीत होता है कि चेप्टर ३ सेल्फ कन्टेन्ड सेल्फ सफीशियेन्ट और सेल्फ सपोर्टेड है। प्रश्न विचारणीय यह है कि चेप्टर ३ के रूल ८ में जो व्यवस्था है वह चेप्टर २५ के रूल २५४ से गाइड होती है कि नहीं? रूल ८ को देखा जाय तो स्पष्ट है कि इसके मोशन की प्रक्रिया इसी में उल्लेखित है। चेप्टर ३ के रूल ८ में जो व्यवस्था दी गई है वह इस तरह की नहीं है कि इसका प्रोसीजर जो चेप्टर २५ में दिया गया है, उससे गाइड होता है। चेप्टर

Page No. 98

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

२५ में नोटिस के सम्बन्ध में नोटिस किस प्रकार दिया जाना चाहिये, इसका प्रावधान है कि जिसके अनुसार रविवार अथवा छुट्टी के दिन नोटिस नहीं दिया जाता । यह चेप्टर ३ के अन्तर्गत रूल ८ के तहत इस पर उक्त प्रावधान लागू नहीं होता । मैं मुख्यतः रूल ८ को सदन के सामने रखता हूँ जिसमें लिखा है, नोटिस राइटिंग में हो, सम्बोन्धित हो सेक्रेटरी को, सेकन्ड हो अन्य मेम्बर द्वारा जिस मेम्बर का नाम प्रस्तावित किया गया है उसकी स्वीकृति कि ये सेवाएं करने को तैयार हूँ,हों । रूल ८ के अन्तर्गत यह व्यवस्था दी गई है । यह व्यवस्था चेप्टर २५ के रूल २५४ के अन्तर्गत दी गई नोटिस की व्यवस्था से गवर्न नहीं होती । रूल में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वह इस प्रकार है :

"At any time before noon on the day preceding the date so fixed, any member may give notice in writing..."

यदि रूल ८ को बनाने के वक्त रूल २५४, चेप्टर २५ के अन्दर जो नोटिस की व्यवस्था की गई है उसका इसमें उल्लेख होता तो यह ऑब्जेक्शन मेटीरियल होता, किन्तु वहां यह ओमिशन है । इससे पता चलता है कि नोटिस के सम्बन्ध में जो चेप्टर २५ के रूल २५४ में व्यवस्था दी गई है वह साधारण मोशन के बारे में है । चेप्टर ३ के रूल ८ में जो व्यवस्था दी गई है वह अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय के चुनाव के सम्बन्ध में है, इसलिए दोनों के सम्बन्ध में भ्रान्तियां हो सकती हैं । चेप्टर ३ के रूल ८ का जो प्रोविज़न है वह एक इन्डिपेन्डेंट सेल्फ सफीशियेन्ट प्रोविज़न है । इसके अन्तर्गत माननीय श्री बाढ़दार ने छुट्टी के प्रश्न की ओर संकेत किया है । इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह हाउस एवं अध्यक्ष महोदय के डिस्क्रीशन पर है कि छुट्टी के रोज भी कार्य संचालन का आदेश कर दें । इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय को पूरे अधिकार रूल ३०८ में दिये गये हैं :—

"If any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules the decision of Speaker shall be final."

३०८ इसको और साफ कर देता है । इसका ३०७ में भी जिक्र किया गया है कि अगर रविवार को वर्किंग डे मान लिया गया और मध्यान्ह पूर्व नोटिस देने का आदेश दिया गया तो ३०७ रूल के अनुसार अध्यक्ष महोदय को अधिकार है कि उसको वर्किंग डे के अन्तर्गत मान लिया जाय ।

"All matters not specifically provided for in these rules and all questions relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the Speaker may, from time to time, direct."

इसी तरह रूल्स के इन्टरप्रेटेशन का जहां सवाल हो वहां अध्यक्ष महोदय का डिसीज़न फाइनल रूल ३०८ के अनुसार होता है ।

मेरा निवेदन है कि चेप्टर ३ का रूल ८ एक इन्डिन्पेडेंट प्रोविज़न है । उसमें कोई प्रश्न पैदा होता है तो उसके लिए अध्यक्ष महोदय को रूल ३०७ और ३०८ के अनुसार अधिकार दिये हुए हैं कि वे उसकी व्याख्या के

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

सम्बन्ध में व्यवस्था दे सकते हैं। यह रूल्स का प्रश्न है, रूल्स के सम्बन्ध में इतना रेगुलेट नहीं किया जा सकता कि हर छोटे प्रश्न पर अलग वृहत् रूप में अलग व्यवस्था की जाय। हाउस ऑफ कॉमन्स में अध्यक्ष महोदय द्वारा ही रूल्स के इन्टरप्रेटेशन के सम्बन्ध में या और इस तरह की कई बातों पर व्यवस्था दी जाती है। यहां भी रूल्स के सम्बन्ध में इस तरह की स्थिति हो, कोई भ्रान्ति हो तो अध्यक्ष महोदय स्वयं व्यवस्था देते रहे हैं और दे सकते हैं; ३०७ के अनुसार अध्यक्ष महोदय का निर्णय फाइनल होगा। इस प्रकार के अधिकार रूल ३०८ में दिये हुए हैं। चेप्टर ३ का रूल ८ है वह इन्डिपेन्डेंट प्रोविज़न है। चेप्टर २५ के रूल २५४ में दी गई नोटिस को व्यवस्था इस पर लागू नहीं होती।

(१ मध्यान्ह)

ऐसी स्थिति में इसके इन्टरप्रेटेशन का जहां तक सवाल है मैं समझता हूं यह बहुत ही स्पष्ट है। जो नोटिसेज़ और प्रस्ताव आये हैं वे किसी प्रकार से इल्लीगल नहीं हो सकते हैं और टाइम के भीतर हैं।

दूसरा प्रश्न उठाया गया कि श्री नारायण सिंह के सिग्नेचर किस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं? उक्त नियमों के अन्तर्गत रूल और स्टेटमेन्ट का सवाल महत्व का नहीं है। It has been signed by the Hon'ble Members.

उपाध्यक्ष के लिए स्वीकृति प्रदान करना ही मेटीरियल है। छोटी सी डिस्क्रिपेन्सी को नहीं देखा जाना चाहिये। अब सवाल सिग्नेचर्स जिनाइन हैं या नहीं, इस सम्बन्ध का रहता है।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : अध्यक्ष महोदय, सदन का समय वैसे समाप्त हो गया है इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही १५ मिनट के लिए और बढ़ा दी जाय।

श्री अध्यक्ष : १५ मिनट ही नहीं, जब तक यह प्रस्ताव पारित न हो जाय तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

क्या माननीय सदस्यों की यह राय है कि सदन का समय तब तक के लिए बढ़ा दिया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

(विराम)

हां, जारी रखिये।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह जो स्थिति रखी गई है उस पर सदन के माननीय सदस्यों का विश्वास है कि ये माननीय सदस्य के सिग्नेचर्स हैं। किस तारीख को सिग्नेचर्स हुए हैं यह इम्मेटीरियल है, यदि सिग्नेचर्स जिनाइन हैं। इसलिये जो व्यवस्था दी जानी चाहिये वह इस आधार पर हो कि Rule 8 is independent and self-contained and it is not to be regulated by Rule 254.

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न को लेकर सदन में आपत्तियें माननीय सदस्यों ने उठाई हैं। पहली आपत्ति तो यह है कि चेप्टर ३, रूल ८

(श्री मथुरादास माथुर)

में जो व्यवस्था दी गई है उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए और चेप्टर २५ में सैक्शन २५४ के मातहत जो व्यवस्था दी हुई है इन दोनों को पढ़ते हुए यह एतराज उठाया गया कि इतवार को दोनों नोटिस दिये गये हैं उनको इतवार के दिन नहीं समझा जाना चाहिये और सोमवार को समझा जाना चाहिये और आज इस परिस्थिति में इस सदन में उस पर चर्चा नहीं हो सकती।

अभी राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने जो निवेदन किया है मैं उसकी ताईद करता हूं, क्योंकि किसी भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर में अगर कोई स्पेसिफिक रूल्स किसी विषय के लिए लिख दिया जाता है तो फिर उस पर जनरल रूल्स एप्लाई नहीं होते और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए क्या व्यवस्था रखी जाय उसके लिए चेप्टर ३ हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर में एक स्पेसिफिक चैप्टर है इसलिए हमको इस चैप्टर में जो व्यवस्था दी हुई है उसको मानना पड़ेगा। बाकी मोशन्स और तरह के होते हैं जिनकी व्यवस्था स्पेसिफिकली हमारे यहां उसकी व्यवस्था दी गई हो तब जनरल रूल्स ऑफ प्रोसीजर और दफा २५४ जो मोशन्स के लिए, नोटिसेज़ के लिए दी गई है उसको मानेंगे। अब जहां तक सेक्शन ८ का सम्बन्ध है उसमें यह साफ दिया गया है कि एक दिन पहले दोपहर तक, नून तक, आवेदन पत्र या नोटिसेज़ दिये जा सकते हैं। इसलिए जो कुछ भी व्यवस्था दी गई है उसको देखते हुए जो कुछ कार्यवाही की गई है वह व्यवस्थित है और ठीक है और जो आपत्ति उठाई गई है वह उस पर लागू नहीं होती।

दूसरी आपत्ति जो उठाई गई है वह यह है कि उसमें जो प्रोपोज़र होता है, सेकन्डर होता है मोशन का उसके साथ साथ जो केन्डीडेट है उसकी कन्सेन्ट होनी अनिवार्य है ; इस सेक्शन का इतना ही मतलब है। कनसेन्ट, माननीय अध्यक्ष, थियोरिटीकली इसको आर्ग्यु किया जाय तो मेरे प्रोपोज़र और सेकन्डर किसी मोशन को मेरी कनसेन्ट लेकर बाद में प्रोपोज़ और सेकन्ड करके तारीख लगा कर दें तो कर सकते हैं। उसमें कोई फिशी चीज़ नही जैसा कि कहा गया। इसमें कोई इल्लीगलिटी नहीं है और कानून और प्रोसीजर की अवहेलना भी नहीं है। जो माननीय सदस्य, उपाध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं उन्होंने अपनी स्वीकृति बंबई से भेज दी है और यहां पर प्रोपोजर और सेकन्डर ने जिस रोज प्रोपोज़ और सेकन्ड किया है तारीख लगाकर नोटिस को पेश कर दिया। सिर्फ यह देखना इसमें रह जाता है कि उनकी स्वीकृति इसमें है या नहीं। तो यह एतराज नहीं उठाया गया है कि स्वीकृति नहीं है।

श्री भैरोसिंह (किशनपोल, जयपुर) : एतराज है ।

श्री मथुरादास माथुर : हस्ताक्षर से स्वीकृति हुई, उस पर एतराज नहीं है। ६ तारीख को यहां नहीं थे तो कनसेन्ट कैसे आ सकती है; यह उठाया गया। कनसेन्ट कोई माननीय सदस्य किसी पद पर खड़े होने के लिए दे दे, बिना तारीख लिख कर चिट्ठी भेज दे और प्रोपोज़र और सेकण्डर अगर तारीख लगादें तो तब नियम विरुद्ध नहीं है और वे ऐसा कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपका मतलब यह है कि चिट्ठी आ गई है और फॉर्म नहीं आया है ?

श्री मथुरादास माथुर : जो फॉर्म है उस पर कॉनसेन्ट हो कर आई है। यह एतराज होता कि माननीय सदस्य के दस्तखत नहीं हैं तो वह चर्चा का विषय होता।

श्री भैरोंसिंह : दस्तखत नहीं हैं।

श्री मथुरादास माथुर : यह तो अब कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बहुत अदब से कहा था।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : बहुत अदब के साथ ही वापिस विड्रॉ करेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : मैं अदब से कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य के दस्तखत हैं और उन्होंने स्वीकृति भेजी है।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल, जयपुर) : Without a proposal there is no candidate, and if there is no candidate, the question of consent does not arise.

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य यह समझें कि प्रोपोज़र और सेकण्डर होने चाहियें, they are there.

श्री दुर्गालाल बाढदार : He cannot be candidate unless he has been proposed and seconded.

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, इसमें यह साफ लिखा है कि प्रोपोज़र और सेकन्डर के साथ में कन्सेन्ट का स्टेटमेन्ट होना चाहिये। कन्सेन्ट का स्टेटमेन्ट मौजूद है। The provisions of rules are fulfilled and the apprehension in the mind of my learned friends is absolutely baseless. इसलिए मैं समझता हूं कि दोनों एतराज उठाये गये हैं, उनके एतराज इतने वजनदार नहीं हैं कि उन पर ध्यान दिया जाय।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो राजसमन्द से पधारे हैं उन्होंने रूल ८ और २५४ को नियम ३०७ और ३०८ के साथ पढ़ते हुए उनमें कुछ सामन्जस्य और कुछ विभिन्नता प्रकट करते हुए यह बताया कि चेप्टर ६ अलग है और चेप्टर ३ अलग हैं। मैं माननीय सदस्य की राय से असहमति प्रकट करते हुए निवेदन करता हूं कि इसमें चेप्टर २५ है यह चेप्टर ३ को ओवरराइड करता है और चेप्टर २५ के रूल २५४ में कोई प्रोविज़ो या एक्सेप्शन ऐसा नहीं है जिससे चेप्टर ३ को निकाल दिया गया हो। इसलिए नियम ८ नियम २५४ से गवर्न होता है और इसकी भाषा को भी माननीय सदस्य गहराई से पढ़ते तो इस प्रकार इस आपत्ति को एक साधारण आपत्ति समझ कर टालने की चेष्टा नहीं करते। इसके साथ ही माननीय सदस्य ने ३०७ और ३०८ का हवाला दिया है रेज़िड्युरी पॉवर्स का। इसमें भी यह बताया गया है कि जहां नियम न बने हों स्पीकर अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। जहां नियम बने हुए हैं तो ऐसा डिस्क्रिशन रूल ३०७ और ३०८ के अन्तर्गत अध्यक्ष

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

महोदय नहीं कर सकते । जहां तक नियम ८ और २५४ का सम्बन्ध है यह स्पष्ट है कि नोटिस यदि इतवार को दिया जावेगा तो अगले दिन आया समझा जावेगा । इस तरह से ६ तारीख को नोटिस दिया है वह ७ तारीख को आया हुआ समझा जावेगा ।

नियम ३०७ इसलिये लागू नहीं होता कि इसके लिये चेप्टर २५ में नियम बने हुए हैं । रूल्स साइलेन्ट नहीं हैं । इसलिये मेरा निवेदन यह करना है कि जो प्रस्ताव सदन के समक्ष आया है उसको अनियमित करार दिया जाना चाहिये ।

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) : अध्यक्ष महोदय, होम मिनिस्टर साहब ने जो स्टेटमेन्ट दिया है वह इस बात का सुबूत है कि कन्सेन्ट जो दी थी उस समय हस्ताक्षर नहीं थे । नोमीनेशन के लिये जरूरी था कि प्रोपोज़र और सेकन्डर अपने हस्ताक्षर करें । एक केन्डीडेट को प्रोपोज़ करता है दूसरा सेकन्ड करता है । प्रोपोज़र और सेकन्डर बाद में केन्डीडेट से अपनी कन्सेन्ट लेते हैं, यह कानूनी प्रावधान है । वैसी स्थिति में विदाउट प्रोपोज़र और सेकन्डर के दस्तखत के केन्डीडेट कन्सेन्ट देता है बिना सिग्नेचर के तो वह इल्लीगल है । इस तरह से जो डिप्टी स्पीकर के लिये नोमीनेशन राव नारायणसिंह मसूदा का आया है, इस तरह से इल्लीगल है ।

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, रूल्स को हमने भी देखा है । मैं यह महसूस करता हूं कि रूल्स अपनी भाषा में इतने साफ हैं कि उनके दो मतलब नहीं लगाये जा सकते । कांकरोली से आने वाले माननीय सदस्य को इस बारे में हाउस ऑफ कॉमन्स की शरण लेनी पड़ी जो फन्डामेन्टली डिफरेन्ट है....

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): I have not taken any 'Sharan' of the House of Commons. I only gave a reference to the Members.

श्री सतीशकुमार शर्मा : Let it be a 'reference'. मुझे तो वह शरण ही मालूम पड़ी, इसको आप रेफरेन्स मान लीजिये । मैं ऐसा मानता हूं कि रुल अपने आप में साफ हैं । इनको पढ़कर हम २५४ को देखते हैं उसका फर्स्ट पैरेग्राफ इस तरह से रीड करता है ।

"Every notice required by these rules"

'These rules' mean preceding rules, not succeeding rules. Therefore, this Chapter constructively covers all the preceding rules and chapters and we cannot say that it is entirely a different chapter.

मेरे ख्याल से उन्हें कोई रास्ता न मिलने पर इस तरह की बात निकालने की कोशिश की है जो रूल की भाषा को बदलने की चेष्टा की है ।

रेज़ुडरी सेक्शन के लिये जिस प्रकार दफा १५७ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की ले लेते हैं उसी तरह से ३०७-३०८ को रेफर किया है; जिसकी भाषा साफ है । इसको हम मान्य करते हैं, उसके बाद हाउस ऑफ कॉमन्स की तरफ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

(श्री सतीशकुमार शर्मा)

"All matters not specifically provided for in these rules..."

इसके बाद ३०८ आती है, उसकी इबारत पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहती। इसमें स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया हुआ है। अगर नहीं प्रोवाइड किया हुआ होता तो रूल ३०७ देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ वाकेआत में भी शक है कि पहले इस पर स्वीकृति दी या पहले प्रोपोज़ किया। इन हालतों में कुछ शक मालूम पड़ता है। प्रस्तावकर्त्ता महोदय को भी शक है कि उस पर उनके दस्तखत हैं या और किसी के यह मामूली इंग्लिश में लिखा हुआ है, ख्वामखाह इसमें गोलमाल करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : 'गोलमाल' शब्द लीगल नहीं है।

श्री सतीशकुमार शर्मा : All right, Sir, I withdraw it.

श्री निरंजननाथ आचार्य : It is oft repeated.

श्री सतीशकुमार शर्मा : Now that a ruling has been given, it will not be oft repeated.

Now I come to Rule 308 about Interpretation and removal of difficulties. It is quite clear that the operation of this rule comes only when there is any question of interpetation or there is any difficulty. The language of the rules is quite clear and, according to me, there is absolutely no difficulty in the interpretation of these rules. So rule 308 does not come into play.

Therefore, my humble submission is that this form is not according to law, the notice is not given in due time and it should be rejected.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया गया है उस बारे में रूल्स बड़े साफ हैं, इतनी कसरत करने की जरूरत नहीं। लफ्ज़ों को, कानून को तोड़ मरोड़ कर रखने की कोशिश न की जाय........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): 'गोलमाल' शब्द लीगल नहीं तो 'तोड़-मरोड़' शब्द भी उपयुक्त नहीं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) ; This was expected from him.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : स्थिति यह है कि आपके नोटिफिकेशन से प्रिसीडिंग-डे इसको आपने स्पेश्यली रखा। किसी का नुकसान नहीं हुआ। प्रिसीडिंग-डे को ऑफिस खुला हुआ था और नोमीनेशन्स लिये गये। इसके अन्दर साफ तौर से हम तो यह मानते हैं कि इन्टर-प्रिटेशन इसका यही था और होना भी यही चाहिए कि प्रिसीडिंग-डे को नोमीनेशन लिये जा सकते हैं।

इसके बारे में २५४ भी पढ़ लें। पढ़े लिखे लोग नहीं होते वे ८४० का फार्मूला भी काम में लेते हैं, इसी तरह से इसको भी निकालने की कोशिश की जाती है। स्पष्ट बात यह है कि २५४ की मैं बात करता हूँ। जो भी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

बातें यहां पर कही गई वे यहां मौजू नहीं हैं। ऑफिस खुला हुआ था, नोमीनेशन पेश कर दिया गया और रात को आप सब लोगों को खबर कर दी गई। प्रिसीडिंग-डे से दूसरा मतलब; by virtue, by action preceding day होगया, ऑफिस का वर्किंग डे था। Speaker on his discrition giving full day; यह हुआ। कोई इसका गलत मतलब निकाल ले तो इसका कौन क्या करे ? आपको अच्छी तरह से एप्रोच किया गया, उनकी विशेज़ को कम्प्लाई कर लिया, १२ बजे तक नोमीनेशन ले लिया; इसमें नुकसान क्या हुआ ?

आप छः तारीख मानते हैं। कल पांच कर लें। इससे प्रिसीडिंग-डे पर असर नहीं पड़ता। बारह बजे तक ऑफिस खुला था। वर्किंग डे था उस समय ले लिया, इसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : It is a question of interpretation of rules.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : प्रिसीडिंग-डे का इन्टरप्रिटेशन हो गया। उसके बाद इसमें किसी प्रकार का एतराज नहीं होना चाहिए।

कन्सेन्ट का लफ़्ज़ आ रहा है 'Consent' जो यह लफ्ज है वह अपने आपमें साफ है।

"(2) At any time before noon on the day preceding the date so fixed, any member may give notice in writing, addressed to the Secretary, of a motion that another member be chosen as the Deputy Speaker of the Assembly, and the notice shall be seconded by a third member and shall be accompanied by a statement by the member whose name is proposed in the notice that he is willing to serve as Deputy Speaker, if elected :"

इन तीनों चीजों की बाकायदा कम्पलायेन्स की गई है। मोशन किया है, सेकन्ड भी करवाया गया है और कन्सेन्ट का रिटन स्टेटमेंट भी स्ट्रिक्टली फ़ोलो करके दे दिया है।

अब जो एक्स्ट्रान्युअस सर्कमसटान्सेज़ पैदा करके बात कही जाती है उसका कोई रेफरेंन्स यहां नहीं आना चाहिये। जहां तक रुल्स के इन्टरप्रिटेशन का सवाल है ये तीन चीजें जरुरी हैं। इन तीनों चीजों का पालन किया गया है। सेक्रेटरी साहब ने भी उनको देख लिया और मान लिया कि तीनों चीजों का स्ट्रिक्टली कम्पलायेन्स हो चुका है। Written statement of willingness to serve as Deputy Speaker; वह भी पेश कर दी।

तीनों चीजें सबमिट कर दी गई। इसके बाद एक्सेप्ट हो गया। अब अगर दूसरी चीजें उटाई जाती हैं तो वे रुल्स के बाहर की बातें है, रुल्स से उनका कोई ताल्लुक नहीं है और जो कुछ भी प्रोसीडिंग हो रही हैं, मैं समझता हूँ, पोइन्ट ऑफ ऑर्डर पर, आप उसके बारे में व्यवस्था दीजिये। मैं समझता हूँ कि रुल्स के माफिक यह कतई ठीक है।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बाजार, जयपुर) : For your information...

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (चांदीकुई): इस वाद-विवाद में इस सेक्शन को इन्टरप्रेट किया गया । इसमें गृहमन्त्रीजी ने जो जवाब दिया उससे एक बात तो स्पष्ट हुई कि वे जबाबुल जवाब दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : क्लेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है । कोई नई बात रखना चाहते हों तो रखिये ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : जवाब में यह बतलाया गया है कि कन्सेन्ट दे दी गई और प्रोपोज़र और सेकन्डर ने लिखकर पेश कर दिया था । इसमें कोई अवैधानिकता नहीं । पर मैं आपको तवज्जोह दिलाऊं कि उसमें जो डेट है वह ६-५-६२ की है । वही कन्सेन्ट देने वाले की तारीख लिखी हुई है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : There is no word 'consent' here, Sir-Only 'statement of the member' की जरूरत है । कोई कन्सेन्ट की चीज नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : कानूनी बात निकाली आपने तो ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : जो फॉर्म है और रजामन्दी के हस्ताक्षर हैं या स्टेटमेन्ट है उसमें डेट दी हुई हैं वह उन्हीं की लिखी हुई है या नहीं, यह इसमें शक पैदा हो जाता है । मैं अर्ज करूंगा कि वह डेट भी उसी व्यक्ति के हाथ की, जो रजामन्दी देता है या स्टेटमेन्ट देता है, लिखी होनी चाहिये । दूसरे आदमी के हाथ की लिखी हुई तारीख वेलिड नहीं मानी जा सकती । दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि आपने जब पांच, छः को यहां के प्रोग्राम के अन्दर छुट्टी डिक्लेयर कर दी और यह साफ लिख दिया कि इन दिनों में सदन की बैठक नहीं होगी, अब जब तक अध्यक्ष की ओर से ऑफिस में भी वर्किंग–डे का नोटिफिकेशन न हो तो Sunday को ऑफिस खुला रहे और लोग आकर फॉर्म दे सकते हों तो यह बात भी उस वक्त तक सही नहीं मानी जा सकती जब तक कि अध्यक्ष महोदय की ओर से ऐसा नोटिफिकेशन न हो । तो ये दो पोइन्ट्स हैं ।

६–५–६२ को तारीख उनकी लिखी नहीं हो सकती । अब अगर दूसरा लिख दे तो दूसरे की लिखी डेट किसी इलेक्शन में बेलिड नहीं मानी जाती और जैसा गृह मन्त्रीजी ने कहा कि डेट मेटीरियल नहीं है, रजामन्दी मेटीरियल है; तो मैं निवेदन कर दूं यह ठीक नहीं है । अगर हस्ताक्षरकर्ता स्वयं डेट नहीं लगाता है तो वह फॉर्म इनवेलिड हो सकता है इलेक्शन में । इसलिये अर्ज करूंगा कि यह इन्टरप्रीटेशन जो किया गया चेप्टर के मुतल्लिक, वह भी सही नहीं । पूरे रूल्स एक दूसरे से इन्टर कनेक्टेड हैं और २५ ही रूल हैं सारे चेप्टर में नोटिस देने के लिये । जिस किसी भी किस्म का भी नोटिस दिया जावेगा वह २५ से ही गवर्न होगा । इसीलिये ३ और २५ को सेपरेट कर दिया जावे, यह इन्टरप्रीटेशन ठीक नहीं है । इसलिए हमारी तरफ से जो आपत्ति उठाई गई है कि

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

यह इनवेलिड करार दिया जावे, वह सही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि रुल ८ सेल्फ कन्टेन्ड है। ४६ भी है जिसमें हाफ एन अवर डिबेट के लिये क्लेम करते हैं। जो क्लेम करना चाहे उसको नोटिस देना होगा तो दो मेम्बरों के दस्तखत कराये जावेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगर समय का उल्लेख न हो तो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें भी दिया है प्रोसीजर। सेल्फ कन्टेन्ड नहीं है। इस प्रकार से नहीं कि सेक्रेटरी को दिया जावे। अब उसे कहां दिया जावे, घर पर दिया जावे या दफ्तर में ? रूल्स के अनुसार यह भी प्रेस्क्राइब करना होगा, दफ्तर में दिया जावे या कि और किसी जगह दिया जावे। इस तरह आपके डिस्क्रिेशन के अनुसार सचिवालय से एक परिपत्र निकला सदस्यों के नाम कि:

"आपको यह सूचित किया जाता है कि राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ८ (१) के अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय ने सभा के उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि सोमवार, दिनांक ७ मई, १९६२ निश्चित की है।"

अब प्रक्रिया के सामान्य नियम २५४ की सूचना के अनुसार इन नियमों द्वारा अपेक्षित प्रत्येक सूचना सचिव को सम्बोधित करके लिखित रूप में दी जावेगी और सूचना देने वाले सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जावेगी और सूचनालय में छोड़ दी जावेगी जो कि इस प्रयोजन के लिए रविवार या सार्वजनिक छुट्टी के दिन को छोड़कर प्रत्येक दिन प्रातः ८ से १२ के लिए खुला रहेगा। इस समय के पश्चात् छोड़ी गई सूचनाएं अगले खुलने वाले दिन दी गई समझी जावेगी।

तो ये डाइरेक्शन्स अध्यक्ष के निर्देश से सेक्रेटरी ने जारी किए हैं। इसके अनुसार भी यह स्पष्ट हो जाता है कि जहां तक method of giving notice is concerned, it may be that ane can give notice one day prior to the election. But where that notice will be given, where it will be left, that has to be prescribed by the rules or directions by the Speaker.

तो मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन यह है कि रूल २५४ है वह मैथड प्रेस्क्राइब करता है। एक दिन पहले दी जावेगी यह सब्सटेन्टिव राइट है। इसका प्रोसीजर दिया हुआ है। सेल्फ कन्टेन्ड रूल ८ में है। इस आधार पर तारीख के बारे में निवेदन करूंगा और मैं यह भी साथ में निवेदन करना चाहूंगा कि सेक्रेटेरियट Sunday को बन्द रहता है इसलिए कोई भी सूचना यहां विधान सभा की किसी मेज की ड्रावर या मेज पर रख कर चले जाने का सवाल नहीं खड़ा होता। रविवार को ऑफिस खुला नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है; न इस प्रकार का आदेश था अध्यक्ष महोदय का, न हमें सूचना थी इस प्रकार की कम से कम। यह सूचना विधिवत् नहीं थी। यह शायद इसको इम्प्लीमेंट करने की दृष्टि से आपका अध्यक्ष महोदय, कोई भीतरी आदेश हो तो अलग बात है कि १२ बजे तक खुला रहेगा कार्यालय। तो निवेदन करना चाहूंगा कि यह स्थिति है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

साथ ही यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो तारीख के बारे में कहा गया उसी के साथ प्रोपोज़र और सेकन्डर के साथ प्रोपोज्ड की कन्सेन्ट हो। अब कन्सेन्ट में या तो वह ६ तारीख को प्लेन से लेकर चल दिया। तो यह ६ तारीख गलत तारीख डाली है। यह गलत तारीख डालना बड़ा अपराध है। यह इससे पता लग जावेगा। यह इन्लैंड लेटर नहीं है, पत्र है, जिस लिफाफे में यह आया हो वह लिफाफा भी सदन की मेज पर आप रख दें ताकि मालूम हो जावे कि यह पोस्ट से कब आया, प्लेन से कब आया, बम्बई से भी आया है तो या तो पोस्ट से आया होगा या प्लेन से आया होगा, तो किस तारीख की इस पर मोहर है इससे पता लग जावेगा। इस पर बम्बई की मोहर होगी, दिल्ली की होगी अगर प्लेन से आया होगा तो और जयपुर की मोहर भी होगी। वह लिफाफा भी आप यहां पर भेज दें और मैं तो निवेदन यह भी करना चाहूँगा....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : रूल में इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यही तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास वह लिफाफा है और मैं यह भी अध्यक्ष महोदय, कोर्टों के उदाहरणों पर कह सकता हूँ कि कई सीक्रेट डॉकुमेन्ट्स ऐसे भी होते हैं जिन पर दस्तखत बनाये जा सकते हैं। इसलिए मैंने बाअदब कह दिया था पिछले कई सालों में कई बातें हमारे सामने आई हैं कि जिनमें तारीखें गलत डाली गई हैं। वह तो इन्क्वायरी की चीज है। तारीख आप गलत डालते हैं। अपने सेकन्डर और प्रोपोज़र की भी ६ तारीख और बम्बई में बैठे हुए मेम्बर की भी वही तारीख। चिट्ठी आई हुई बताई गई। कल सुबह प्लेन से आई तो किसी लिफाफे में तो आई होगी, वह लिफाफा सदन की मेज पर रखवाया जावे। हमें उनकी बोनाफाइडी पर विश्वास है।

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत मंत्री) : मैं निवेदन कर दूं कि यह जो एलीगेशन लगाया है, मैं समझता हूँ, बेसलेस है। उनका मैसेन्जर एरोप्लेन से आया है। चिट्ठी लेकर आया है। अगर अध्यक्ष महोदय को चाहिये तो वह चिट्ठी मैं पेश कर सकता हूं और माननीय सदस्य ने भी जो ऐसा कुछ कहा कि यह फरजी कार्यवाही है या क्या कहा, तो ऐसी कोई बात नहीं है; यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : तो फिर आप यह बता दीजिये कि नोमीनेशन फॉर्म पर उनके दस्तखत हैं क्या ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : Mr. Speaker, Sir, I want to speak for one minute only.

श्री अध्यक्ष : Please be very brief.

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : Mr. Speaker, Sir, apart from all these disputed facts that whether the consent has been received by post or by plane, we have to lay stress on the plain and simple interpretation of the rules as they are before the Hon'ble Speaker. The only position is that the interpretation of rules is to be made either by

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

commonsense or with the help of judicial pronouncements which are available to us. After a good deal of search I could find a Queen's Bench decision which I am referring before the House. Our rule reads:—

"(2) At any time before noon on the day preceding the date so fixed, any member may give notice in writing, addressed to the Secretary,of a motion thatanother ther member be chosen as the Deputy Speaker of the Assembly and the notice shall be seconded by a third member and shall be accompa nied by a statement by the member whose name is proposed in the notice that he is willing to serve as Deputy Speaker, if elected:"

Now my respect- ful submission is that here the word 'notice' has been used. Exactly similar is the question of filling of nomination paper. This 'notice' is no more than a nomination paper. In the case of a nomination paper also, first the proposal has to be signed, then it is to be seconded and then it is to be accepted by the intending candidate. What is the legal position as far as the proposal, its seconding and acceptance is concerned, I am placing before the House. I am reading from page 251 of Doabia's Election Manual Vol. II....

श्री अध्यक्ष : आप जो बहस कर रहे हैं यह तो रिप्रेज़ेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में क्या प्रावधान है और हमारे यहां क्या प्रावधान है उसका इन्टरप्रेटेशन कर रहे हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : "The nomination paper should be subscribed only after it has been filled up." Only when the notice has been correctly proposhd and seconded, then the question will come up for consideration of the aceeptance of that notice.

"In this case it was held that the proposer should subscribe first of all. After him should come the seconder and last of all the eight assentors." No Hon'ble Member of the House is in the position of a candidate until and unless a proper notice in accordanceweth the provisions of law is filed before the Secretary. For an Hon'ble Member, to becomea candidate three ingredients are required; first of all his name shoud be validly proposed, secondly, it should be seconded by a third personle, and the third stage is that of his acceptanceb. The notice must be proposed and seconded in writing and then it must reach the candidate who should accept it. Any other acceptance on a different paper is nothing but a waste piece of paper.

I will now read out the original section of the Representation of the Peoples Act.

श्री अध्यक्ष : Please be brief. आप पहले उनको पढ़कर बताते तो सदन एप्रीशियेट भी कर सकता था।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : I am only reading th e relevant portion of the Section...

श्री अध्यक्ष : And leave it that.

श्री दुर्गालाल बाढदार : It says-

"(I) On or before the date appointed under clause (a) of sectoin 30 each candidate shall, either in person or by his proposer or seconder, between the hours of eleven o'clock in the forenoon and three o'clock in the afternoon deliver to the Returning Officer at the place specified in this behalf in the notice issued under Section 31 a nomination paper completed in the prescribed form and subscribed by the candidate himself..."

श्री अध्यक्ष : The word used is 'subscribed'. In our rules it is 'accompanied by'. Subscribing means some personal intervention. Here the word used is 'accompanied'. It can be accompanied by a mere statement or letter.

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : It is a notice which is to be accepted.

श्री अध्यक्ष : All right. I have got your point.

माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने एक औचित्य प्रश्न उठाया है और सदन के कई माननीय सदस्यों ने इस पर अपने बहुमूल्य विचार रखे। प्रश्न यह है कि जो औचित्य प्रश्न माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने उठाया है कि उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिये मनोनयन पत्र नियमानुसार ५-५-६२ के १२ बजे मध्यान्ह तक प्रस्तुत किये जाने चाहिये थे परन्तु मनोनयन पत्र ६-५-६२ तक प्राप्त किये गये थे, अतः निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त मनोनयन पत्र नियमानुसार नहीं हैं।

मैंने इस औचित्य प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ८ के उप-नियम (१) के अधीन उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिये तारीख ७ मई, १९६२ निश्चित की गयी थी और सचिव द्वारा इस तिथि की सूचना सदस्यों को दी गई थी। उक्त नियमों के नियम ८ के उपनियम (२) में अन्य बातों के साथ साथ यह विशिष्ट रूप से प्रावधान है कि इस प्रकार निश्चित तिथि के पूर्व दिन के मध्यान्ह से पूर्व कोई भी सदस्य किसी भी समय इस प्रकार की किसी अन्य सदस्य को सदन का उपाध्यक्ष चुना जाये सचिव को सम्बोधित लिखित रूप में सूचना दे सकेगा।

६ मई, १९६२ उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिये निश्चित तिथि से पूर्व की तिथि थी। अतः नियम ८ के उप-नियम (२) में दिये गये स्पष्ट प्रावधानों के कारण सदस्यों को ६ मई, १९६२ के १२ बजे मध्यान्ह तक प्रस्तावों की सूचनायें देने का अधिकार था। प्रस्तावों की वे सभी सूचनाएं जो स्वीकार की गई, थीं वे ६ मई, १९६२ को १२ बजे मध्यान्ह से पूर्व प्राप्त हुई थीं।

नियम ८ में उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिये प्रस्तावों की सूचनाओं के सम्बन्ध में किये गये विशेष प्रावधान की दृष्टि में नियम २५४ में प्रस्तावों की सूचनाओं के सम्बन्ध में दिये गये सामान्य प्रावधान विचाराधीन प्रस्तावों की

(श्री अध्यक्ष)

सूचनाओं पर लागू नहीं होते हैं। व्याख्या किये जाने के लिये यह सुनिश्चित सिद्धान्त है कि एक सामान्य प्रावधान विशेष प्रावधान को केवल बाइ इम्पलीकेशन (by implication) उत्सादित या परिवर्तित नहीं करता। किसी विशेष विषय पर ध्यान देकर या उसके लिये प्रावधान करके लेजिस्लेचर के लिये यथोचित रूप में समझा जा सकता है कि उसका इरादा उस विशेष प्रावधान को बाद के सामान्य प्रावधानों से बदलने का नहीं है जब तक कि ऐसा विचार स्पष्ट शब्दों में नहीं प्रकट किया गया हो। मेरी राय में नियम ८ में दिये गये विशेष प्रावधान अभि-भावी होने चाहिये जैसा कि माननीय श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने बताया है, नियम २५४ के अन्तर्गत नोटिस ऑफिस के कार्यकाल का समय अधिसूचित किया जाना चाहिये। नोटिस ऑफिस के खुलने का समय ७॥ से ११ बजे निर्धारित किया गया है। नियम ८ के उप-नियम (२) में विशेष रूप में उपबन्धित किया गया है कि उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिये प्रस्तावों की सूचना १२ बजे मध्यान्ह से पहले दी जानी चाहिये। इससे यह प्रकट होता है कि नियम ८ के उप नियम (२) का प्रावधान एक विशेष प्रावधान है। नियम २५४ के अन्तर्गत अधिसूचित समय नियम ८ (२) के अन्तर्गत सूचनायें देने के लिये निश्चित समय से भिन्न है और इस तरह नियम २५४ के प्रावधान नियम ८(२) में दिये गये प्रावधानों के प्रति-कूल पड़ते हैं। अतः यह मेरे दृष्टिकोण का समर्थन करता है; नियय २५४ के सामान्य प्रावधान विचाराधीन प्रस्तावों पर लागू नहीं होते हैं। हमारे नियमों में नोटिस ऑफिस को रविवार को खुला न रखने का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय सदस्यों को सुविधा के लिये व अन्य कारणों से नोटिस ऑफिस रविवार को या अन्य छुट्टी के दिन खुला रखा जा सकता है। नियम ८ के उपनियम (२) को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया था। दूसरा तर्क जो दिया गया है वह यह है कि उम्मीदवारों को अपनी सहमति लिखित में देनी चाहिये और यह सहमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि उनका नाम प्रस्ता-वित व समर्थित न हो।

नियम ८ (२) को देखने से प्रकट होगा कि उम्मीदवार की सहमति मनोनयन पत्र के साथ होनी चाहिये।

"the notice shall be seconded by a third member and shall be accompanied by a statement by the member whose name is proposed in the notice that he is willing to serve as Deputy Speaker, if elected :"

इन सभी बातों पर विचार करके मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि औचित्य प्रश्न को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये।

अतः मैं यह ठहराता हूँ कि जो सूचनायें प्राप्त हुई है वे नियमानुकूल हैं।

अब पहले प्रस्ताव को मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा।

(विराम)

प्रश्न यह है कि श्री नारायणसिंह, सदस्य विधान सभा, डिवीज़न संख्या १२२ को राज-स्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाय?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(विराम)

श्री नारायणसिंह मसूदा, राजस्थान विधान सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किये जाते हैं।

सदन की कार्यवाही फलप्रात: काल ८ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० १.४३ बजे मंगलवार, दिनांक ८-५-६२ के प्रात: ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई]

——

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार, ७ मई, १९६२)

स्कम्भ

१. तारांकित प्रश्नों के शीर्षक ६३१२

राजस्थान नहर ।

लगान वसूली ।

पुस्तकों की खरीद में स्थानीय प्रकाशकों को बजट अनुदान में से दिया जाने वाला अनुपात ।

राजनैतिक पीड़ित ।

गर्ल्स स्कूल, गंगापुर ।

मिडल स्कूल, सलामपुर ।

भूतपूर्व सैनिकों व दलित-वर्ग को दी जाने वाली जमीन ।

अकादमियों का गठन और उन पर किया गया व्यय ।

औद्योगिक ऋण ।

मालगुजारी की छूट ।

छात्रावास व संस्कार केन्द्र ।

ग्राम कुरका (रुपवास) के अग्नि पीडितों को दी जाने वाली सहायता ।

मिनिमम वेजेज़ केसेज़ ।

माफीदारी जमीन का खातेदारी में परिवर्तन ।

सहकारी समितियों द्वारा सीमेन्ट का वितरण ।

स्कम्भ

श्रमिक वन सहकारी समितियां ।

'ग्रो मोर फूड स्कीम' के अन्तर्गत जमीन का वितरण ।

अलवर में एक और डिग्री कॉलेज का खोला जाना ।

ट्यूब-वेल्स ।

गवर्नमेन्ट डिग्री कॉलेज, गंगानगर ।

नमक का उत्पादन और वितरण ।

नोहर और भादरा में कॉलेजों की स्थापना ।

खनिज-सर्वेक्षण ।

मेवों की आवास व्यवस्था ।

कर्मचारियों का बकाया वेतन ।

बांधों की मरम्मत ।

अलवर में कपड़ा मिल खोलने की योजना ।

जोधपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना ।

जागीरदारों द्वारा भाखरा क्षेत्र में खुदकाश्त भूमि के लिए दिये गये प्रार्थना-पत्र ।

लाइमस्टोन ।

भटावली बंध (भरतपुर) का पीड़ित क्षेत्र ।

स्कम्भ

टैक्निकल स्कूल।

पहाड़ी भू-खंडों में लकड़ी काटने व मवेशी चराने हेतु दी गई सुविधायें।

सड़क-निर्माण।

एडवर्ड मिल, ब्यावर।

बांध--निर्माण।

अतारांकित प्रश्नोत्तर ६३७८

१. राजस्थान मंत्रि-मण्डल के सदस्यों द्वारा राजकीय मोटर गैरेज के वाहनों से यात्रा।

२. राजस्थान प्रदेश भारत सेवक समाज को १९६१-६२ के लिए अनुदान।

२. अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना ६३८०

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत जोधपुर पॉवर हाउस में कन्ज़र्वेन्सी सेक्शन (Conservancy Section) के ११० कर्मचारियों की छंटनी के कारण उत्पन्न स्थिति की ओर मन्त्री, विद्युत् विभाग का ध्यान आकर्षित किया।

श्री हरिश्चन्द्र, विद्युत् मन्त्री, ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

स्कम्भ

३. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वार्षिक वित्तीय विवरण (आयव्ययक), १९-६२-६३ पर विचार ६३८१

श्री हरिश्चन्द्र, विद्युत् मन्त्री, ने राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण (आयव्ययक), १९६२-६३ पर दिनांक ४ मई को की गई बहस का उत्तर दिया।

४. विधायीकार्य—विचारार्थ लिये गये विधेयक

(१) राजस्थान अध्यारोपित (सुपरइम्पोज़्ड) स्टाम्प्स वैध-करण विधेयक, १९६२ ६४२७

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव श्री चन्दनमल बैद, उप-मन्त्री, वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

विधेयक खण्डशः विचार के पश्चात् संशोधित रूप में पारित भी किया गया।

(२) राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९६२ ६४५३

श्रीमती कमला बैनीवाल, उप-मंत्रिणी, कृषि विभाग के इस प्रस्ताव पर कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाये श्री मुरलीधर व्यास ने इस आशय का संशोधन-प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि विधेयक को जन-मत जानने हेतु प्रसारित किया जाय।

वाद-विवाद में श्री रामानन्द अग्रवाल तथा श्री दुर्गालाल बाड़दार ने भाग लिया।

५. उपाध्यक्ष का निर्वाचन

"श्री ज्वालाप्रसाद तथा श्री प्रभुलाल सैन्टर, सदस्य, विधान सभा, ने निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किये :—

'श्री नारायणसिंह, सदस्य, विधान सभा, वि. सं. १२२, को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाय।'

उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन क्रमशः श्री गोविन्दसिंह तथा श्री भैरवलाल 'कालाबादल' द्वारा किया गया।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, सदन द्वारा स्वीकार किया जाकर, श्री नारायणसिंह को राजस्थान विधान सभा का निर्वाचित उपाध्यक्ष घोषित किया गया।

सदन की बैठक १ बजकर ४०
६५४० मिनट पर मंगलवार, दिनांक ८ मई, १६६२ को प्रातः ८.०० बजे तक के लिये स्थगित की गई।

मंगलवार, दिनांक ८ मई, १६६२ की कार्य—सूची

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १६६२
(खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४७६ का उत्तर देखिये)

फर्द नीलाम

ठेका अशियाय कोयला वन श्रमिक सहकारी समिति खरवड कूप सरू नं० ५ परशाद रेंज उदयपुर डिवीज़न पश्चिमी सर्किल वास्ते सन् १९६२ के आज दिनांक १५-१-६२ को स्थान परशाद पुकरवाया गया।

(कोयला प्रति ४० किलो से नीलाम पुकरवाया)

क्र० सं०	नाम ठेकेदार मय वल्दियत	तादाद बोली
१.	श्री किशनचन्द्र सिन्धी सा० उदयपुर	५) रु० ६.०६ न० पैसे ६.३५ न० पै०
२.	श्री ठाकुरदास सिन्धी सा० उदयपुर	५.०६ न० पैसे ६.४० नये पैसे ६.६० नये पैसे ६.७० नये पैसे ६.८१ नये पैसे ६.८८ नये पैसे
३.	श्री बालमुकुन्द अरोड़ा सा० उदयपुर	५.१६ नये पैसे ६.५० नये पैसे
४.	श्री फकीरमोहम्मद कुंजड़ा उदयपुर	६) रु० ६.३० नये पैसे ६.५५ नये पैसे ६.६५ नये पैसे ६.८५ नये पैसे
५.	श्री भैरूलाल जैन साकिन परशाद	६.२५ नये पैसे

६.८८ नये पैसे प्रति ४० किलो के हिसाब से श्री ठाकुरदास पिता मूंगीरमल सिंधी सा० उदयपुर के नाम अखीर हुआ। इससे बेशी बोली किसी ने नहीं लगाई।

हस्ताक्षरातः—रतनलाल अग्रवाल रेंजर
सीमा, अध्यक्ष
रामचन्द्र मन्त्री।

परिशिष्ट २

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर देखिये)

Statement showing therein the vehicles used by the Respective Ministers in the months of December 1961, January & February 1962.

S. No.	Duty.	Places.	Car No.	Period From	Period To.	Total Miles run
1	2	3	4	5	6	7
1.	Chief Minister, Shri Mohanlal Sukhadia.	1 Udaipur	RJL.3903	29/11	1/12/61	598.
		2. Bhilwara	RJL.3903	4/12	8/12/61	416.
		3. Jodhpur & Udaipur	—do—	8/12	12/12/61	817.
		4. Ajmer	—do—	19/12	19/12/61	186.
		5. Pilani	—do—	21/12	28/12/61	518.
		6. Nasirabad	—do—	22/12	24/12/61	210.
		7. Alwar	RJL.9419	30/12	30/12/61	201.
		8. Udaipur	—do—	2/1/62	5/1/62	980.
		9. Ajmer.	RJL.3903	28/12	30/12/61	397.
		10. Ajmer.	RJL.9419	27/1	28/1/62	226.
		11. Udaipur	RJL.9419	25/2	28/2/62	603.
2.	Home Minister, Shri Ram Kishore Vyas.	1. Sujangarh	RJL.4852	18/1	18/1/62	280.
		2. Balai.	RJL.4853	1/2	1/2/62.	198.
3.	Revenue Minister, Shri Damodar-Lal Vyas.	1. Malpura	RJL.8335.	3/12	4/12/61	480. K.M
		2. Tonk.	RJL.7992.	6/12	7/12/61	272. ,,
		3. Todarai Singh.	—do—	8/12	9/12/61	234. ,,

1	2	3	4	5	6	7	
		4. Malpura	RJL.7992	11/12	11/12/61	285.	,,
		5. Todarai Singh.	—do—	12/12	15/12/61	426.	,,
		6. —do—	—do—	16/12	16/12/61	251	,,
		7. Malpura	—do—	17/12	17/12/61	208	,,
		8. Tonk	RJL.3902	19/12	19/12/61	142.	,,
		9. Malpura.	RJL.3518	20/12	21/12/61	169.	,,
		10. Malpura.	—do—	22/12	24/12/61	248.	,,
		11. Todarai Singh	RJL.7820	25/12	26/12/61	310.	,,
		12. Tonk.	RJL.7992	28/12	28/12/61	258.	,,
		13. Delhi	RJL.4852	27/12	27/12/61	447.	,,
		14. Chondsur	RJL.8670	30/12	30/12/61	174.	,,
		15. Shodal.	RJL.7992	29/12	29/12/61	202,	,,
		16. Malpura	—do—	1/1/62	3/1/62	398.	,,
		17. Laxmipura	—do—	4/1	4/1/62	327.	,,
		18. Malpura	—do—	6/1	8/1/62	319.	,,
		19. Katputli	RJL.3902	9/1	8/1/62	157.	,,
		20. Malpura.	RJL.7992	8/1	9/1/62	306,	,,
		21. Malpura.	—do—	10/1	13/1/62	460.	,,
		22. Tonk.	—do—	14/1	16/1/62	376.	,,
		23. Malpura	RJL.3902	18/1	18/1/62	133.	,,

1	2	3	4	5	6	7	
		24. Malpura	RJL.8669	22/1	22/1/62	152	K.M.
		25. Malpura	RJL.7771	23/1	24/1/62	128.	,,
		26. Malpura	RJL.8078	25/1	26/1/62	140.	,,
4.	Agri. Minister Shri Nathu Ram Mirdha.	1. Delhi,	RJL.8078	25/11/61	2/12/61	673.	,,
		2. Sheopura	—do—	2/12	2-12/61	110.	
		3. Jodhpur	RJL.8670	9/12	17/12/61	1078.	
		4. Pali	RJL.7992	19/12	22/12/61	915.	K.M
		5. Merta.	—do—	23/12	27/12/61	795.	,,
		6. Merta.	RJL.7820	19/12	1/1/62	999.	,,
		7. Ajmer.	RJL.8669	10/1/62	10/1/62	195.	,,
		8. Jodhpur	RJL.7820	3/1	11/1/62	1593.	K.M
		9. Parbatsar.	RJL.8669	11/1	12/1/62	325.	
5.	Finance Minister, Shri. Hari Bhau Upadhaya.	1. Ajmer.	RJL.8004	30/11	1/12/61	236.	
		2. Ajmer.	—do—	2/12	2/12/61	376.	
		3. Mohanpura	RJL.8078	3/12	3/12/61	28.	
		4. Indore	RJL.4853	4/12	11/12/61	1582.	
		5. Agra	RJL.8004	12/12	13/12/61	407.	
		6. Ajmer	—do—	19/12	20/12/61	209.	
		7. Ajmer	—do—	20/12	21/12/61	200.	
		8. Ajmer etc.	—do—	22/12/61	4/1/62	940.	
		9. Ajmer etc.	—do—	7/1/62	10/1/62	381.	
5.		10. Ajmer.	RJL.8004	14/1	16/1/62	201.	
		11. Ajmer, kaladera	—do—	17/1	20/1/62	420.	

1	2	3	4	5	6	7
		12. Shahpura	RJL.8004	20/1	20/1/62	116.
		13. Ajmer	—do—	21/1	27/1/62	401.
6.	P.W.D. Minister, Shri Harish Chandra.	1. Jhalawar	RJL.3902	2/12	9/12/61	1160.
		2. Shahpura	RJL.4902	10/12	10/12/61	400.
		3. Delhi.	RJL.4933	14/12	19/12/61	484.
		4. Jhalawar	RJL.8669	20/12	3/1/62	704.
		5. Ajmer	RJL.4852	4/1	4/1/62	255.
		6. Pilani	—do—	6/1	6.1.62	329.
		7. Delhi	—do—	8/1	11.1.62	441.
		8. Jhalawar	—do—	11/1	14.1.62	532.
7.	I.S.O. Minister, Shri Sampat Ram.	1. Bharatpur	RJL.4933	8.12	11.12.61	456.
		2. Alwar.	—do—	31.12	3.1.62	310.
		3. Phulera	—do—	4.1.62	4.1.62	138.
		4. Alwar	—do—	4.1	9.1.62	315.
		5. Alwar	RJL.8670	11.1	14.1.62	306.
		6. Alwar	RJL.4933	17.1	21.1.62	347.
		7. Alwar	—do—	21.1	28.1.62	399.
		8. Alwar	RJL.8078	25.1	27.2.62	271.
8.	Health Minister, Shri Badri Pd. Gupta.	1. Sambher	RJL.4902	1.12	2.12.61	125.
		2. Alwar	RJL.8669	2,12	2.12.61	241.
		3. Kota to Jaipur.	RJL.4483	4.12	4.12.61	167.
		4. Alwar.	RJL.4933	6.12	6.12.61	224.
		5. Jhajpur.	RJL.8669	7.12	8.12.61	311.
		6. Alwar.	RJL.8669	9.12	11.12.61	263.
		7. Delhi.	RJL.8669	12.12	14.12.61	559.

1	2	3	4	5	6	7
		8. Alwar.	RJL,8669	14.12	18.12.61	468.
		9. Alwar.	RJL.7771	21.12	22.12.61	232.
		10. Alwar.	—do—	24.12	24.12.61	226.
		11. Alwar.	—do—	27.12	1.1.62	700.
		12. Beawar	—do—	2.1.62	3.1.62	256.
		13. Alwar.	—do—	5.1	8.1.62	416,
		14. Alwar.	—do—	9.1	14.1.62	400.
		15. Dudu.	—do—	15.1.	15.1.62	84.
		16. Alwar.	RJL.8670	15.1	28.1.62	662.
		17. Alwar.	RJL.8669	30.1	31.1.62	214.
		18. Bansen	RJL.8078	6.2	6.2.62	175.
		19. Alwar.	RJL.1670	7.2	7.2.62	171.
		20. Alwar.	RJL.8669	22.2	22.2.62	200.
		21. Alwar.	—do—	23.2	23.2.62	305.
		22. Alwar.	—do—	26.2	26.2.62	208.
9.	Excise Minister, Shri Ramchandra Chaudhry.	1. Delhi.	RJL.8670	25.11	1.12.61	699.
		2. Hanumangarh	RJL.7880	15.22	25.12.61	1833. K.M
10.	Irrigation Minister, Shri Bheeka Bhai.	1. Udaipur	RJL.7992	28.11	3.12.61	1499. ,,
		2. Ajmer.	RJL.7820	4.12	5.12.61	323. ,,
		3. Udaipur & Dungarpur.	RJL.7840	5.12	8.12.61	1033. ,,
		4. —do—	—do—	10.12	20.12.61	3657. ,,
		5. Udaipur	—do—	24.12	25.12.61	475. ,,
		6. Udaipur & Delhi.	—do—	29.12	8.1.62	2795. ,,

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7
11.	Dy. Education Minister, Shri. Poonan Chand Bishnoi	1. Ajmer. 2. Bikaner	RJL.4852 RJL.8078	1.12 4.12	1.12.61 16.12.61	208. 1511.
12.	Dy.Agri.Ministter, Shri. Doulat Ram.	1. Churu. 2. Ratangarh 3. Bairath	RJL.3905 RJL.8335 RJL.8670	5.12 20.12 29.12	14.12.61 24.12.61 29.12.61	395. 963. K.M 127.

१	२	३	४
७-विद्यार्थी अध्यापक व ग्रामीण युवक शिविर १४० शिविर लगे	१,१२,०००/-	६३०००/- पंचायत समिति व जन सहयोग	१,७५,०००/-
	१५,१,०६०/-	७२,२७७/६६	२,२४,३३७/६६
केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋण- चम्बल समिति कोटा ने नहरों के निर्माण में समाज सेवा के कार्य १२ लाख रु० की लागत के किए हैं। यह ऋण राशि ३१ मार्च १९६२ ई० को निर्माण कार्यों को बढ़ावा देने के लिए प्राप्त हुई है।	१,००,०००/-		
	१;००,०००/-		

राज्य सरकार-	अनुदान	जन सहयोग	कुल व्यय
प्रदेश कार्यालय व्यवस्था तथा संगठन एवं अन्य रचनात्मक कार्यों के लिए-	३०,०००/- (सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा)		
क-प्रदेश कार्यालय व्यवस्था व संगठन पर			१८,०००/-
ख-जिला संगठक निर्वाह व्यय बीकानेर, चुरु, नागौर, जोधपुर, सिरोही, उदयपुर, अजमेर, जयपुर १२०) रु० प्रति माह प्रति संगठक के-			३,८४०/--
ग-भारत सेवक साप्ताहिक५००प्रतियों पर-			२,५००/-
घ-भारत सेवक समाज-संगठन व कार्यालय-			२,२२५/-
ङ-प्रदेश कार्यकर्त्ता तृतीय अधिवेशन, अजमेर-			१,७३२/६६
च-साहित्य व अन्य प्रकाशन			२,५००/-
छ-जिला कार्यालयों को अनुदान-			२,५००/-
ज-स्थायी सामान टाइप मशीन, दरियां, कुर्सी, नक्शे-			३,०००/-

१	२	३	४
झ—चन्दा व जन सहयोग—		६,२६७/६६	
	३०,०००/—	६,२६७/६६	३६,२६७/६६
लोक कार्य क्षेत्र—			
उदयरामसर (बीकानेर)			
ढेलासर (चुरू)			
चेजा रा (नागौर)	२५,०००/—		५,०००/—
खोजरा (सिरोही)	(विकास विभाग द्वारा)		
रानाप्रतापसागर (चित्तौड़गढ़)			

नोट:—लगभग २०,०००/— रु० सरकार को शीघ्र ही जमा कराये जा रहे हैं। क्योंकि अनुदान देरी से मिला है।

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक ७ मई, १९६२)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
६३१३	५	प्लास्ट	प्लास्टर
६३२०	१३	रही है	रही है;
६३२८	७	वह हाई	वह ही हाई
,,	११	कमरे है,	कमरे हैं।
६३५०	९	ट्यूब–वैल्स	ट्यूब-वैल्स
६३७०	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	ध्यान आकर्षित करना
६३८०	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	अतारांकित प्रश्नोत्तर
६३८१	२२	माननीय सदस्द	माननीय सदस्य
६३८८	१	जल्दी रूल्स जो	जल्दी वे रूल्स हैं जो
,,	१२	काइटेरिया	क्राइटेरिया
,,	अन्तिम से ३	अलार्यिंग	अलार्मिंग
६३९०	,, ,, २	नीन	तीन
६३९८	स्कम्भ	९८	६३९८
,,	१	कम्पेम्सेशन	कम्पेन्सेशन
,,	अंतिम से ५	नहीं:	नहीं,
६३९९	,, ,, ५	मौक	मौके
६४०२	१	गावों	गांवों
६४०४	अन्तिम से ७	जनरेशन	जेनरेशन
६४०५	३	जनरेट	जेनरेट
६४०६	शीर्षक	वित्तींय विवरण	वित्तीय विवरण
६४०८	१९	यह है	यह है।
६४०९	१५–१६	स्क्रटेनाइज़	स्क्रुटिनाइज़

१	२	३	४
६४१०	२१	देखा । था	देखा था।
६४११	अन्तिम से ३	मेन लेबर	मैन लेबर
,,	,, ,,७-८	है कि कि हम	है कि हम
६४१३	अन्तिम से ३	रहेगा ।	रहेगा
,,	,, ,, ६	नही था	नहीं था
,,	,, ,, १५	नही चल	नहीं चल
,,	,, ,, २१	नही दें	नहीं दें
६४१४	८	श्री हरिश्छन्द्र :	श्री हरिश्चन्द्र
,,	१३	नही है ।	नहीं है !
६४१६	अन्तिम से ५	गया था,	गया था ।
६४१६	५	है ।	है,
६४२०	अंतिम से ४	दे द	दे दें
६४२३	अन्तिम से २	है कि	हैं कि
,,	,, ,, १३	fives year	five years
६४२५	६	यहां आता	यहां आते
६४२६	अन्तिम से ५	को बतायेगे	को बताएंगे
,,	,, ,, ३	(उप-मंत्र, वित्त) :	(उप-मंत्री, वित्त):
६४३५	८	कह दिया इसकी	कह दिया, इसकी
,,	१२	उन्होंने बीच	उन्होंने; बीच
,,	अंतिम से ३	विस्धेदारी	विस्वेदारी
६४३७	अन्तिम	बहुत रीज़नेबल	बहुत ही! रीजनेबल
६४३६	१६--१७	रस्पोन्सिबिलिटी	रेस्पोन्सिबिलिटी
६४४०	६	नहा बढेंगी,	नहीं बढेंगी,
६४४४	शीर्षक	(सुपरइम्पोज्ड) स्टाम्पस	(सुपरइम्पोज्ड) स्टाम्प्स
६४५३	अन्तिम से २	the sel	the select
६४५४	१३	cannot, be	cannot be

१	२	३	४
६४५६	११	सबलरू	सब रूल
६४६५	अन्तिम से ८	थूनिवर्सिटी	यूनिवर्सिटी
६४६६	१६	Univerritiets	Universities
६४७५	२	observarion	observation
,,	अन्तिम से ५	करते है,	करते हैं
६४८२	६	कॉन्स्टीट्यटेड	कॉन्स्टीट्यूटेड
,,	अन्तिमसे १०	सलेक्ट	सिलेक्ट
६४८३	५	सकें ऑपोजिसन को ले सके	सकें, ऑपोज़ीशन को ले सकें
६४८८	शीर्ष	(श्री दुर्गालाल बाबदार)	(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
६४८६	अन्तिम से ४	क्राप	क्रॉप
६५०४	अन्तिम से ४	तारीख	तारीख
६५१२	५	कॉनसेन्ट	कॉन्सेन्ट
६५२१	अन्तिम से १६	बेलिड	वेलिड
६५२३	१०	that ane can	that you can
६५२४	शीर्षक	मई, ६२	७ मई, ६२
६५२६	११	that another ther	that another
६५२७	७	propased	Proposed
,,	१५	accordance weth	accordance with
,,	१८	bec omea	become a
,,	१६	shoud	should
,,	२१	personle	person
,,	२२	acceptanced.	acceptance,
६५२६	अन्तिम से ७	गई, थी	गई थी
६५४६	परिशिष्ट ,,	Poonan chand Bishnoi	Poonam Chand Bishnoi

अनुपूरक शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक ७ मई, १९६२)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
६३३८	शीर्षक	प्रश्योत्तर	प्रश्नोत्तर
६३४५	१६	उप मंत्री, वन	उप-मंत्री, सिंचाई
६३४६	शीर्ष	(उप मंत्री वन)	(श्री दिनेशराय डांगी)
६३८८	,,	(श्री हरिश्चग्द्र)	(श्री हरिश्चन्द्र)
६५२०	शीर्षक	७ यई	७ मई
६५२८	१५	श्री अध्यत्त	श्री अध्यक्ष